वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

तउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

विषय सूची

(i) बोर्ड के सदस्य 2
(ii) बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक 4
(iii) लक्ष्य एवं उद्देश्य 5

अध्याय–1
संगठनात्मक की स्थापना और कार्य 6

अध्याय–2
वित्तीय सहायता : तेल कंपनियों को ऋण 11

अध्याय–3
वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठन को अनुदान 18

अध्याय–4
वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान 34

अध्याय–5
तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान 41

अध्याय–6
अन्य पहलें / गतिविधियां 45

अध्याय–7
तेउविबो वार्षिक लेखे 2015–16 51

अध्याय–8
भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट 78

अध्याय–9
आईएसपीआरएल की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे 89

अध्याय–10
परिशिष्ट 147

बोर्ड के सदस्य
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

Jh lkjHk pUnk
सचिव
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(30.4.2015 तक)

Jh dfiy nso f=ikBh
सचिव
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(01.05.2015 से आगे)

सदस्य

Jh lqjthr pk/kjh
सचिव
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

Jh ,-,u- >k
विशेष सचिव (व्यय)
वित्त मंत्रालय

Mk- ,l-lh- [kfV;k
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(31.08.2015 तक)

Jh vur dekj flag
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(01.09.2015 से आगे)

Jh ;-ih- flag
अपर सचिव (अंवेषण)
पेट्रोलियम और प्राकृतिक
गैस मंत्रालय

Jh Mh-d- ljkQ
अध्यक्ष,
तेल एवं प्राकृतिक गैस
कार्पोरेशन लिमिटेड

Jh ch-lh- f=ikBh
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड

Jh ,l- o/kkjktu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

Jh ch- v'kkd
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन
लिमिटेड

Jherh fuf'k okl|nok
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(29.02.2016 तक)

Jh ch-,u- rkYy|dnkj
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय
(30.06.2015 तक)

Jh i|oUn dekj
महा सचिव,
श्रमिक विकास परिषद,
आईओसीएल बरौनी रिफाईनरी

सदस्य सचिव

Jh ,y-,u- xIrk
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(05.06.2015 तक)

Jh ;-ih- flag
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(18.06.2015 से 06.03.2016 तक)

Jh litho feRry
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(8.03.2016 से आगे)

बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा-परीक्षक
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	:	श्री एल एन गुप्ता श्री यू.पी. सिंह श्री संजीव मित्तल
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	:	श्री अजय श्रीवास्तव
बैंकर्स		i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii) कार्पोरेशन बैंक iii) इंडियन ओवरसीज बैंक iv) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
लेखा–परीक्षक		प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा–परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय		तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड़, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय		तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0–2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं0		+91–0120–2594602 +91–0120–2594627
फैक्स		+91–0120–2594630
ई–मेल		facao.oidb@nic.in
वेब साइट		www.oidb.gov.in

तेल उद्योग विकास बोर्ड के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन ।
- तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना ।
- निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण और इक्विटी निवेश में सहायता देना :-
  - भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
  - कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
  - पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;
  - पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
  - वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
  - तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
  - तेल उद्योग में लगे या तेल उद्योग में लगने वाले किसी भी क्षेत्र के अन्य कामों में लगे कर्मियों को भारत में या विदेशों में प्रशिक्षण तथा अन्य विहित उपायों के लिए ।

अध्याय-1

संगठनात्मक की स्थापना और कार्य

1. i:Lrkouk

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था। तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए ।

(ख) इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(ग) इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग (विकास) निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए ।

(घ) इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा ।

1.2 इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है ।

2. LkaxBukRed 0;kLFkk v©j c¨MZ d¢ dk;Z

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(i) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(ii) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(iii) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं:

(iv) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा :

(v) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ड.) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए ।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है ।

2.4 अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है ।

3.2 rsy m|¨x ¼fodkLk½ vf/kfu;e] 1975 ds vrxZr foÙkh; O;oLFkk

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं (परिशिष्ट – ।।) । सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई / संशोधित की गई। एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल पर किसी प्रकार का उपकर प्रयोज्य नहीं है। उपकर की दरें निम्नानुसार हैं : –

frfFk Lks ÁÒkoh	nj] Áfr Vu
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फ़रवरी, 1983	300 रुपए
1 मार्च, 1987	600 रुपए
1 फ़रवरी, 1989	900 रुपए
1 मार्च, 2002	1800 रुपए
1 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए
1 मार्च 2016	20 प्रतिशत यथा मूल्य

स्रोतः वित्त मंत्रालय

3.2 केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में अप्रैल 2012 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत अभिज्ञात 26 क्षेत्रों पर लागू 1800 रुपए प्रति टन उत्पाद शुल्क दर पर कच्चे तेल की उत्पाद शुल्क दर में 900रुपए प्रति टन की छूट प्रदान की गई है ।

3.3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है ।

3.4 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो ।

4. r;y m|kx fodkl ckM }kjk ikIr fuf/k;k

4.1 ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार यह देखा गया है कि वर्ष1974–75 में उपकर के रूप में उगाही गई 30.82 करोड़. रुपए की राशि वर्ष 2015–16 तक उल्लेखनीय ढ़ंग से बढ़कर 14,468.94 करोड़ रुपए हो गई। नीचे ग्राफ में सरकार द्वारा कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर का वर्षवार विवरण दिया गया है।

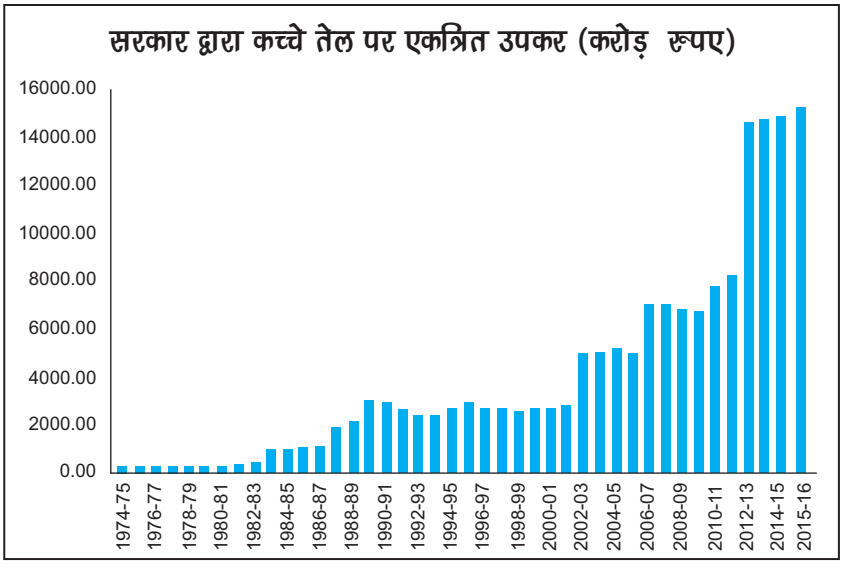

4.2 केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्थापना के पश्चात से उपकर के रूप में दिनांक 31 मार्च 2016 तक अनुमानतः 1,62,195.51 करोड़. रुपए की राशि एकत्र की है, तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। नीचे दिए गए ग्राफ में तेउविबो को दिए गए उपकर का वर्ष वार विवरण दिया गया है।

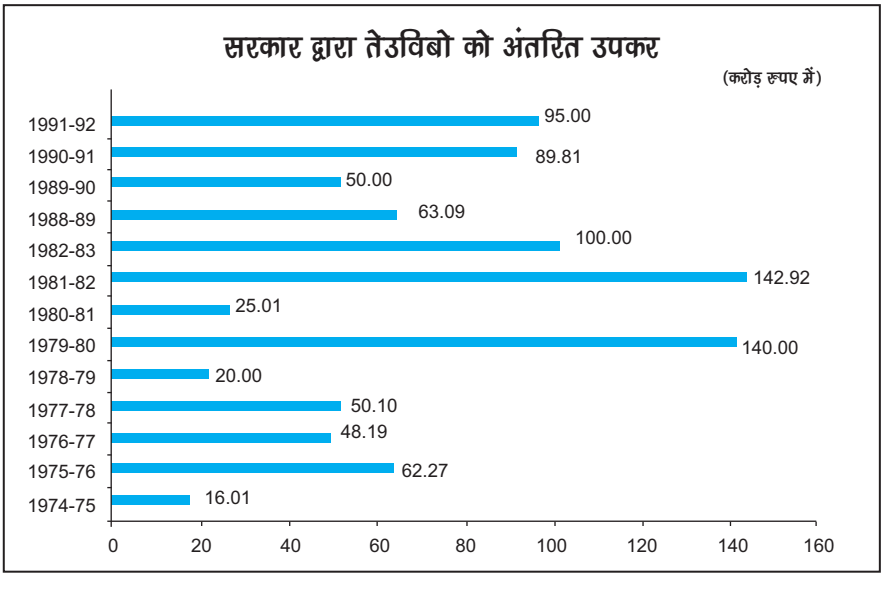

4.3 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2016 तक तेल उद्योग विकास कोष में 11,452.96 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं ।

अध्याय–2

वित्तीय सहायता – तेल कंपनियों को ऋण

1. तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 के बाद से तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। तेउविबो द्वारा वितरित ऋण वर्ष 1974–75 में 16.01 करोड़ रुपए से पिछले पांच वर्षों में बढकर औसतन 1900 करोड़ रुपए हो गया है। ऋण निधि का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों की स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों की गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वांइट मूरिंग परियोजनाओं और शहर गैस वितरण आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

(रुपए करोड़ में)

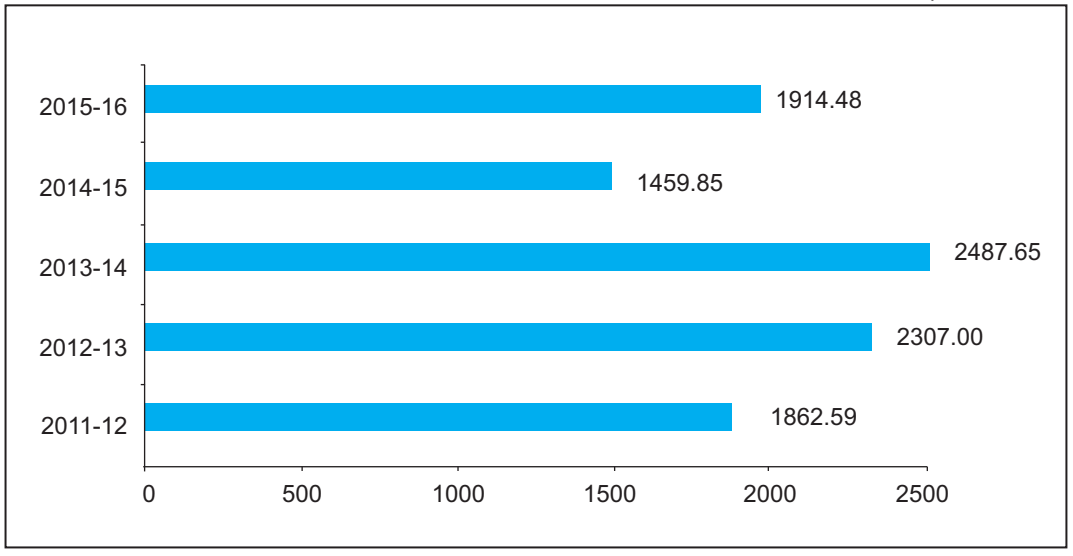

3. पिछले पांच वर्षों में तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से तेल क्षेत्र की वित्त पोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है। :

(रुपए करोड़ में)

Ø0 l0	Rky lLFkkuk dk uke	foRRkh; o"k					
		2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	2015&16	5 o"kk dk dqy ;kx
1.	vkbivklh,y	100.00	1050.00	572.00	420.00	711.25	2853.25
2.	Ckhihlh,y	100.00	97.00	-	907.50	744.25	1848.75
3.	xy	675.00	490.00	975.00	-	-	2140.00
4.	,pihlh,y	500.00	-	138.00	120.00	124.75	882.75
5.	Ckhlhih,y	44.00	250.00	435.00	-	298.00	1027.00
6.	,evkjih,y	400.00	400.00	300.00	-	-	1100.00
7.	Xky xl fy0	43.59	20.00	25.65	12.35	24.23	125.82
8.	,uvkj,y	-	-	42.00	-	-	42.00
9.	Ckhdk ykjh fyfeVM	-	-	-	-	12.00	12.00
	dy	**1862.59**	**2307.00**	**2487.65**	**1459.85**	**1914.48**	**10031.57**

4. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं जिन्हें इस अवधि के दौरान कुल ऋण संवितरण का 64 प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया। नीचे ग्राफ में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान वितरित ऋण का संगठनवार विवरण दिया गया है।

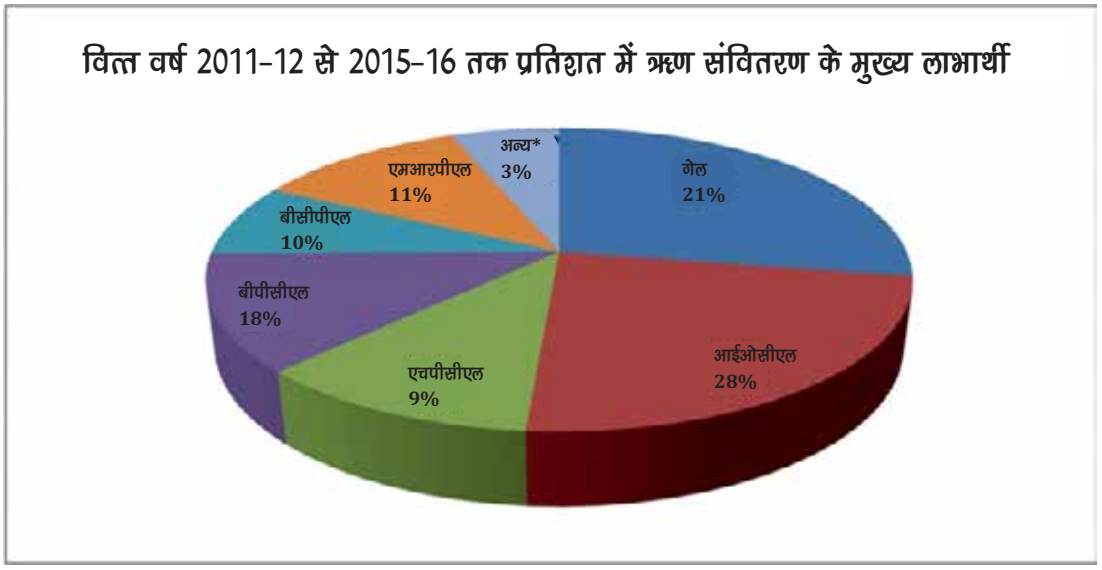

5. 31 मार्च 2016 को रूपये 7229.09 करोड़ रूपये का बकाया ऋण है। संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

¼djksM #i, e½

Ø0 la0	Rksy lLFkkuksa dk uke	jkf'k
1.	vkbZvkslh,y	2110.25
2.	Ckhihlh,y	1725.25
3.	xsy	1145.00
4.	,pihlh,y	473.25
5.	Ckhlhih,y	1161.62
6.	,evkjih,y	525.00
7.	xsy xSl fyfeVsM	76.72
8.	Ckhdkusj ykjh fyfeVsM	12.00
	dqy	**7229.09**

6.0 foRrh; o"kZ 2015&16 ds nkSjku rsy m|ksx fodkl cksMZ }kjk foÙk ikf"kr ifj;kstuk,

6.1. bafM;u vk;y dkiksZjs'ku fyfeVsM ¼

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने अपनी निम्न परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु वर्ष 2015–16 के दौरान तेउविबो से 711.25 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त की।

I ikjknhi fjQkbujh ifj;¨tuk

डीजल हाईड्रो ट्रीटर इकाई (डीएचडीटी)

पारादीप रिफाइनरी आज तक इंडियन ऑयल के सबसे प्रतिष्ठित और पूंजी गहन परियोजना है और यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी के समूह की 11 वीं रिफाइनरी पारादीप, उड़ीसा में स्थित है। इसे 7 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया था, पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा गेटवे के रूप में, ख्याल रखते हुए, 15 एमएमटीपीए रिफाइनरी को 34,555 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है।

यह नेल्सन सूचकांक आधारित 12.2 की जटिलता कारक के साथ देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी है। रिफाइनरी उच्च सल्फर भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के साथ प्रमुख माध्यमिक प्रसंस्करण इकाइयों तरलीकृत कैटालिस्टिक क्रैकर, विलबिंत कोकिंग इकाई (डीसीयू) कोक के उत्पादन के लिए, डीजल हाइड्रो ट्रीटमेंट के अलावा उत्पादों की गुणवत्ता उन्नयन के लिए, उत्प्रेरक सुधारक, एकलाइलेशन इकाई, मेरोक्स आदि को प्रोसेस करने में विन्यस्त है। तेउविबो द्वारा इस परियोजना के लिए, रूपये 500 करोड़ की ऋण सहायता दी गई।

II ikjknhi & jk;iqj&jkaph ikbiykbu

जेटनी स्टेशन – पंपिंग क्षेत्र

परियोजना में जेटनी, झारसुगडा, रांची, रायपुर और कोरबा में जेटनी और संबलपूर मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशनों के साथ, वितरण केंद्रों पर 1069 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन बिछाना शामिल है। उत्पादों की 5 एमएमटीपी, परिवहन क्षमता के लिए पाइपलाइन का दूरबीन व्यास 18′/16′/14′/12′/10′ होगा। परियोजना हेतु 73.75 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया।

III lyk;k&eFkqjk ikbi ykbu iz.kkyh ds ekxZ&vojks/kdks dk fuLrkj.k

परियोजना में सलाया–मथुरा पाइप लाइन एसएमपीएल प्रणाली के मार्ग अवरोधों के निस्तारण द्वारा सलाया–वीरमगाम खंड की क्षमता को 21 एमएमटीपीए से 25 एमएमटीपीए तक बढ़ाना शामिल है। परियोजना में 28/24 व्यास की 797 कि.मी. पाइप लाइन एसएमपीएल खण्ड के साथ बिछाने तथा वीरमगाय, आबू रोड़ व राजोला में नए पंपिग सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना है। इस परियोजना का दिसम्बर 2016 में पूरा होना अपेक्षित है। कथित पाइपलाइन प्रणाली के लिए 62.50 करोड़ रूपये का ऋण तेउविबो द्वारा उपलब्ध करवाया गया।

IV ikjknhi&gfYn;k&nqxkZiqj ,yihth ikbiykbu

परियोजना में 670 किमी लंबी, 10′′ व्यास की 0.5 एमएमटीपीए क्षमतावाली एलपीजी पाइपलाइन हल्दिया से होते हुए पारादीप से दुर्गापुर तक बिछाने के साथ, बालासोर में बज–बज (Budge& Budge) कल्याणी और दुर्गापुर में

मौजूदा बॉटलिंग संयंत्रों को पारादीप और हल्दिया से एलपीजी की ढुलाई के लिए संबंद्ध सुविधाओं के साथ–साथ रसोई गैस पाइपलाइन बिछाना शामिल है, इस परियोजना का जून 2017 तक पूरा होना प्रत्याशित है। तेउविबो द्वारा ऋण भुगतान के लिए सहायता 75.00 करोड़ रूपये दी गई है।

6.2 Òkjr iV"fy;e dkikj'ku fyfeVM

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक संगठित तेल कंपनी है जो कच्चे तेल के परिशोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के कार्यो में लगी है। तेउविबो द्वारा कंपनी को वर्ष के दौरान ऋण के भाग के रूप में 744.25 करोड़ रूपये की राशि निम्न परियोजनाओं के वित पोषण के लिए जारी की गई।

I कोच्चि रिफाइनरी की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार योजना : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोच्चि रिफाइनरी में एकीकृत रिफाइनरी विस्तार योजना के लिए तेउविबो से वित वर्ष 2015–16 में 654.00 करोड़ रूपए की ऋण सहायता प्राप्त की। एकीकृत रिफाइनरी विस्तार योजना (आईआरईपी) से कोच्ची रिफाइनरी मे वर्तमान रिफाइनरी क्षमता 9.5 एमएमटीपीए से बढाकर 15.5 एमएमटीपीए हो जायेगी। रिफाइनरी सुविधाओं के आधुनिकीकरण द्वारा बीएस IV/यूरो–VI विनिर्देशों के साथ आटो–ईंधन और अवशेष धाराओं के उन्नयन के साथ डिस्टिलेट्स और पेटकोक के उत्पादन की सुविधा होगी। परियोजना की स्वीकृत लागत 16,504 करोड़ रूपए है।

II सीडीयू/वीडीयू परियोजना मुम्बई रिफाइनरी : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित वर्ष 2015–16 में 74.75 करोड़ रूपए की ऋण सहायता तेउविबो से प्राप्त की। क्रेड आसवन ईकाइ (सीडीयू)/वैक्यूम आसवन ईकाई (वीडीयू), डीमाउंटटेबल फ़्लेयर, फस्ट गैस टबाईन जेनरेटर, रिर्वस ऑस्मोसिस और डीमिनरलाइजेशन प्लांट, हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर III, कच्चे पानी खदान और कच्चे जल उपचार संयंत्र चालू कर दिये गये हैं। अन्य प्रमुख ईकाईयॉ जैसे कि – डीजल हाइड्रो ट्रीटर (डीएचडीटी), दो जीटीजी, दो यूटीलिटी बॉयलर, वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रो ट्रीटर, सल्फर रिकवरी यूनिट, डीलेड कोकर यूनिट तथा फ़्ल्यूड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट तदानुसार कमीशन की आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने की योजना है।

31.10. 2016 तक परियोजना की समग्र भौतिक प्रगति 12,479 करोड़ रूपये के संचयी व्यय के साथ 97.99 प्रतिशत प्राप्त की है। परियोजना के वित्त वर्ष 2017–18 की प्रथम तिमाही में स्थापित होने और चालू होने की संभावना है।

III कोटा–जोबनेर पाइपलाइन परियोजना : तेउविबो ने बीपीसीएल की कोटा–जोबनेर पाइपलाइन परियोजना के लिए वित वर्ष 2015–16 में 15.50 करोड़ रूपए की ऋण सहायता प्रदान की। जिसमें 210 किलोमीटर लंबी और 14 इंच व्यास वाली पाइपलाइन कोटा से जोबनेर, जयपुर के पास तक बिछाई गई है। परियोजना में 5 सैक्शनलाइजिंग वाल्व स्टेशनों और एक मध्यवर्ती पिगिंग स्टेशन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा जोबनेर में 91,000 किलोलीटर क्षमता के टैंकों और संबंद्ध सुविधाओं से परिपूर्ण एक टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तावित पाइपलाइन बीपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पाद ले जाएगी।

6.3 Çgn|Lrku iV"fy;e d,i"j'ku fyfeVM

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल परिष्करण और पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोरसायन पोषक स्टॉक के विपणन में संलग्न तेल कंपनी है । वर्ष 2015–16 के दौरान, निम्नलिखित पाइपलाइन परियोजनाओं के आंशिक वित्त पोषण के लिए कंपनी को तेउविबो द्वारा ऋण के रूप में 124.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है :

I jokMh dkuiqj ikbiykbu ifj;¨tuk ¼#i;s 72 dj¨M+½

इस परियोजना का उद्देश्य, उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए रेल तथा सड़क परिवहन से बचने के लिए रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तरप्रदेश) तक एक समर्पित क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाना है । इस पाइपलाइन की लंबाई अनुमानतः 442 किमी होगी और इसकी डिजाइन क्षमता 7.98 एमएमटीपीए होगी तथा यह हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी । परियोजना की अनुमोदित लागत 1446.34 करोड़ रूपए है तथा परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले अक्टूबर 2015 तक आरंभ हो गई थी।

II eaxykSj&gklu&eSlj&lkyoj ,yihth ikbiykbu ifj;kstuk ¼#i;s 52-75 dj¨M+½

इस परियोजना का उद्देश्य एलपीजी के परिवहन के लिए मैंगलौर में एलपीजी आयात सुविधा से एचपीसीएल के बंगलौर के समीप येदियुरू स्थित प्रस्तावित बॉटलिंग प्लांट हासन से होते हुए एक समर्पित क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाना है। इसके साथ–साथ, हासन टैप ऑफ बिंदु से एचपीसीएल के मैसूर स्थित बॉटलिंग प्लांट तक एक स्पर लाइन भी बिछाई जा रही है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 838.08 करोड़ रूपए है। इस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 356 किलोमीटर होगी तथा इसकी क्षमता 2.279 एमएमटी (प्रचालन के प्रथम वर्ष) और 3.106 एमएमटी (प्रचालन के आठवें वर्ष) होगी। परियोजना ने मई 2016 तक 96.67 प्रतिशत समग्र भौतिक प्रगति हासिल की है। परियोजना के नवम्बर 2016 तक संपन्न होने की संभावना है।

6.4 czgeiq= Øsdj ,.M ikWfyej fyfeVsM ¼chihlh,y½

मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पोलिमर लिमिटेड (बीपीसीएल) ने असम गैस क्रेकर परियोजना के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान 298.00 करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्राप्त की।

असम गैस क्रेकर परियोजना, ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) की लेपेटकाटा, जिला डिब्रूगढ़, असम में स्थापित ऐतिहासिक असम समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें क्रेकर ईकाई, डाउन स्ट्रीम पॉलीमर ईकाई, एकीकृत ऑफ साइट और उपयोगिता संयत्र सम्मिलित हैं। परिसर में प्राकृतिक गैस और नाफ़्था फीड स्टॉक के साथ 220,000 टन प्रतिवर्ष (टीपीए) पॉलीथीन तथा 60,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) की पालीपरोपलीन तथा अन्य उत्पादों के साथ की क्षमता है। परियोजना पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली पेट्रो रसायन परिसर है जिसमें भारत सरकार की पूंजीगत सहायता, गेल, एनआरएल और असम सरकार की इक्विटी तथा तेउविबो, एसबीआई और आआईएल की ऋण सहायता शामिल है। परियोजना 2.1.2016 को पूरी हुई और माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 5.2.2016 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। रिपोर्ट की अवधि के दौरान तेउविबो ने इस परियोजना के लिए 298 करोड़ रूपये दिए।

6.5 xsy xSLk fyfeVsM

गेल गैस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जिसका गठन देश भर की शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। गेल गैस, 374.21 किलोमीटर से अधिक स्टील पाइप लाइन और लगभग 586.74 किलोमीटर एमडीपीई पाइपलाइन नेटवर्क का प्रचालन सोनीपत, मेरठ, कोटा, देवास, आगरा और समलम्ब शहरों में कर रही है । गेल गैस इन शहरों के 503 औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों और 8774 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस की उत्तरोत्तर आपूर्ति करती है।

रिपोर्ट की अवधि तेउविबो ने 24.23 करोड़ रूपये की राशि का ऋण जारी किया।

6.6 chdk ykjh fyfeVsM ¼ch,y,y½

रिपोर्ट वर्ष की अवधि के दौरान बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) ने सांविधिक देय और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान 12 करोड़ रूपये की विशेष ब्रिज ऋण सहायता ली है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25.3.2015 को केन्द्र सरकार द्वारा इस पर दी गई स्वीकृति भेजी थी।

अध्याय-3

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1. अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों जैसे कि – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है ।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है । तेउविबो विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की सिवानगर, असम और जियास, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं को अनुदान देता है। वर्ष 1975–76 से 31.3.2016 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 2607.76 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 275.23 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 215.05 करोड़ रूपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

3. नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :

LkLFkku	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
डीजीएच	55.14	62.09	39.62	137.95	121.51
पीसीआरए	25.00	46.96	41.54	40.86	41.13
सीएचटी	12.04	13.92	18.45	10.38	19.59
पीपीएसी	12.21	12.35	14.36	14.83	17.77
ओआईएसडी	9.96	10.88	13.74	16.25	15.05
d|y	**114.35**	**146.20**	**127.71**	**220.27**	**215.05**

4. वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में अनुदान की स्थिति निम्नलिखित ग्राफ में दर्शायी गयी है। तेउविबो द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार /तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया गया।

2014-15

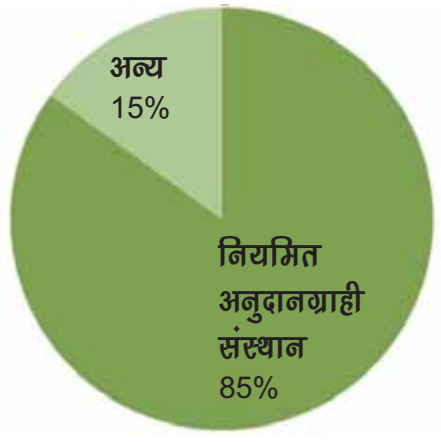

2015-16

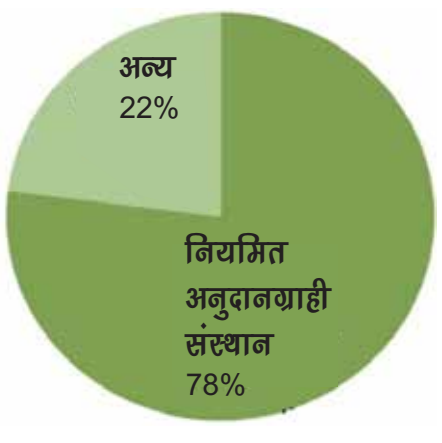

4.1 gkbMªksdkcZu egkfuns'kky; ¼Mhth,p½

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना भारत सरकार के संकल्प द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वर्ष 1993 में की गई थी। डीजीएच की स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा, पेट्रोलियम गतिविधियों के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। डीजीएच को प्रमुख क्षेत्रों के रिज़र्वायर निष्पादन की समीक्षा सहित खोजे गए क्षेत्रों व अन्वेषण ब्लॉकों की उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं, अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों में निवेश व निगरानी से संबंधित विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा, डीजीएच को गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों के भावी अन्वेषण और विकास के लिए नए/गैर–अन्वेषित क्षेत्रों को आरंभ करने के कार्य में भी संलग्न किया गया है ।

डीजीएच पूर्ण रूप से तेउविबो द्वारा वित्त पोषित है । वर्ष 2015–16 के दौरान, तेउविबो ने डीजीएच को 121.51 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया। डीजीएच ने वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों को निष्पादित किया।

1) Hkkoh vUos"k.k dk fy, u, {ks=ksa dh 'kq:vkr

सरकार द्वारा, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) का अनुमोदन 30.3.2016 को किया गया। इस नीति की चार मुख्य विशेषताएं है। (i) हाइड्रोकार्बन के सभी स्वरूपों के उत्थान एवं उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंस (ii) खुली रकबा नीति (iii) राजस्व भागीदार वाले मॉडल के संचालन में आसानी (iv) उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विपणन व मूल्य निर्धारण में आजादी।

हेल्प के उपर्युक्त निर्णय से तेल एवं गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। इस क्षेत्र में व्यापक निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासनिक विवेकाधिकार में कमी लाना हैं । इन ब्लॉकों में उत्पादित होने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विपणन संबंधी आजादी भी इस नीति में दी गई है।

2) uSYi dk dk;kZUo;u

भारत सरकार की नेल्प नीति के माध्यम से अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र के विकास को काफी बढ़ावा मिला है, जिसने इस क्षेत्र में व्यापक उदारीकरण को बढ़ावा दिया है, और इसे निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है, जिसके लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) स्वीकृत है ।

अब तक, नेल्प के नौ राउंड का निष्कर्ष निकाला गया है। और 254 ब्लॉकों में अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए काम सौंपा गया है। वर्ष 2015–16 में नेल्प के अंतर्गत 7 ब्लॉकों में 5 तेल और 7 गैस खोजें की गई। नेल्प के अंतर्गत कुल 51 ब्लॉकों में 154 तेल और गैस खोजें की गई। वर्तमान में, 25 नेल्प खोजें, विकास की राह पर और 19 नेल्प खोजों पर उत्पादन हो रहे हैं।

3) mRiknu fgLlsnkjh lafonkvksa dh fuxjkuh %

भारत सरकार ने 28 खोजे गए क्षेत्रों, 33 सीबीएम ब्लॉकों, नेल्प–पूर्व व्यवस्था के तहत 28 अन्वेषण ब्लॉकों और नेल्प व्यवस्था के तहत 254 ब्लॉकों की संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं । डीजीएच भारत सरकार की ओर से, प्रत्येक ब्लॉक/क्षेत्र के लिए स्थापित की गई प्रबंधन समितियों के माध्यम से इन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन की निगरानी करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के तहत क्षेत्रों/ब्लॉकों द्वारा 11.36 मिलियन मीट्रीक टन तेल और 8.23 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया ।

4) {k=h; fodkLk] fj tok; j o mRiknu lc/kh fuxjkuh ½

उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज़) व्यवस्था के तहत विभिन्न क्षेत्रों की विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी की जाती है तथा खोजों की रिज़र्वायर पुनरीक्षा, संभावित वाणिज्यिक हित, वाणिज्यत्व की घोषणा (डीओसीज़) तथा क्षेत्रीय विकास योजना (एफडीपी) आदि के संदर्भ में अन्वेषण ब्लॉक की गतिविधियों का कार्यान्वयन भी किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान 3 वाणिज्यत्व की घोषणा (डीओसीज) की समीक्षा की गई और पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय विकास योजनाओं (एफडीपी) को मंजूरी दी गई।

5) u'kuy MkVk fjikftVjh ¼,uMhvkj½ dh LFkkiuk ½

एनडीआर स्थल पर साफ्टवेयर के एकीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। एनडीआर परियोजना का आरंभिक डेटा आबादी चरण दिनांक 02.03.2016 को पूरा हुआ। आंरभिक आबादी चरण के दौरान, जीएंडजी डेटा के त्याग ब्लाकों (निजी ऑपरेटरों/अनापत्ति प्रमाण पत्र), सक्रिय नेल्प ब्लाकों के डेटा डाल दिए गये हैं। 31.03.2016 तक कुल 11,00,213 एलकेएम 2डी सिसमिक डेटा और 2,97,516 एसकेएम 3डी सिसमिक डेटा तथा 1,954 संख्या के वेल डेटा भी एनडीआर में डाले जा चुके हैं। एनडीआर परियोजना का संचालन चरण 3.03.2016 को आरंभ हो गया जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र के नामांकन ब्लाकों से संबंधित डेटा लोड करने का कार्य प्रगति पर है।

6) d¨y cM ehFku ¼Lkhch,e½ ½

कोल बेड मीथेन पॉलिसी 1997 में तैयार की गयी। पॉलिसी के अंतर्गत 4 वैश्विक बोली रॉउंड के द्वारा 36 सीबीएम ब्लॉकों में सीबीएम संसाधनों के अन्वेषण और उत्पादन का कार्य सौंपा गया। विभिन्न कंपनियां जिसमें निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल है, को 33 सीबीएम ब्लॉक आबंटित किए गए। जिसमें से तीन ब्लॉक नामांकित थे।

अब तक आबंटित कुल 33 ब्लॉकों में से, 2 सीबीएम ब्लॉक उत्पादन चरण में प्रवेश कर चुके हैं, 6 सीबीएम ब्लॉक विकास के चरण में हैं, 5 सीबीएम ब्लॉक अंवेषण चरण में है, 2सीबीएम ब्लॉक राज्य सरकार से पीईएल के इंतजार में है, 4 सीबीएम ब्लॉकों का ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त समृद्धि के कारण परित्याग कर दिया और 14 सीबीएम ब्लॉक परित्याग करने की प्रक्रिया में हैं। 15 सक्रिय ब्लॉकों (विकास और अंवेषण चरण) में से 5 ब्लॉकों (परीक्षण उत्पादन के साथ), में उत्पादन शुरू हो गया है और 3 से ज्यादा सीबीएम ब्लॉकों में वित्तीय वर्ष 2017–18 तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

7) vfuok;Zrk Áek.ki= ½

वर्ष 2015–16 के दौरान, डीजीएच द्वारा कुल 12709 अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिनका सीआईएफ मूल्य 2972.35 करोड़ रुपए है ।

8) 'ky vk;y rFkk 'ky xLk

शेल गैस और शेल ऑयल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2013 में राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) के लिए नामित भूभागों में शेल तेल तथा शेल गैस संसाधनों की खोज एवं दोहन हेतु की गई थी। नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ओएनजीसी तथा ओआईएल को पहले चरण के तहत आकलन हेतु क्रमशः 50 और 5 ब्लॉकों में शेल गैस और शेल तेल अंवेषण करना है। ओएनजीसी कैम्बे, कावेरी, कृष्णा गोदावरी और असम तथा अराकान बेसिन में शेल गैस और तेल अंवेषण कर रहा है तथा ओआईएल असम और राजस्थान बेसिन में शेल गैस और तेल अंवेषण गतिविधियां कर रहा हैं ।

9) iokRrj {k= d fy, gkbM¨dkcu fotu 2030 nLrkot ½

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पे0एवंप्रा0गेमं0) भारत सरकार, द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। क्रिसिल जोखिम और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस तैयार करने में सहायता करने के लिए एक भागीदार के रूप में नियुक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई एंड पी गतिविधियों को बढावा देने के लिए पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 दस्तावेज तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में अगले 15 साल के लिए तेल और गैस के उत्पादन एवं अंवेषण गतिविधियों को बढाने के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आवश्यक निवेश की रूपरेखा तैयार करना है।

4.2 iV¨fy;e Lkaj{k.k vuqLka/kku la?k ¼ihLkhvkj,½

पीसीआरए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 1978 में स्थापित की गई एक पंजीकृत सोसायटी है। देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात उद्योग, कृषि, परिवहन, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन दक्षता को बढ़ावा देने एवं प्रत्यक्ष तकनीकी सहायताए अनुसंधान और विकास, शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बडे पैमाने पर जागरूकता अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक गैर–लाभकारी संगठन के रूप में पीसीआरए नोडल एजेंसी के तौर पर निरंतर कार्यरत है। यह अपनी खोज में, पीसीआरए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य संगठनों की मदद लेता है। यह तेल और गैस की आवश्यकता पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण के लिये नीतियों और रणनीतियों के निर्धारण में सरकार की मदद करता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, तेउविबो द्वारा प्रशासनिक व्यय सहित पीसीआरए को अपनी गतिविधियों के लिए कुल 41.13 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2014–15 के दौरान, पीसीआरए की विभिन्न प्रमुख गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

i) {ks=h; xfrfof/k;ka

क्षेत्रीय गतिविधियों का संचालन पीसीआरए के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है । क्षेत्रवार क्षेत्रीय गतिविधियों के माध्यम से, पीसीआरए अपने इंजीनियरों और पैनलों में शामिल विशेषज्ञों के साथ ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लक्षित समूहों तक पहुंचता है । ये गतिविधियां हमारे देश के उद्योग, परिवहन, घरेलू, कृषि और वाणिज्यिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति का एक बडा स्पेक्ट्रम कवर करने का कार्य करती हैं। वर्ष के दौरान, देश भर में कुल 10,842 क्षेत्रीय गतिविधियों को आयोजित किया गया।

ii) vkS|¨fxd {ks=

औद्योगिक क्षेत्र देश में कुल ईंधन की लगभग 14 प्रतिशत खपत करता है। इस क्षेत्र में ईंधन के उपयोग में सुधार के लिए पीसीआरए बडे, मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऊर्जा दक्षता अध्ययन, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से ध्यान आकर्षित करता है ।

वर्ष 2015–16 के दौरान पीसीआरए ने इस क्षेत्र में कुल 688 ऊर्जा दक्षता अध्ययनों को पूरा किया। जिनमें ऊर्जा ऑडिट (317), ईंधन तेल नैदानिक अध्ययन (151) और छोटे पैमाने के उद्योगों में वॉक–थ्रू–ऑडिट (220) शामिल हैं। देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक क्षेत्रों को विशिष्ट लाभ पहुंचाने के लिए पीसीआरए ने कुल 145 सेमिनारों/तकनीकी बैठकों का आयोजन किया। पीसीआरए द्वारा कुल 565 औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हितकारकों को अपने संयंत्र की ऊर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से संरक्षण की संभावनाओं को महसूस करवाना व जागरूकता बढाना इन कार्यक्रमों का उद्धेश्य है। पीसीआरए इन कार्यक्रमों में अपने उद्योग लेखा

परीक्षा के अनुभवों को साझा करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त पीसीआरए ने इस क्षेत्र में ऊर्जा और ईंधन की बचत के उपायों को प्रचालित करने के लिए 616 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं के दौरान, उद्योगों में ऊर्जा और ईंधन की बचत के सुझावों पर लघु फिल्मों को भी दिखाया जाता है।

पीएटी योजना के तहत ऊर्जा ऑडिट के माध्यम से उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता पर कार्यक्रम

पीएटी (परफोर्म, अचीव एंड ट्रेड), बीईई की संबर्धित ऊर्जा दक्षता पर शुरू की गई राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) का भाग है, जो कि भारत की बडी ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढाने का कार्य करता है। पैट योजना को 11 क्षेत्रों के 621 यूनिटों में फैलाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, पीसीआरए ने पैट योजना के तहत वस्त्र, लौह एवं इस्पात, क्लोरिस–क्षार उद्योगों में ऊर्जा और ताप विद्युत संयत्रों में 14 ऊर्जा/सत्पायन आडिट किये हैं।

Åtk y[kk ijh{kdk dk iuy

पिछले कुछ वर्षो में, पीसीआरए, गुणवत्ता ऊर्जा लेखा परीक्षकों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कि उनकी सेवायें देश के उद्योगों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को उपलब्ध करायी जा सके। हमारे पैनल समिति में बीईई, एनपीसी, टेरी तथा पीसीआरए से सदस्य शामिल हैं। पीसीआरए के 83 ऊर्जा लेखा परीक्षकों का एक मजबूत दल आज देश के उद्योगों को अपनी सेवायें प्रदान कर रहा है।

iii) ifjogu {k=

पीसीआरए बेहतर रखरखाव प्रथाओं और बेहतर ड्राइविंग की आदतों के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, स्नेहकों तथा ग्रीसों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू), निजी बड़े ऑपरेटरों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ड्राईविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीटीपीयू), मॉडल डिपो परियोजनाओं आदि जैसे विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान पीसीआरए ने 2097 चालक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 42233 चालकों को प्रशिक्षित किया।

iv) Ñf"k {k=

किसान समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, पीसीआरए वैन प्रचार, किसान मेला और कृषि महाविद्यालयों के छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों का आयोजन करता हैं। इन गतिविधियों के दौरान, ईंधन संरक्षण पर लघु चित्र और फिल्मों को भी दिखाया गया है। वर्ष 2015–16 में पीसीआरए ने 83 किसान मेलों में भाग लिया और 971 कृषि कार्यशालाओं का आयोजन किया ।

v) ?kjy {k=

,yihth@djkflu cpr ij dk;'kkyk

एलपीजी/पीएनजी और मिट्टी के तेल के संरक्षण को बढावा देने के लिए पीसीआरए ने गृहिणियों, कालेज की छात्राओं और रसोईयों को ईंधन संरक्षण के लिए बेहतर खाना पकाने की अग्रणी आदतों पर ईंधन कुशल स्टोव और प्रकाश उपकरणों का उपयोग करने और ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर, बायो गैस आदि के उपयोग के लिए शिक्षित किया है। कार्यक्रम के दौरान एलपीजी/पीएनजी और मिट्टी के तेल की बचत टिप्स, वीडियो क्लिपिंग, फिल्मों आदि के माध्यम से जानकारी को प्रचारित किया जाता है । पीसीआरए द्वारा वर्ष 2015–16 में इस तरह के 1437 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया है ।

;ok dk;Øe

पीसीआरए का उद्देश्य युवा मन में उर्जा संरक्षण के महत्व और उन्हें अपने घरेलू और व्यावसायिक जीवन के संपूर्ण

क्षेत्रों में तेल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। वर्ष 2015–16 के दौरान पूरे देश में कुल 2230 युवा कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

vi) vuLka/kku v©j fodkLk

पीसीआरए ने ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और कम कार्बन के उत्सर्जन हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं को आरंभ किया। पीसीआरए ने नये अनुसंधान एवं विकास की पहलों और प्रायोजिकों के विकास, बेहतर प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और कार्यान्वयन, चिन्हित क्षेत्रों में तेल और गैस संरक्षण प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 4 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई, 7 नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चल रही हैं और 3 नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

vii) f'k{kk vfÒ;ku

ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और बडे पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा अभियान एक संचार उपकरण है। परिवर्तन लाने के क्रम में, क्षेत्र विशेष में ऊर्जा की बचत के उपायों और तकनीक लक्षित अंतिम उपभोक्ताओं तक प्रचार किया जा रहा है। पीसीआरए ने फेसबुक, ट्यिूटर, गूगल. यूट्यूब और माई गोव जैसी सामाजिक मीडिया साइटों के माध्यम से जागरूकता को बढावा देने के लिए प्रौद्यागिकी का उपयोग किया है। नियमित रूप से दैनिक ईंधन की बचत युक्तियॉ, पीसीआरए के संरक्षण गतिविधियों पर सुझावों और आमंत्रणों को पीसीआरए के इन सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म पर अद्‌यतन किये जाते हैं।

viii) exk ehfM;k vfÒ;ku & 2015&16

मेगा मीडिया और ओजीसीएफ अभियानों को रेडियों टीवी और निजी चैनलों के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रसारित किया गया, जिसमें वृतचित्र, गीतों का इस्तेमाल और माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अपील की गई। ओजीसीएफ–16 के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में लोगों को चिन्हित करने के लिए प्रिंट अभियान का आयोजन किया गया। पीसीआरए ने 23 भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिताओं और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। पीसीआरए ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2015 में 'साइकिल चलाओ' और 'ईंधन बचाओं' अभिनव खेल के साथ संपूर्ण डिजिटल स्टाल लगाया

ix) vrjk"Vªh;@jk"Vªh; uVofdZx

भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में, उर्जा के क्षेत्र में भारत–जापान सहयोग को बढावा देने के लिए, पीसीआरए ने ईसीसीजे (उर्जा संरक्षण केंद्र, जापान) के साथ राष्ट्रीय/क्षेत्रीय उद्योग निकायों जैसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), फिक्की आदि के साथ समझौता किया हुआ है।

x) Rksy ,oa xSl laj{k.k i[kokMk 2016

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रम, बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति पेट्रोलियम उत्पादों के कुशल उपयोग और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जनवरी 16–31, 2016 तक राष्ट्रीय स्तर पर तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़े का आयोजन करते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वृतांत का विषय 'ईंधन हो स्वच्छ, जन गण रहे स्वस्थ' था।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 16 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में पखवाडे का उदघाटन किया। श्री के.डी. त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की

तेल कंपनियों व राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, स्कूली बच्चे आदि इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने लकडी और अन्य पारम्परिक ईंधन के जलने के कारण होने वाले प्रदूषणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रभावी ढंग से सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी जैसे ईंधन के उपयोग पर बल दिया और गांवों को सरकार समर्थित 100 प्रतिशत एलपीजी से जोड कर धुंआ विहित करने को कहा है। समारोह के दौरान माननीय मंत्री द्वारा तेल और गैस संरक्षण की शपथ दिलाई गई। समारोह में तेल उद्योग और राज्य सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण पर अनुकरणीय कार्य के अतिरिक्त ईंधन संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

4.3 mPp Á© | ¨fxdh dUæ ¼Lkh, pVh½

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्डा एनजी) द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी) की स्थापना वर्ष 1987 में एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी के रूप में की गई थी ताकि रिफाइनरी प्रक्रिया, पेट्रोलियम उत्पादों और योजकों का विकास करने और अपनाने हेतु भावी प्रौद्योगिकी आवश्यकता का पता लगाया जा सके। जुलाई 2016 में सीएचटी को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानक, आईएसओ.9001:2008 के लिए मैसर्स डेट नारसकी वेरियम (डीएनवी) द्वारा प्रमाणित किया गया था। सीएचटी भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमों के कार्यान्व्यन हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रूप में कार्य करता है। सीएचटी के मुख्य कार्यों में प्रौद्योगिकी आवश्यकता का आकलन तथा रिफाइनरियों का प्रचालनात्मक निष्पादन मूल्यांकन और सुधार करना शामिल है। सीएचटी केन्द्रीयकृत तकनीकी सहायता, ज्ञान के प्रचार–प्रसार, निष्पादन डॉटा, सूचना एवं अनुभव का आदान–प्रदान करने के लिए तेल उद्योग के केन्द्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। सीएचटी रिफाइनिंग और विपणन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य के वित्तपोषण का भी समन्वय करता है तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'हाइड्रोकार्बन की वैज्ञानिक सलाहकार समिति' के कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान सीएचटी को ओआईडीबी से सहायता–अनुदान के रूप में रूपये 19.59 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। इस निधि में से सीएचटी द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और विशेष अध्ययनों के लिए क्रमश 5.94 करोड़ रूपये तथा 4.0 करोड़ रूपये जारी किए गए थे। सीएचटी द्वारा वर्ष के दौरान प्रमुख निष्पादित गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

i) v,Vk¶;y fotu ,o i,fylh 2025%

विशेषज्ञ समिति द्वारा ऑटो फ्यूल विजन एवं पॉलिसी 2025 संबंधी रिपोर्ट 2 मई, 2014 को प्रस्तुत की गई थी। सीएचटी ने रिपोर्ट तैयार करने, उसे अंतिम रूप देने और प्रकाशन करने में विशेषज्ञ समिति को व्यापक तकनीकी और सचिवालयी सहायता उपलब्ध कराई थी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रथम चरण के अंतर्गत भारत स्टेज–IV ईंधन जम्मू एवं कश्मीर सहित संपूर्ण उत्तरी भारत में लागू किया गया था। परिणामस्वरूप, देश में भारत स्टेज–IV मानक वाली लगभग 50.8% गैसोलीन और 47.7% डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

ii) ih,l; fjQkbufj;k dk fu"iknu vkj rduhdh lok djkj%

सीएचटी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पीएसयू संयुक्त उद्यम रिफाइनरियों की ओर से मैसर्स सोलोमोन एसोसिएट्स को कैलेण्डर वर्ष 2014 के लिए रिफाइनरियों की बैंचमार्किंग करने के लिए नियुक्त किया है। रिफाइनरियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की सोलोमोन ऐसोसिएट्स द्वारा पुष्टि की गई है और अंतिम रिपोर्ट फरवरी/मार्च 2016 में प्राप्त हुई है। सीएचटी ने अप्रैल 2013 में शेल ग्लोबल सोल्यूशन्स इंटरनेशनल के साथ तकनीकी सेवा करार (टीएसए) किया था। 2 वर्ष की संविदा अवधि के समाप्त होने के बाद टीएसए करार 30 जून 2015 को समाप्त हो गया। इस अवधि के दौरान, निर्धारित निशुल्क 2000 मानव घंटों की तुलना में 2284 मानव घंटों का उपयोग किया गया था।

iii) Lon'kh çkS|kfxdh fodkl%

सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं का पता लगाने और वित्तपोषण करने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) के कार्यकलापों का समन्वय करता है। एसएसी ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं और रिफाइनिंग प्रचालनों को अनुमोदित किया तथा उनका संचालन किया। वर्ष 2015–16 के दौरान, एसएसी ने तीन नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया।

iv) o"k 2015 vkj 2016 d fy, ry vkj xl lj{k.k ijLdkj%

उच्च. प्रौद्योगिकी केन्द्र ने जनवरी 2015 में "वाष्प रिसाव" तथा जनवरी 2016 में "भट्ठी बॉयलर इंसुलेशन प्रभावकारिता और भट्ठी बॉयलर दक्षता" के क्षेत्र में सर्वेक्षण कराया था। यह सर्वेक्षण रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी और एस्सार की वाडिनार रिफाइनरी सहित सभी रिफाइनरियों में एक साथ किया गया था। सीएचटी द्वारा वर्ष 2015 के सर्वेक्षण आँकड़ों का मूल्यांकन किया गया और पुरस्कारों को चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया, तथा इन्हें सितंबर, 2016 में 20वें आरटीएम के दौरान प्रदान किया गया। सीएचटी द्वारा वर्ष 2016 के आँकड़ों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

v) Hkkjrh; fjQkbufj;k dk lkj lxg%

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, रिफाइनरियों के निष्पादन का मूल्यांकन करते हुए, यह महसूस किया कि भारतीय रिफाइनरियों की सूचना को एक स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार, सीएचटी ने भारतीय रिफाइनरियों का सार संग्रह तैयार किया और उसे फरवरी 2015 में एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया, जिसमें सभी 22 रिफाइनरियों की प्रोसेस संबंधी रूपरेखा, क्षमता, प्रोसेस लाइसेंसरों आदि की जानकारी को शामिल किया गया था।

vi) dk;dyki lfefr dh cBd%

उत्कृष्ट प्रचालन पद्धतियों एवं सुधार जानकारी का आदान–प्रदान तथा नवीनतम विकास पर सूचना का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से, सीएचटी ने वर्ष के दौरान रिफाइनरी प्रचालनों और पाइपलाइनों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलाप समिति की बैठकों का आयोजन किया।

vii) fjQkbufj;ksa esa fu"iknu] çkfIr vkSj 0;kikj ¼ih,Vh½ ;kstuk dk dk;kZUo;u%

पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र को द्वितीय चक्र से पीएटी योजना में शामिल किया गया है, जो 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ है। देश में 23 रिफाइनरियों में से, 18 रिफाइनरियों (चार छोटी रिफाइनरियों नामतः ततिपका, कावेरी बेसिन, गुवाहाटी और डिगबोई रिफाइनरियों और नव स्थापित पारादीप रिफाइनरी को छोड़कर) को दिनांक 30 दिसंबर 2015 की राजपत्रित अधिसूचना नंबर 225 द्वारा विनिर्दिष्ट उपभोक्ता (डीसी) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

सीएचटी ने बीईई के साथ मिलकर प्रत्येक रिफाइनरी की जटिलता, आँकड़ों के सत्यापन, प्रलेखन और आधार–वर्ष के लिए प्रस्तुत गणना को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट ऊर्जा खपत की गणना करने की पद्धति उपलब्ध कराई है।

viii) vU; dk;Zdyki%

सीएचटी ने विभिन्न परियोजनाओं हेतु आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदनों की समीक्षा और जांच की तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपना विश्लेषण/सिफारिशें प्रस्तुत की।

4.4 rsy m|¨x Lkqj{kk funs'kky; ¼vksvkbZ,lMh½

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(ओआईएसडी),पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है और जिसे पेट्रोलियम उद्योग में मानक बनाने, सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाए जा सकें और इस उद्योग में निहित जोखिम को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियों अर्थात अन्वेषण व उत्पादन,शोधन,गैस प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण, पर्यावरण आदि को शामिल करते हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्व–नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। ओआईएसडी का उद्देश्य तेल उद्योग सदस्यों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों, के समन्वय से तेल व गैस इंस्टालेशनों में सुरक्षा को बढ़ाना है।

वर्ष 2015–16 के दौरान ओआईएसडी को ओआईडीबी से सहायता–अनुदान के रूप में रूपये 16.25 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। ओआईएसडी द्वारा वर्ष के दौरान प्रमुख निष्पादित गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

i) vksvkbZ,lMh }kjk lqj{kk v‚fMV% foÙk o"kZ 15&16

ओआईएसडी, सभी प्रकार की तेल व गैस इंस्टालेशनों की उनके ओआईएसडी मानकों के मुताबिक निगरानी करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है। वर्ष 2015–16 के लिए ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट निष्पादन नीचे निर्दिष्ट है:

xfrfof/k;k	en	;kstuk	okLrfod
मूल ऑडिट			
रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र	संख्या	14	14+22*
विपणन संस्थापनाएं	संख्या	70	49+49*
अंवेषण व उत्पादन तटीय संस्थापनाएं	संख्या	50	50
अंवेषण व उत्पादन अपतटीय संस्थापनाएं	संख्या	16	17
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें	कि.मी.	7000	6892
अतिरिक्त ऑडिट पाइपलाइनें इंस्टालेशनें			
हाइड्रोकार्बन परिवहन के लिए जेट्टी पाइपलाइनें	संख्या	01	
पाइपलाइंस क्रूड फार्म्स	संख्या	01	
एस पी एम संस्थापनाएं	संख्या	02	

*पीसीएसए

ii) i o dehʼkfuax lqj{kk v,fMV¼ih lh , l ,½

सुरक्षित व उत्पादक पूंजीकरण सुनिश्चित करने और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए ओआईएसडी तेल व गैस उद्योग में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट करता है। ये ऑडिट वहां आयोजित किए जाते हैं जहां ग्रीनफील्ड विस्तार और मौजूदा लोकेशनों पर मुख्य अतिरिक्त सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं ताकि निर्माणावस्था पर ही ओआईएसडी मानकों के मुताबिक इन सुविधाओं का प्रारंभ से ही अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2015–16 के दौरान उपयोक्ता उद्योग सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रकार के 71 ऑडिट किए गए। इस संदर्भ में 11 पाइपलाइन इंस्टालेशनों को कवर करने वाली 567 कि मी लंबी पाइपलाइन का भी ऑडिट किया गया।

iii) v i r Vh; bLVkyʼkuks d fy, Þçpkyu dh lgefrß

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (अपतटीय प्रचालनों में सुरक्षा),नियमावली,2008 के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए सक्षम प्राधिकरण के तौर पर ओआईएसडी ड्रिलिंग रिगों सहित अपतटीय इंस्टालेशनों में "प्रचालन की सहमति" प्रदान करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान 76 ड्रिलिंग प्लेटफार्मों और – 09 ड्रिलिंग रिगों में "प्रचालन की सहमति" प्रदान की गई है।

iv) r duhdh lxkf"B;k@lEeyu@dk;ZʼkkykO

अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकास पर चर्चा करने,घटना अनुभव साझा करने आदि के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा तेल उद्योग के लिए तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान ओआईएसडी ने निम्नलिखित संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएं आयोजित कीं :

(i) 18–19 सितंबर, 2015 के दौरान चेन्नई में 'वैल कंट्रोल एवं वोर्कोवर परिचालन' विषय पर ओ एन जी सी के साथ संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई।

(ii) दिनांक 05 फरवरी 2016 को 'ए एस एम इ कोड्स तथा गुणवत्ता आश्वासन' विषय पर अमेरीकन सोसाइटी ऑफ मैकानिकल इंजीनीयर्स (एएसएमई) के साथ संयुक्त तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन नोएडा में किया गया ।

v) ^ry m|kx lqj{kk iqjLdkjk* d ek/;e l m|kx e lqj{kk fu"iknu dk çkRlkgu

उद्योग सदस्यों के सुरक्षा निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन विशेष रूप से विकसित कार्यप्रणाली द्वारा किया जाता है जिसमें जुडे खतरों, वर्ष के दौरान दर्ज की गई घटनाओं ओर इंस्टालेशन की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को संज्ञान में लिया जाता है। वर्ष के दौरान असाधारण सुरक्षा निष्पादन हासिल करने वाले संगठनों को तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों से नवाजा जाता है। वर्ष 2013–14 के लिए प्राप्तकर्ताओं को 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार' 04 अगस्त, 2015 को माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस द्वारा प्रदान किए गए।

माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कर कमलो से तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार ग्रहण करती हुई कुछ गौरवान्वित संस्थाएं

vi) vk vkbZ ,l Mh }kjk nks lqj{kk mi;ksxh laxzgksa dk ladyuA

तेल और गैस उद्योग में सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय ने दो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संग्रह संकलित किए हैं । इन संग्रहों का विमोचन श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया। इनमें से एक संग्रह तेल और गैस से संबन्धित सभी स्थापनाओं यथा रिफाइनरियों और गैस संसाधन सयंत्रों, खोज एवं उत्पादन स्थापनाओं, विपणन प्रचालन स्थापनाओं, क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों इत्यादि सभी में किए जाने वाले सुरक्षा ऑडिट के लिए 'सुरक्षा ऑडिट चेकलिस्ट' संकलित की गई हैं। दूसरे विमोचित संग्रह में 2004–15 की अवधि में तेल और गैस उद्योग में हुई बड़ी दुर्घटनाओं का विश्लेषण संकलित है। पुस्तिका में असफलता के मुख्य कारणों और साइट पर हुई बड़ी घटनाओं से प्राप्त सीखों को संकलित किया गया है।

'सुरक्षा ऑडिट चेकलिस्ट' नामक संकलन के नई दिल्ली में आयोजित तेल उद्योग सुरक्षा समारोह में विमोचन के अवसर पर माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम सचिव एवं संयुक्त सचिव (रिफाइनरी)

vii) lqj{kk ifj"kn

भारत में तेल व गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद स्थापित की। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) सुरक्षा परिषद की सहायता करता है,जिसके प्रमुख सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं और सदस्य, स्टोकहोल्डर के संपूर्ण विस्तार–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों के साथ–साथ संबद्ध विशेषज्ञ निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुरक्षा निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा परिषद वर्ष में एक बार मिलती है और 15 मार्च,2016 को परिषद की 32वीं बैठक हुई थी।

viii) lqj{kk ekudksa dk fodkl

ओआईएसडी सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से तेल व गैस क्षेत्र के लिए मानक मार्ग/निर्देश/अनुशंसित सिफारिशें विकसित करता है जिसमें सभी स्टोकहोल्डर (बड़े पैमाने पर जनता सहित) को शामिल किया जाता है, प्रतिनिधियों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए अंतर राष्ट्रीय मानकों से जानकारी लेकर उन्हें भारतीय स्थितियों के मुताबिक अनुकूल बनाया जाता है। इन मानकों में इनबिल्ट डिजाइन सुरक्षा,परिसंपत्ति विश्वसनीयता और पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रोसेसिंग,भंडारण व परिवहन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रचालन पद्धतियां शामिल हैं। आज की तारीख तक तेल उद्योग के लिए ओआईएसडी ने 120 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। इनमें 11 मानकों को पेट्रोलियम नियमावली और गैस सिलेंडर नियमावली के सांविधिक प्रावधानों में शामिल भी कर लिया गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान ओआईएसडी ने 2 नए मानक बनाए हैं और मौजूदा मानकों में 8 मानकों को संशोधित किया है। इस समय चार नए मानक तैयार किए जा रहे हैं और मौजूदा ओआईएसडी मानकों के छह अन्य मानक संशोधन के लिए हाथ में लिए गए हैं।

ix) ?kVuk tkp o fo'y"k.k

ओआईएसडी दुर्घटना के मूल कारण का विश्लेषण करने के लिए मुख्य घटनाओं (गंभीरता/क्षति के आधार पर) की जांच के साथ–साथ जांच में भाग लेता है। तेल उद्योग की घटनाओं का एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों,सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें उसी समय सुरक्षा अलर्टों,परामर्शी नोटों,कार्यशालाओं,प्रशिक्षण कार्यक्रमों,वैबसाइट लिंकों आदि के माध्यम से उद्योग को प्रसारित किया जाता है। 2015 –16 के दौरान ओआईएसडी द्वारा 16 बड़ी घटनाओं की जांच की गई।

x) vU; egRoi.k fØ;kdyki

çeq[k cnjxkgk dh v,;y fLiy fjLikl ¼vk, lvkj½ {kerk vkj vfXu&'keu ç.kkyh dk vkdyu dju d fy, vkvkb, lMh v,fMV

देश के तेल और गैस स्थापनाओं की सुरक्षा ऑडिट के अतिरिक्त ओआईएसडी से देश के बारह प्रमुख बंदरगाहों की स्वतंत्र ऑडिट का अनुरोध किया गया। इन ऑडिटों का मुख्य उद्देश्य इन बंदरगाहों की ऑयल स्पिल रिस्पांस (ओएसआर) क्षमता और अग्नि–शमन प्रणाली का आकलन करना था। ओआईएसडी ने इस उद्देश्य से विशेष ऑडिट किए और जहाजरानी मंत्रालय (पोर्ट्स विंग), भारत सरकार, को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की।

iVkfy;e çpkyuk d fy, lkbV iuLFkkiu lc/kh fn'kk&fun'k

पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए साइट पुर्नस्थापन संबंधी दिशा–निर्देश विकसित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित समिति में ओआईएसडी एक प्रमुख सदस्य था। ओआईएसडी ने उपर्युक्त दिशा–निर्देश निर्धारण में परमानेंट वेल एबंडनमेंट और अपतटीय संरचनाओं को हटाने संबंधी अपेक्षाओं से जुड़े खंडों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पेट्रोलियम गतिविधियों के समापन के उपरांत देश में सभी प्रचालकों के लिए उपर्युक्त दिशा–निर्देशों में विहित एबंडनमेंट और साइट पुनर्स्थापन पद्धतियों का अनुपालन वैधानिक बाध्यता हो जाएगी।

iVkfy;e ,o çk—frd xl m|kx d fy, lj{kk fu;ked

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति और बिभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुरूप ओआईएसडी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेफ्टी बोर्ड बिल का मसौदा तैयार किया है। बिल का उद्देश्य देश में समस्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में सुरक्षा संबंधी विनियमों को एक छत्र के नीचे लाने वाला संगठन बनाना है।

बिल के पास होने पर देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में सुरक्षा संबंधी वैधानिक तंत्र के विखंडन से बचा जा सकेगा और इस उद्योग की सुरक्षा संबंधी मामलों को देखने के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) विधि द्वारा स्थापित एकमात्र एजेंसी होगी। बिल सचिवों की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में बिल सचिवों की समिति के विचाराधीन है।

,ech yky lfefr dh flQkfj'kk dk ekuhVj.k

समस्त तेल और गैस क्षेत्र में एम बी लाल समिति की सिफारिशों एवं ओआईएसडी–116 एवं 117 के अनुपालन की ओआईएसडी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सघन मानीटरण और समीक्षा की जा रही है। इस प्रकार की नियमित समीक्षा बैठकों के परिणाम–स्वरूप सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मदों को लागू करने की गति में महत्वपूर्ण तेजी आई है। उद्योग में लगभग 99% सिफारिशों का अनुपालन हो रहा है और शेष मदों का कार्यान्वयन उन्नत चरणों में हैं।

4.5 isVªksfy;e ;kstuk vkSj fo'ys"k.k çdks"B ¼ihih,lh½

पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की संरचना दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरांत, तेल समन्वय समिति को भंग कर दिया गया और दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रुप में सरकार को निम्न लिखित कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया:

(क) पीडीएस केरोसीन एवं घरेलु एलपीजी पर सब्सिडी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी की प्रबंध व्यवस्था

(ख) आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थितियों से मुकाबला करने के लिए सूचना डेटा बैंक और संचार प्रणाली का अनुरक्षण

(ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलु कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण

(घ) पेट्रोलियम आयातों और निर्यातों की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन

(ङ) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हों ।

वर्ष के दौरान, तेउविबो द्वारा पीपीएसी के व्यय की पूर्ति हेतु 17.77 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। पीपीएसी के अनुसार, वर्ष के दौरान के दौरान पूर्ण की गई मुख्य: गतिविधियां :

I) rsy foi.ku daifu;ksa dks lfCIMh ,oa MhchVh,y nkoksa dk fuiVku

1 अप्रैल 2015 से, पीडीएस केरोसीन एवं घरेलु एलपीजी सब्सिडी योजना, 2002 और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी के अधीन चालू वित्त वर्ष में अब उपलब्ध नहीं है । तथापि, मुख्य् सब्सिडी एवं भाड़ा सब्सिडी योजनाओं के अधीन रुपये 3296.18 करोड़ और रुपये 0.59 करोड़ की राशि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ बजट के अभाव में तेल विपणन कंपनियों को वितरण के लिए लंबित है ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015–16 के लिए रुपये 16056 करोड़ के एलपीएफ (डीबीटीएल) दावे के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संसाधित किए गए हैं । इसमें से रुपये 10515 करोड़ तेल विपणन कंपनियों को वितरित कर दिए गए हैं । बजटीय निधि के अभाव में, बकाया लंबित रह गया है ।

ii) iwoksZÙkj xSl lfCIMh nkoksa dk fuiVku

वर्ष 2015–16 के दौरान, पीपीएसी द्वारा संसाधित दावों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी के रुप में 660 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया ।

iii) rsy foi.ku daifu;ksa dks vaMj fjdojh ds nkoksa dk fuiVku

वर्ष 2015–16 के दौरान, पीडीएस केरोसीन एवं सब्सिडाइज्ड् घरेलु एलपीजी (नॉन डीबीटीएल) पर रुपये 11515 करोड़ के कुल अंडर रिकवरी दावों की छानबीन की गई और उसके मुआवजे की क्रियाविधि पीपीएसी द्वारा तैयार की गई थी । बोझ सांझा करने की क्रियाविधि के तहत, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर छूट के रुप में पीएसयू अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा रुपये 1251 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया और सरकार द्वारा नकद सहायता के रुप में 10245 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई । रुपये 18 करोड़ की बची हुई अंडर रिकवरी को तेल विपणन कंपनियों द्वारा अवशोषित कर लिया गया था ।

iv) ?kjsyw çk—frd xSl ewY; vf/klwpuk

प्राकृतिक गैस की कीमतों के समय–समय पर हुए संशोधन को अधिसूचित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया है । तदनुसार, अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 और अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 की अवधि के लिए पीपीएसी द्वारा प्राकृतिक गैस की कीमत अधिसूचित की गई थी।

v) xSl ewY; lhek vf/klwpuk

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मार्च, 2016 में गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी और उच्च दवाब–उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए वैकल्पिक ईंधन लदान मूल्य के सीमा आधार पर मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता की अनुमति दी थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उक्त अधिसूचना के तहत, महानिदेशक, पीपीएसी को गैस की कीमतों की सीमा के सामयिक संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया है । तदनुसार, वर्ष 2015–16 के दौरान, अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 की अवधि के लिए पीपीएसी द्वारा गैस की कीमत अधिसूचित की गई थी ।

vi) ,d {ks= esa rsy laLFkkuksa dh vf/kd la[;k gksus ds dkj.k Hkkjr dh vlqj{kk ij vkrfjd v/;;u A

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल और गैस सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। समझौता ज्ञापन के तहत, भारत के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया आकलन (ईआरए) आईईए द्वारा आयोजित किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आईईए द्वारा प्रस्तुत अंतिम ईआरए रिपोर्ट में आईईए ने सिफारिश की थी कि भारत को एक क्षेत्र में तेल संस्थानों की अधिक संख्या होने के कारण अपनी असुरक्षा पर एक अध्ययन करना चाहिए । पीपीएसी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईएसपीआरएल, ओएनजीसी, ओआईएल और एस्सार आदि जैसे विभिन्न शेयरधारकों से प्राप्त प्रासंगिक डेटा तथा अपने आंतरिक डेटाबेस का उपयोग करते हुए एक अध्ययन किया । मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

vii) vxys rhu lkyksa esa laiw.kZ vkiwfrZ J`[kyk jln dks /;ku esa j[krs gq, jlksbZ xSl fuos'k lq/kkj ds fy, ,d O;kid ekLVj Iyku rS;kj djuk A

अगले तीन साल में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला रसद को ध्यान में रखते हुए रसोई गैस निवेश सुधार के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने में सहयोग के लिए एक बाहरी एजेंसी को काम पर लगाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीपीएसी को निर्देश दिया । तदनुसार, पीपीएसी ने एक बाहरी एजेंसी को काम पर लगाया जो व्यापक हितधारकों के विचार–विमर्ष के बाद मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट समीक्षाधीन है । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ कम एलपीजी पैंठ वाले 13 राज्यों के 120 जिलों में फैले 1,03,000 असंबद्ध परिवारों (अर्थात वे परिवार जिनके पास रसोई गैस कनेक्शन नहीं है) हेतु किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है । सर्वेक्षण में इन 120 जिलों के 1418 ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करने में उक्त दर्शाए 13 राज्यों में असंबद्ध परिवारों की धारणाओं एवं अपेक्षाओं को लिया गया है।

एनएसएसओ सर्वेक्षण के 68वें दौर के डेटा के सर्वेक्षण करते हुए, यह ज्ञात हुआ कि कुल कैरोसीन खपत का 76.8% देहाती क्षेत्रों में है और पीडीएस केरोसीन की 51.3% खपत एएवाई एवं बीपीएल कार्डधारकों द्वारा हुई है। डेटा यह भी दर्शाते हैं कि उपयोग में लाया गया 75.5% केरोसीन पीडीएस स्रोतों से प्राप्त किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट मंत्रालय को जुलाई 2014 में प्रस्तुत की गई थी।

viii) iVªksfy;e mRiknksa ds vk;kr dh fu;fer leh{kk ds rU= dks lLFkkxr :Ik nsukA

वाणिज्य मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के भीतर गौण आयात को युक्तिसंगत बनाने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के आयात की नियमित रूप से समीक्षा के लिए एक तंत्र को संस्थागत रूप देने के लिए संबद्ध विभागों/मंत्रालयों को सलाह दी थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नवम्बर, 2014 में पीपीएसी से अनुरोध किया कि वह कच्चे तेल और पेटोलियम उत्पादों के आयात की समीक्षा के लिए प्रस्तावित तंत्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हितधारको से जानकारी लेकर पीपीएसी ने मामले की जॉच की और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए एक समीक्षा तंत्र प्रस्तावित किया।

अध्याय–4

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है । हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड उपकर व अन्य नवीन संसाधन जुटाने के दृष्टिकोण के माध्यम से गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है ।

2. viLVªhe {k=

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना/परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने और तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जा सकती है। तद्नुसार, एक समिति का गठन तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नानुसार किया गया : –

महानिदेशक, डीजीएच	अध्यक्ष
सचिव, तेउविबो	सदस्य
निदेशक (अन्वेषण), ओएनजीसी	सदस्य
निदेशक–आईआईपी, देहरादून	सदस्य
निदेशक (आर एंड डी) – आईओसीएल	सदस्य
निदेशक (तकनीकी) – ई आई एल	सदस्य
महानिदेशक–पेट्रोफेड	सदस्य

महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति शामिल हैं उनके द्वारा प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है । समिति की सिफारिशें तेउवि बोर्ड को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं । वे परियोजनाएं जिन्हें तेउवि बोर्ड द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया जाता है उन्हें तेउवि बोर्ड के नियम 24 (i)(ii) की शर्तों पर अनुदान जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है । स्थापना के समय से, तेउवि बोर्ड/केंद्रीय सरकार द्वारा अब तक 120 से अधिक परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है । इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के कार्य संपन्न हो चुके हैं और उन्होंने तेल उत्पादन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा अन्वेषण के नए क्षेत्रों की पहचान के रूप में तेल उद्योग के लिए अत्याधिक लाभ अर्जित किए हैं ।

2.1 ifj;kstukvksa dh iqujh{kk

तेउवि बोर्ड द्वारा महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति शामिल हैं, समय–समय अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है । उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिक कुशलतापूर्वक किए जाने हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं ।

2.2 viLVªhe {k= ds vUrxZr vuqla/kku vkSj fodkl ifj;kstuk,a & 1-05 djksM+ #i, dk vuqnku

एनजीएचपी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा तकनीकी रूप से संचालित, राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों नामतः ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड

तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नामतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ), नेशनल ज्योफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) का एक परिसंघ है ।

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम अभियान – 01 ने सफलतापूर्वक कृष्णा गोदावरी, महानदी और अंडमान बेसिनों में गैस हाइड्रेट की उपस्थिति को सुनिश्चित किया है । इसने भारतीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाया है । इन खोजों ने देश के साथ–साथ विदेशों में भी गैस हाइड्रेट के व्यापक और गहन अनुसंधान को प्रेरणा प्रदान की है । अध्ययनों के परिणामस्वरूप बडी संख्या में प्रकाशन तथा वैज्ञानिक डेटा भी सामने आए हैं । जैसा कि गैस हाइड्रेट अभी भी वैश्विक अनुसंधान स्तर पर है और किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन समुद्रीय गैस हाइड्रेट्स से सिद्ध नहीं किया गया है, इन आंकडों तथा प्रकाशनों का गैस हाइड्रेट के क्षेत्र के आगामी अनुसंधानों में अत्याधिक महत्व है ।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्करण परियोजना की परिकल्पना में, सभी अनुसंधानों तथा वैज्ञानिक जांचों को एक एकल मॉड्यूल में सम्मेलित करने की अभिच्छा है जिससे अनुसंधानकर्ता देश में गैस हाइड्रेट के क्षेत्र में किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों की प्रगति को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम हो सकें । वैज्ञानिक अनुसंधान संस्करण का विचार, भावी वैज्ञानिकों के आगामी शोध तथा अध्ययन को बढावा देने का है । राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों के माध्यम से एनजीएचपी अभियान–01 के दौरान बडी मात्रा में उत्पन्न डेटा एनजीएचपी के भावी कार्यक्रमों के लिए भी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे ।

3. MkmuLVªhe {ks=

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है । ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं । वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य तेल उद्योग क्षेत्रों से संबंद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं । इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है । हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है ।

MkmuLVªhe {ks= ds varxZr vuqla/kku vkSj fodkl ifj;kstuk,¡ & oSKkfud lykgdkj lfefr ¼,l,lh½

सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और वित्त पोषण करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की 73वीं बैठक हैदराबाद में 7 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई थी । सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों की संशोधन उपरांत समीक्षा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया :

(i) बिट्स पिलानी, गोवा कैम्पस, गोवा की पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रणालियों में कोक उपशमन पर प्रायोगिक और उत्प्रेरण अध्ययन।

(ii) बीपीसीएल – अनुसंधान एवं विकास द्वारा तापीय द्रव्यों तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए बाईफिनाइल के स्वदेशी उत्पादन हेतु प्रक्रियात्मक जानकारी का विकास ।

इसके अलावा, वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित नये परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया :

(i) बीपीसीएल– अनुसंधान एवं विकास तथा ईआईएल– अनुसंधान एवं विकास का ''डीसाल्टर डिजाइन हेतु पैरामीटिक अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास'' ।

(ii) आईआईसीटी, हैदराबाद के ''3 बीआरडी, चंडीगढ़ में भारतीय वायु सेना द्वारा टीवी 2 एरो इंजन पर स्वदेशी रूप से जमीनी व उड़ान के दौरान विकसित एसएएल तथा जांच सहित सिंथेटिक विमानन लूब्रिकेट्स–चरण–।।''

एसएसी ने हाइड्रोजन कॉर्पस निधि (एचसीएफ) के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्त–पोषित हाइड्रोजन परियोजनाओं को पूर्ण करने के पश्चात इसके परिणामों पर भी विचार विमर्श किया ।

(i) एचपीसीएल तथा आईआईटी, दिल्ली द्वारा ''कैटेलेटिक अपघटन द्वारा प्राकृतिक गैस (मिथेन) से हाइड्रोजन का उत्पादन''।

(ii) एचपीसीएल तथा गीतम विश्वविद्यालय, विशाख के ''हाइड्रोजन के भण्डारण के लिए धातु–आर्गेनिक ढांचागत सामग्रियों का डिजाइन और निर्माण'' ।

4 rduhdh lLFkkuk@lh,lvkbvkj i;kx'kkykvk dk Lkgk;rk

तेल उद्योग विकास बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों यथा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) इत्यादि को मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि ये संस्थान तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चला सकें।

वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार/तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया है : –

¼djkM :i;s e½

Øe l[;k lLFkkuk dk uke	jkf'k
¼d½ vuqlaa/kku ,oa fodkl vuqnku	
1. राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी चरण – ।।)	1.05
2. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (अनु0एवं वि0)	38.50
dqy	39-55
¼[k½ rduhdh@Hkkjr ljdkj }kjk iz;kstr ;kstuk,@ifj;kstuk,	
3. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), रायबरेली	20.64
dqy	20-64

4.1 jk"Vªh; xSl gkbMsªV dk;Øe ¼,uth,pih½

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) का संचालन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा और समन्वयन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा किया जा रहा है। एनजीएचपी राष्ट्रीय ई एंड पी कंपनियां नामतः ओएनजीसी, गेल, आयॅल इंडिया लिमिटेड, आईओसी और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों जैसे एनआईओ एनआईओटी और एनजीआरआई का एक संघ है। ओएनजीसी द्वारा 1988 से 2003 की अवधि के दौरान कृष्णा गोदावरी बेसिन (अपतट)काबेरी बेसिन (अपतट)मन्नार की खाडी और पश्चिमी अपतट के डाटा का अध्ययन गैस हाइड्रेट संभाव्यता के आकलन हेतु किया गया था। इन अध्ययनों ने एनजीएचपी–0। के कार्यक्रम के निरूपण में तकनीकी सहायता मुहैया करवायी, जिसमें 21 स्थलों पर वर्ष 2006 में शिप जोइडेस रेजोल्यूशन का उपयोग करके भारतीय अपतट में ड्रिल/कोर किया गया था । भविष्य में गैस हाइड्रेट एक उर्जा स्रोत के रूप में काफी वैश्विक रूचि उत्पन्न कर रहा है। अमेरिका जापान, कोरिया, चीन जैसे देशों ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। भारत ने यह यात्रा वर्ष 1997 में राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) के गठन से आरंभ की थी। भारत ने वर्ष 2006 में एनजीएचपी अभियान–0। पूरा किया और भारत के पूर्वी तट में केजी, महानदी और अण्डमान बेसिनों में गैस हाइड्रेट की मौजूदगी सुनिश्चित की।

एनजीएचपी की संचालन समिति ने 7 अक्टूबर, 2013 को हुई 15वीं बैठक में एनजीएचपी अभियान–02 के निष्पादन को अनुमोदित किया था। एनजीएचपी अभियान–02 वर्तमान में निष्पादन के अधीन है और इसमें

एलडब्ल्यूडी / एमडब्ल्यूडी(ड्रिलिंग के दौरान लॉगिंग / ड्रिलिंग के दौरान मापन) परम्परागत कोरिंग / दबाव कोरिंग, वायरलाइन लॉगिंग, उर्ध्वाधर भूकंपीय प्रोफाइलिंग (वीएसपी) और मॉड्यूलर डायनामिक परीक्षण (एमडीटी) प्रचालनों को केजी और महानदी गहरे अपतटीय क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट स्थिरता क्षेत्र के भीतर रेत बहुलता वाले निक्षेपण तंत्रों की पहचान के उद्देश्य से किया जाना शामिल है। एनजीएचपी अभियान–02 की लागत को ओआईडीबी(50 प्रतिशत) ओएनजीसी (20 प्रतिशत), ओआईएल (10 प्रतिशत) गेल (10 प्रतिशत) आईओसीएल (10 प्रतिशत) द्वारा साझा किया जाएगा । फील्ड और प्रयोगशाला अध्ययनों का एकीकरण और पायलट उत्पादन परीक्षण एनजीएचपी अभियान–03 के दौरान किया जायेगा।

एनजीएचपी के सदस्य संगठनों ने कृष्णा गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन में कुल 87 स्थलों का प्रस्ताव किया था। इनकी समीक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक दल द्वारा की गई थी। समीक्षा के आधार पर लगभग 34 प्राथमिक ओर वैकल्पिक लक्ष्यों को चिन्हित किया गया था। ये लक्ष्य पूर्वी तट के साथ–साथ उत्तर से दक्षिण की ओर सभी चार भौगोलिक क्षेत्रों नामतः महानदी बेसिन में 'ए', कृष्णा–गोदावरी बेसिन में 'बी', 'सी' और 'ई' में आते हैं।

ओआईडीबी द्वारा सीधे वित्त–पोषण के अधीन होने वाली दो एनजीएचपी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और निष्पादक संगठनों को निधियां जारी किए जाने हेतु औपचारिकताएं अग्रिम चरण में हैं।

,pth,pih d vrxr vuql/kku ifj;ktuk,¡

ऊष्मा हस्तांतरण पर सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करने के लिए ओएनजीसी–आईआईटी खडगपुर द्वारा एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना की गई। परियोजना के परिणाम काफी महत्वपूर्ण थे जैसाकि यह पता चला कि उष्मा हस्तांतरण दरें काफी कम थी और इसलिए तापीय स्टीमूलेशन द्वारा अंतिम उत्पादन दर काफी कम होगी। परिणाम की उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डीप्रेशराइजिंग (अदबावीय) तथा सीक्वेसट्रेशन (प्रच्छादन) जैसी अन्य तकनीकों के महत्व को दर्शाती है।

एनजीआरआई ने एनजीएचपी के अंतर्गत एक अनुसंधान परियोजना में प्रयोगशाला में गैस हाइड्रेट के संश्लेषण और रमन माइक्रोफोन का उपयोग करते हुए आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करने संबंधी प्रयोगात्मक अध्ययनों को सफलतापूर्वक पूरा कर कोर दक्षता विकास को प्रदर्शित किया है।

,pth,pih vfHk;ku&03

अभियान–03 में भारतीय गहरे–जल परिवेश में कम से कम एक स्थल पर पायलट उत्पादन परीक्षण किए जाने का लक्ष्य एनजीएचपी अभियान–02 की सफलता पर निर्भर करेगा।

1. जबकि 2 मुख्यतः कोर होल्स के परिणाम, भण्डारों की उपस्थिति प्रमाणित नहीं कर सके और अधिक कोर होल्स ड्रिल नहीं किए जाने चाहिए।

2. कुओं की ड्रिलिंग से यह सुनिश्चित होता है कि जिन्हें लिग्नाईट समझ कर चिन्हित किया गया था वो वास्तव में लिग्नाइट नहीं है।

वर्ष के दौरान तेउविबो ने 0.83 करोड़ रूपये इस परियोजना के लिए जारी किए।

4.2 bfM;u vk;y dkikj'ku fyfeVM ¼vuql/kku ,o fodkl½

INDApeptG प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड ने 38.50 करोड रूपये का अनुदान दिया। INDApeptG प्रौद्योगिकी क्रेकड गैसोलीन फीडस्टॉक के डी–सल्फरराईजेशन के लिए इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी है। यह प्रौद्योगिकी न्यूनतम हाइड्रोजन खपत तथा आक्टेन क्षय के सल्फर मानकों के साथ क्रेक गेसोलीन के सघन डी–सल्फराईजेरेशन के लिए अभिष्ट है। यह प्रौद्योगिकी स्व–विकसित अधिशोषक है, जो गेसौलीन में से सल्फर को अनुकूलतम संचलन स्थिति में एक द्वितीय कियाशील अवशोषण प्रक्रिया द्वारा हटा देता है। यह प्रकिया प्रचालन वाले दो दोलायमान स्थिर तल–रिएक्टरों में

होती है। जिसमें से एक अवशोषण प्रकार है और दूसरा संपोषण प्रकार का। जहॉं तक प्रौद्योगिकी का प्रश्न है यह एक अद्वितीय ईकाई है और इसका संयुक्त रूप से ईआईएल के साथ लाइसेंस प्राप्त किया जा रहा है। गुहावटी रिफाइनरी में 3500 टीपीए की एक प्रदर्शन ईकाई सितम्बर 2016 में आरंभ होने की संभावना है। परियोजना की अनुमानित लागत रूपये 125 करोड़ है इसमें से तेउविबो द्वारा 88.5 करोड़ रूपये का वित्त पोषण अनुदान के रूप में और शेष आईओसीएल द्वारा वित्त पोषित किए जा रहे हैं। ईकाई की संरचना 50 पीपीएम से कम सल्फर वाले भारी गैसोलिन उत्पाद उत्पन्न करने के लिए की गई।

4.3 jkthoxk/kh iVªksfy;e çkS|ksfxdh lLFkku] jk;cjsyh

राजीव गॉंधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआइपीटी) की स्थापना संसद के अधिनियम (2007 का अधिनियम 54) के अंतर्गत की गई । यह संस्थान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है और इस संस्थान के परिसर का निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता से तथा तेउविबो के अनुदान द्वारा किया जा रहा है । इस संस्थान के आवर्ती व्ययों की पूर्ति छात्रों से मिलने वाली फीस के संग्रहण के अलावा मुख्य तेल कंपनियों (ओएनजीसी, आईओसीएल, ओआईएल. गेल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल) के योगदान द्वारा संचित निधि से प्राप्त ब्याज की आय द्वारा की जाती है ।

आरजीआईपीटी के उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र में तकनीकी तथा प्रबंधकीय प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए एक शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना है । संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियां वर्ष 2008 से रायबरेली तथा नोएडा के अस्थाई परिसरों में आयोजित की जा रही हैं । वर्तमान में आरजीआईपीटी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं:–

क. कैमिकल इंजीनियरिंग में बी टैक

ख. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एम टैक

ग. पेट्रोलियम एवं ऊर्जा प्रबंधन में एम बी ए

घ. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पीएचडी (2012 से आरंभ)

ङ. प्रबंधन में पीएचडी (2016 से आरंभ)

च. फिलहाल 7 एमबीए के बैच, 5 बीटैक और एम टैक बैच के छात्रों ने आरजीआईपीटी से स्नातक उपाधि प्राप्त की है।

e[; 'kSf{kd dSEil t;kl] ftyk vesBh

जयास परिसर का उद्घाटन 22 अक्टूबर 2016 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया। परिसर का निर्माण जयास, जिला अमेठी (उत्तरप्रदेश) में 47 एकड जमीन पर किया गया। परिसर की परियोजना लागत 519.10 करोड़ रुपए है परिसर का निर्माण क्षेत्र 9 लाख वर्ग फुट है और ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेंसमेंट (गृह) की आवश्यकताओं को देखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित किया गया है।

प्रथम चरण में संकाय/स्टाफ आवास, छात्रों के लिए छात्रावास, डाइनिंग हाल, व्यायामशाला, दुकानें, बैठक कक्ष, कैफेटेरिया, इंडोर खेल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर केन्द्र में 1000 से अधिक छात्रों को समायोजित करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक प्रशासनिक ब्लॉक (अध्यक्ष, निदेशक और उपनिदेशक का कक्ष, बोर्ड रूम, रजिस्ट्रार डीन और अन्य कर्मचारियों के लिए केबिन) कक्षाओं के लिए दो शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, सम्मेलन कक्ष, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कमरे हैं। व्याख्यान कक्ष (विवेकानंद सभागर) में 450 छात्रों के बैठने की क्षमता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अतिथि छात्रावास, एक सम्मेलन कक्ष, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र और घर की दुकानों के लिए वाणिज्यिक परिसर, डाकघर, बैंक और उपयोगिता भवन (सबस्टेशन और संयंत्र रूम) की सुविधाएं हैं।

v l e dUn & f t yk f lok lkxj ¼v l e½

आरजीआईपीटी के असम केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल मैनपावर की कमी को पूरा करना था। इस शैक्षणिक केन्द्र में कुशल तकनीकी मैनपावर डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा स्तर का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। केन्द्र की आधारशिला 18 फरवरी 2011 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी। निर्माण की पूंजीगत व्यय रूपये 143 करोड को ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, आईओसीएल, एनआरएल, ईआईएल तथा तेउविबो द्वारा साझा किया जाएगा। आवर्ती खर्चे तेल क्षेत्र की उपरोक्त सार्वजनिक कंपनियों की अन्य निधियों के योगदान द्वारा पूरे किये गये।

परियोजना कार्य क्षेत्र संबंधित विभिन्न मामले जैसे भूमि की भराई और पाइलिंग काम के कारण परियोजना के निष्पादन में देरी के कारण परियोजना की लागत 143 करोड रूपये से बढ़कर 235 करोड रूपये हो गई। तेउविबो और तेल क्षेत्र की कंपनियों ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सिवासागर परियोजना के लिए अतिरिक्त पूंजी कोष देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दी है। पूरा प्रस्ताव संशोधन हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है और निधियां देने के स्वरूप का पुनर्निमाण किया जा रहा है।

vfXu lqj{kk bathfu;fjx vkSj cxyksj esa vkjthvkbZihVh dk lk;koj.k vuqla/kku dsUnz ¼,Q,lbZbZvkjLkh½

वर्ष 2011 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आरजीआईपीटी को भारत के दक्षिण भाग में आरजीआईपीटी केन्द्र की स्थापना के लिए व्यवर्हाता अध्ययन करने की सलाह दी। आरजीआईपीटी ने पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अक्टूबर 2014 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की। कर्नाटक सरकार ने केआईएडीबी को कम्बालीपुरा इंडिस्ट्रियल एरिया, होसकोटे तालुक, बेंगलूर ग्राम जिले में मुफ्त जमीन आबंटन का निर्देश दिया। 5 मार्च 2014 को माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने आधारशिला रखी।

कर्नाटक सरकार ने 150 एकड़ भूमि मुफ्त में आबंटित करने के अनुरोध को अपनी सहमति प्रदान की। इस सबंध में केआईएडीबी ने तहसीलदार, होसकोटे तालुक को हितधारकों की बैठक बुलाने और आरजीआईपीटी को बाधा रहित जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी। परियोजना की कुल लागत 478 करोड़ है, जिसमें पूंजीगत व्यय (358 करोड़ रूपये) तथा आवर्ती व्यय (120 करोड़ रूपये) शामिल है। केन्द्र स्थापित करने हेतु ईएफसी और अन्य अनुमोदन प्रक्रिया में है।

तेउविबो ने वर्ष 2015–16 के दौरान आरजीआईपीटी के रायबरेली केन्द्र के लिए 20.64 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

5. gkbMªkstu d,iLk QaM ¼,pLkh,Q½

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है । भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए का एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है:

1	तेउविबो	40 करोड़ रुपए
2	ओएनजीसी, आईओसी, गेल	16 करोड़ रुपए प्रत्येक
3	एचपीसीएल, बीपीसीएल	6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है । तेउविबो द्वारा अब तक 40 करोड़ रुपए की राशि का योगदान इस कोश में दिया गया है । मेसर्स आईओसीएल और ओएनजीसी ने पहले से ही ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ कर दी हैं ।

अध्याय–5

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एस पी वी) के माध्यम से 5 एमएमटी कच्चे तेल का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक यह विशेष प्रयोजन व्यवस्था प्रारंभ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। बाद में 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। कैवर्न का निर्माण विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) स्थानों पर किया जा रहा है। एक बार कैवर्न पूरी होने पर इन भंडारों में भारत की शुद्ध आयात की 13 दिनों आवश्यकताओं के बराबर कच्चे तेल को भंडारित किया जा सकता है।

इस स्ट्रेटेजिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत का आरम्भिक अनुमान सितम्बर 2005 में 2397 करोड़ रूपये आँका गया जो अब संशोधन के बाद 3832.56 करोड़ हो गया।कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी 31.03.2016 को क्रमशः 3832.56 करोड़ रूपये एवं 3418.82 करोड़ रूपये है। तेउविबो की आईएसपीआरएल में इक्विटी प्रतिभागिता 31.03.2016 तक 3456.45 करोड़ रूपये की है। जिसमें से 31.03.2016 तक 159.63 करोड़ रूपये के शेयर जारी किए जाने हैं।

31.3.2016 को उपरोक्त तीनों स्थलों पर परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1- fo'kk[kkiêue ¼Hk.Mkj.k {kerk %1-33 ,e,eVh½

बोर्ड सदस्यों को यह सहर्ष सूचित करता है कि विशाखापट्टनम केवर्न को चालू कर लिया गया है। भूमिगत सिविल कार्य एचसीसी द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटीआईईएसएल द्वारा निष्पादित किये गये थे। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रही है।

विशाखापट्टनम में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

2- exykj ¼Hk.Mkj.k {kerk %1-5 ,e,eVh½

मंगलौर केवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु एमएसईजेडएल से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यों को मैसर्स एसके इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर (एसकेईसी–केसीटी जेवी) के संयुक्त उद्यम और प्रक्रिया सुविधाएं मैसर्स पुंज लायड द्वारा निष्पादित किये गये थे। भूमिगत सिविल कार्यों को पूरा कर लिया गया है और प्रक्रिया सुविधाएं भी पूर्णता कर ली गई हैं। सुविधा में 0.75 एमएमटी के प्रत्येक 2 कंपार्टमेंट हैं। केवर्न

स्वीकृति परीक्षण (सीएटी) को पूरा कर लिया गया है। उक्त के पश्चात ईआईएल ने केवर्न कंपार्टमेंटों में धारण में सुधार हेतु अतिरिक्त बोरहोल की ड्रिलिंग का परामर्श दिया है। जिसको को पूरा कर लिया गया है।

केवर्न का इनर्टाइजेशन प्रगति पर है और चालू किए जाने से पूर्व की जांचे की गई है।समग्र भौतिक प्रगति 99.72% है। प्रगति में पाइपलाइन की प्रगति शामिल नहीं है।

परियोजना को अंतिम रूप से चालू किया जाना मंगलौर बंदरगाह के निकट लैंड फॉल बिंदु से मंगलौर केवर्न तक एक मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन के माध्यम से 48'' पाइपलाइन को बिछाए जाने तथा अतिरिक्त बोरहोल पूर्ण किए जाने पर निर्भर है। 12.725 किलोमीटर पाइपलाइन में से, 12.69 किलोमीटर को पूरा कर लिया गया है तथा शेष को अप्रैल, 2016 तक पूरा किए जाने का कार्य कार्यक्रम है। परियोजना को उसके पश्चात चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

मंगलौर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

3- iknj ¼HkkMkj {kerk % 2-5 ,e,eVh½

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्यों को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे और केवर्न स्वीकृति परीक्षण भी पूर्ण हो गए हैं। सुविधा में 0.625 एमएमटी के प्रत्येक 4 कंपार्टमेंट हैं। केवर्नों का इनर्टाइजेशन पूर्ण हो गया है। परियोजना की अंतिम पूर्णता 10 किलोमीटर लम्बी 110केवीए की ओवरहेड विद्युत ट्रांसमीशन लाइन और साथ ही साथ मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन से पादुर तक एक 42'' व्यास वाली 36 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछाए जाने पर निर्भर करेगी। 35.8 किलोमीटर में से 8.49 किलोमीटर जमीन के नीचे किया गया है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइन का बिछाया जाना आरओयू मुद्दों के कारण प्रभावित हुआ है। 110 केवी एचटी लाइन हेतु लगाए जाने वाले 56 टावरों में से, 25 को खड़ा कर दिया गया है तथा 54 टावरों की नींव पूरी हो चुकी है। शेष नींव डालने का कार्य कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर किए गए आरओयू मुद्दों के कारण स्थगित है। परियोजना को चालू किया जाना विद्युत लाइन तथा पाइपलाइन की पूर्णता पर निर्भर है। परियोजना को 110केवी एचटी लाइन तथा 42'' व्यास वाली खनिज तेल पाइपलाइन को पूरा होने के पश्चात चालू किया जाएगा। पाइपलाइन प्रगति सहित परियोजना की समग्र प्रगति 98.12 % है।

पादुर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

4- lkefjd Hk.Mkj dk;ZØe dk pj.k&2

दिसम्बर, 2008 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिवस के तेल आयात के समतुल्य एक भण्डार को बनाया रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निर्देश के आधार पर, आईएसपीआरएल को चार राज्यों में चरण–2 में कच्चे तेल के 12.5 एमएमटी के सामरिक भण्डारण हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चुने गए स्थल राजस्थान में बीकानेर, ओडीशा में चांदीखोल, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में पादुर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को डीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार की जा चुकी है जिसमें संशोधित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :–

i. पादुर 2.5 एमएमटी,
ii. चांदीखोल 3.75 एमएमटी,
iii. राजकोट 2.5 एमएमटी और
iv.. बीकानेर 3.75 एमएमटी।

बाद में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एसबीआई कैप्स को चरण–2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके की सिफारिश करने हेतु नियोजित करने का आईएसपीआरएल को परामर्श दिया था। निवेशकों के साथ बैठक 8–9 जून, 2015 को हुई थी जिसमें विभिन्न तेल तथा आधारभूत ढांचागत कंपनियों ने प्रतिभागिता की थी। एसबीआई कैप्स की सिफारिशें प्राप्त हुई और उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अवगत कर दिया गया था।

अध्याय-6

अन्य पहलें / गतिविधियां

1. gkbMªksdkcZu {ks= dkS'ky ifj"kn ¼,p,l,llh½ dh LFkkiuk

सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) एवं अध्यक्ष, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 4 सितंबर, 2013 को तेल उद्योग विकास बोर्ड की 86वीं बोर्ड बैठक के दौरान तेल और गैस क्षेत्र के लिए कौशल विकास परिषद की जरूरत के मुद्दे को उठाया। यह निर्णय लिया गया कि – (1) तेउविबो और पेट्रोफेड, संयुक्त रूप से एनएसडीसी में आवेदन दाखिल करेंगे, (2) पेट्रोफेड, एचएसएससी की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाएंगे (3) अध्यक्ष, पेट्रोफेड एचएसएससी की स्थापना के लिए संचालन समिति का गठन करेंगे (4) राजस्व मॉडल, परियोजना रिपोर्ट तथा कार्य योजना को पेट्रोफेड द्वारा तैयार किया जाएगा (5) तेल कंपनियां एचएसएससी के माध्यम से कौशल उन्नयन के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग कर सकती हैं। एचएसएससी का फोकस उन व्यक्तियों/कामगारों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण (छह माह से अधिक नहीं) पर संकेंद्रित होगा, जिन्होंने तेल और गैस उद्योग द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य योग्यता (अर्थात आईटीआई से प्रमाण पत्र) धारित की है ।

तदनुसार, प्रस्तावित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) की स्थापना के लिए पेट्रोफेड तथा तेउविबो के बीच दिनांक 31.01.2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । दिनांक 31.01.2014 को राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) में एक संयुक्त आवेदन दाखिल किया गया और दिनांक 28.04.2016 से राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद अस्तित्व में आया।

एचएसएससी के उद्देश्यों में (1) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए एक कुशल मानवबल समूह को तैयार करना (2) नए कौशलों की बेंचमार्किंग तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) का कौशल उन्नयन (3) आर्थिक और सामाजिक समानता के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना (4) जनसांख्यिकीय लाभांश में सुधार (5) उत्पादकता और क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार शामिल हैं।

2. rsmfocks jkgr VªLV ¼rsmfocks vkj Vh½

अप्रैल से जून 2000 तक की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था । तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मई 2000 के दौरान इन राज्यों में सूखा प्रभावित ग्रामों को पेय जल के परिवहन हेतु डीज़ल की लागत वापिस करने का निर्णय लिया गया था । इस प्रयोजन के लिए, तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से एक ट्रस्ट नामतः तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट का एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 01.06.2000 को गठन किया गया था । इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पदेन सचिव (पीएनजी), ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी पदेन, अपर सचिव (पीएनजी) और ट्रस्ट के सचिव के रूप में सचिव (ओआईडीबी) तथा तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अन्य प्रतिनिधि ट्रस्टियों के रूप में इस ट्रस्ट में है । मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशों के रूप में, तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस कोष में 20.60 करोड़ रुपए का योगदान दिया है । दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य कल्याण संगठनों के लिए लगभग 21.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई । दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, 13.10 करोड़ रुपए की शेष निधियों (ब्याज सहित) तेउविबो राहत ट्रस्ट में थी । इस ट्रस्ट को इसके समापन तक आंकलन वर्ष 2011–12 के पश्चात से आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के तहत छूट प्रदान गई है । चूंकि इस ट्रस्ट के लक्ष्य व उद्देश्य के आधार व्यापक हैं और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए भी वित्तीय सहायता को अनुमत कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रस्ट के नाम को दिनांक 09.07.2010 से परिवर्तित करते हुए तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट से तेउविबो राहत ट्रस्ट कर दिया गया था ।

3. vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr] vU; fiNM+k oxZ vkSj 'kkjhfjd :i ls fu'kDrksa dk dY;k.k

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है । आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है । सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त जन/अन्य पिछड़ा वर्ग की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए रोस्टरों के निरीक्षक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता था और इनमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई थी ।

इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्त जन के आरक्षित कोटे के स्थान पर उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है । वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

4. dY;k.k] fodkLk vkSj efgykvksa dk Lk'kfDrdj.k %

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है । ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' की शिकायतों का निवारण करने हेतु इसकी सुनवाई के लिए तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है । दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 22 कर्मचारियों में 4 महिलाकर्मी हैं ।

5. Lkjdkj dh jkt Hkk"kk uhfr

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है । तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को सवंर्धित करने में सदा प्रयासरत रहता है । तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/ करार द्विभाषी हैं ।

राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है । यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति व कार्यान्वयन की समीक्षा करती है । तेउविबो को पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है ।

वर्ष 2015–16 के दौरान, हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए थे, जैसे कि :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 14.09.2015 से 28.09.2015 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान दिनांक 24.09.2015 को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं थीं । इनमें टिप्पण आलेखन, टाइपिंग, भाषा ज्ञान राजभाषा की जानकारी से संबंधित प्रतिस्पर्धा, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आदि शामिल किया गया ।
- तेउविबो द्वारा उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जो हिन्दी में प्रवीण हैं, निर्देश जारी किए गए कि वे अपने सभी कार्य केवल हिन्दी में ही प्रस्तुत करें ।
- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही, अद्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गईं थीं ।
- तेउविबो में हिन्दी के प्रयोग के प्रभावी प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न विकास संबंधी विषयों पर त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाएं आयोजन की गईं थीं ।

- वर्ष 2015–16 के दौरान भी तेउविबो ने अपनी अंतर्गृहीय वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन जारी रखा । इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विषय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है । इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के अलावा इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है।

वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 50 से कम स्टाफ संख्या में उत्तर क्षेत्र–2 (उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड) की श्रृखंला में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम में पंजाब के माननीय राज्यपाल ने क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।

वर्ष के दौरान, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा की ओर से तेउविबो को राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

6. lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e

भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2005 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में लागू किया गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम की रूपरेखा, अन्य बातों के साथ–साथ, सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है ।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार तथा जारी किए गए सभी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा लोक आसूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

वर्ष 2015–16 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 14 अभ्यावेदन/प्राप्तियां प्राप्त की गई हैं। प्राप्त हुए इन सभी 14 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर प्रेषित किए गए हैं ।

अनुलग्नक

केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउवि बोर्ड की उसकी स्थापना से 31.03.2016 तक आंबटित की गई धनराशि से संबधित स्थिति

(रूपये करोड़ में)

क्रंम सं	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह किया गया उपकर	सरकार द्वारा ते.उ.वि.बोर्ड को किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1806.60	-
15	1988-89	2013.64	63.09
16	1989-90	2914.57	50.00
17	1990-91	2785.15	89.81
18	1991-92	2500.64	95.00
19	1992-93	2207.61	-
20	1993-94	2175.46	-
21	1994-95	2566.16	-
22	1995-96	2819.52	-
23	1996-97	2558.03	-
24	1997-98	2528.74	-
25	1998-99	2448.18	-
26	1999-00	2589.44	-
27	2000-01	2582.21	-
28	2001-02	2722.79	-
29	2002-03	4873.17	-
30	2003-04	4919.49	-
31	2004-05	5033.97	-
32	2005-06	4857.58	-
33	2006-07	6875.53	-
34	2007-08	6854.00	-
35	2008-09	6680.94	-
36	2009-10	6637.13	-
37	2010-11	7671.44	-
38	2011-12	8065.46	-
39	2012-13	14473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
41	2014-15	14,677.24	
42	2015-16	14,468.94	
	Total	**162195.51**	**902.40**

टिप्पणी : तेउविबोर्ड में प्राप्त उपकर से संबंधित आंकडे ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच द्वारा उपलब्ध कराए जाते है।

अध्याय-7

तेउविबो वार्षिक लेखे 2015-16

31-3-2016 dh ;FkkLFkfr dk rqyu i=

(राशि लाख रूपये में)

d,il iwthxr fuf/k ,oa ns;rk,a	vuqlwph	pkyw o"kZ	xr o"kZ
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियॉ	2	1055059	1030840
चिन्हित / अक्षय निधि	3	0	0
जमानती ऋण एवं उधार	4	0	0
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियॉ	6	0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	23536	19260
;ksx		1168835	1140340
परिसम्पतियॉ			
अचल परिसम्पतियॉ (निवल ब्लॉक)	8	10611	11767
प्रगतित कार्य	8	19	19
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	0	0
निवेश – अन्य	10	334716	309966
चालू परिसम्पतियॉ, ऋण, अग्रिम आदि	11	823489	818588
विविध खर्चे (जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
;ksx		1168835	1140340
लेखा संबंधी विशेष नितियॉ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखो पर टिप्पणियॉ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0.
अजय श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0.
अशीष चटर्जी
सचिव

दिनांकः
स्थान नई दिल्ली

31-3-2016 dk lekIr gq, o"kZ dk fy, vk; ,oa 0;; [kkrk

(राशि लाख रूपये में)

vk;	vuqlwph	pkyw o"kZ	xr o"kZ
बिक्री /सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान/ सबसिडी	13	0	0
फीस/अभिदान	14	0	0
निवेश से आय	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	16	207	2221
अर्जित ब्याज	17	65700	68569
अन्य आय	18	1025	1609
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोत्तरी/(कमी)	19	0	0
;kx ¼d½		66932	72399
0;;			
संस्थापन खर्च	20	272	279
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	1285	915
अनुदान, सबसिडी आदि पर खर्च	22	27523	31064
भुगतान किया गया ब्याज	23	0	0
राज्य सरकारों को रायल्टी	24	0	8300
संदिग्ध ऋणो के लिए प्रावधान		0	0
फ्रिंज लाभकर	8	1165	1179
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त मे अनुसूचि 8 के अनुसार निवल योग)			
;kx & [k		30245	41737
खर्च पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		36687	30662
आयकर के लिए प्रावधान		12471	10422
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानतरण (प्रत्येक का उल्लेख करे)		–	–
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		–	–
आधिक्य के शेष को कॉपर्स/ पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		24216	20240
विशेष लेखा नीतियॉ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियॉ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0.
अजय श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0.
अशीष चटर्जी
सचिव

दिनांक:
स्थान नई दिल्ली

31-3-2016 dh ;FkkLFkfr dk rqyu i= dk fgLlk cuh vuqlph

(राशि लाख रूपये में)

		pkyw o"kZ		xr o"kZ
vuqlph 1 & d,i l@ iqthxr fuf/k				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोडेः कॉपर्स/पूंजीगत निधि में योगदान	–		–	
जोडें/(घटाएं): आय एवं व्यय खाते से निवल आय				
(खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि	–	–		
o"kZ ds vUr esa 'ks"k		90240		90240

yk[k :i;s esa

		pkyw o"kZ		xr o"kZ
vuqlph 2 & vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k fuf/k;k¡				
1. पूंजीगत आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटाएंः वर्ष के दौरान कमी	(–)	–	(–)	
2. पुनर्रूमूल्यांकन आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटाएं वर्ष के दौरान कमी	(–)	–	(–)	
3. विशेष आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटाएंः वर्ष के दौरान कमी	(–)	–	(–)	
4. सामान्य आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार		1030840		1007700
वर्ष के दौरान जमा				
(प) व्यय पर आय से अधिक्य	24216		20240	
जमा : पिछले वर्षों में अतिरिक्त कर भुगतान का समायोजन	3	24219	2900	23140
dqy ;ksx		1055059		1030840

31-3-2016 dk lekIr gq, o"k d fy, rqyu i= dk fgLlk cuh vuqlph

¼jkf'k yk[k : i;s e½

vuqlph 3 fpfUgr@v{k; fuf/k	fofo/k fuf/k;k dk fooj.k				;kx	
	fuf/k	fuf/k	fuf/k	fuf/k	pkyw o"k	xr o"k
क) निधि का प्रारंभिक शेष ख) निधि में परिवर्धन (i) दान/अनुदान ii) निधि के निवेश से आय (iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)				'kU;		
;kx ¼d+[k½						
निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग / खर्चे (i) पूँजीगत खर्चे - अचल परिसम्पत्तियाँ - अन्य योग (ii) राजस्व खर्चे - वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि - किराया - अन्य प्रशासनिक खर्चे योग :				'kU;		
;kx ¼ ¼x½	-	-	-	-	-	-
o"k d vUr e fuoy 'k"k : ¼d+[k-x½	-	-	-	-	-	-

31-3-2016 dh ;FkkfLFkfr dk r|yu i= dk fgLlk cuh vu|lfp;k

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vu|lph 4] vkjf{kr _.k ,oa m/kkj		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान	शून्य	
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण		
- अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
- अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
अन्य (उल्लेख करें)		
;kx %		
fVIi.kh %& एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि		

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vu|lph 5 & vukjf{kr _.k ,oa m/kkj		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान	शून्य	
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
;kx %		
fVIi.kh %& एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि		

31-3-2016 dh ;FkkfLFkfr dk rqyu i= dk fgLlk cuh vuqlwfp;k

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vuqlwph 6 & vLFkkfxr tek nsunkfj;k¡ क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बधंक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियाँ ख) अन्य	शून्य	
;ksx %		
fVIi.kh %& एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि		

31-3-2016 dh ;FkkfLFkfr dk rqyu i= dk fgLlk cuh vuqlwfp;k

¼jkf'k yk[k : i;s esa½

	pkyw o"kZ		xr o"kZ	
vuqlwph 7 & pkyw nkf;Ro ,oa izko/kku				
d pkyw nkf;Ro				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
क) जमानती ऋण/उधार	-		-	
ख) गैरजमानती ऋण/उधार	-		-	
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिशोध्य	-		-	
ख) अन्य	-		-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	0		8300	
ख) आर कर/टीडीएस/वर्कस कॉनट्रेक्ट देय कर	3		3	
ग) ठेकेदारों को भुगतान	257		234	
घ) अन्य	166		83	
ड) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	29		37	
च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दरें (ठेकेदारों के कारण)	118	573	122	8779
;kx ¼d½		**573**		**8779**
[k- izko/kku				
1. करों के लिए		22893		10422
2. ग्रेज्यूटी		0		0
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		0		0
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		66		58
5. व्यापार वारंटी/दाव		-		-
6. अन्य (लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक के लिए प्रावधान)		4		1
;kx ¼[k½		**22963**		**10481**
;kx ¼d+[k½		**23536**		**19260**

31-3-2016 dh ;FkkfLFkfr dk rqyu i= dk fgLlk cuh vuqlfp;k

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

vuqlwph 8 & LFkkbZ ifjlEifr;k										
fooj.k	ldy Cykd				eY;gkl				fuoy Cykd	
	01-04-15 ls vkjEHk o"kZ esa ykxr@ eY;kadu	o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu	o"kZ ds nkSjku dVkSfr;k	31-3-2016 o"kZ ds vUr esa ykxr@ eY;kadu	1-4-15 ls o"kZ ds vkjEHk esa	o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu	o"kZ ds nkSjku dVkSfr;k	31-3-2016 dks lekIr o"kZ ds vUr esa dqy ;ksx	31-3-2016 dks pkyw o"kZ ds vUr esa	31-3-2015 dks iwoZ o"kZ ds vUr esa
d LFkkbZ ifjlEifr;k										
1. भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
(ख) पट्टे पर	995	**0**	**0**	995	0	**0**	**0**	0	**995**	995
2. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
(ख) पट्टे वाली भूमि पर	10248	**0**	**0**	10248	3236	**701**	**0**	3937	**6311**	7012
(ग) स्वामित्व मकान/परिक्षेत्र	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
(घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नहीं है	32	**0**	**0**	32	18	**1**	**0**	19	**13**	14
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	2936	**0**	**0**	2936	1245	**254**	**0**	1499	**1437**	1691
4. वाहन	7	**0**	**0**	7	5	**0**	**0**	5	**2**	2
5. फर्नीचर/फीक्सर्च	2953	**9**	**0**	2962	929	**203**	**0**	1132	**1830**	2024
6. कार्यालय उपस्कर	50	**1**	**0**	51	39	**2**	**0**	41	**10**	11
7. कम्प्यूटर/बाह्य उपकरण	53	**0**	**1**	52	48	**2**	**0**	50	**2**	5
8. विद्युत संस्थापन	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
11. अनय स्थिर परिसम्पतियाँ	23	**0**	**0**	23	10	**2**	**0**	12	**11**	13
pkyw o"kZ dk ;ksx	17297	**10**	**1**	17306	5530	**1165**	**0**	6695	**10611**	11767
xr o"kZ	17347	**110**	**160**	17297	4351	**1307**	**128**	5530	**11767**	**12996**
[k iwathxr pkyw dk;Z	19	**9**	**9**	19	0	**0**	**0**	0	**19**	19

31-3-2016 dh ;FkkfLFkfr dk rqyu i= dk fgLlk cuh vuqlwfp;k

¼jkf'k yk[k :i;s eas½

	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vuqlwph 9 & fpfUgr @ v{k; fuf/k ls fuos'k		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	शून्य	
5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
;ksx	-	-

	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vuqlwph 10 & vU; fuos'k		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर		--
बीको लारी लिमिटेड	5034	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	-	-
5. नियंत्रित तथा संयुक्त उद्यम (आई एस पी आर एल)	329682	304932
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
;ksx	**334716**	**309966**

31-3-2016 dh ;FkkfLFkfr dk rqyu i= dk fgLlk cuh vuqlwfp;k

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

	pkyw o"kZ		xr o"kZ	
vuqlwph 11 & pkyw ifjlEifÙk;k¡ _.k] vfxze vkfn				
d pkyw ifjlEifÙk;k¡				
1. इन्वेनटरी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगतित कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. QqVdj nsunkjh				
क) छ महीने से ज्यादा बकाया देनदरियाँ	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. dqy udn 'ks"k ¼pSd@MªkQV@vxzn; lkfgr½	0		0	
4. cSd 'ks"k				
क) अधिसूचित बैंको के पास				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	0		50000	
- बचत खातों पर	35510	35510	3680	53680
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	-		-	
- बचत खातों पर	-	-	-	-
5. Mkd ?kj & cpr [kkrk		-		-
;ksx ¼d½ %		**35510**		**53680**

¼jkf'k yk[k : i;s esa½

	pkyw o"kZ		xr o"kZ	
[k- _.k] vfxze ,oa vU; ifjlEifRr;k				
1. ऋण				
क) स्टाफ	22		25	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयाँ (अनुलग्नक II)	722909		717665	
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
		722931		**717690**
2. vfxze ,oa vU; jkf'k;k tks fd udn ;k vU; izdkj ls izkIr gks				
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम)	15963		16626	
ख) अग्रिम किराया	228		231	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर/टीडीएस, एमएम सैल, प्रतिभूति जमा तथा सीएचटी को दिया गया अग्रिम शामिल है)	31677	**47868**	16075	**32932**
3. mikftZr vk;				
क) चिन्हित/अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	23		29	
ग) ऋण एवं अग्रिम	6930		6568	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षो में किया)	2711		2714	
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	1	**4243**	65	**3948**
4. olwyh ;ksX; nkos				
i) विरोध के तहत भुगतान किया गया कर	12895		10166	
ii) प्राप्त राशि	42	**12937**	172	**10338**
;ksx ¼d½		**787979**		**764908**
;ksx ¼d+[k½		**823489**		**818588**

31-3-2016 dks lekIr gq, o"kZ ds vk; ,oa 0;; [kkrks dk fgLlk cuh vuqlfp;k

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vuqlwph 12 & fcØh @ lsokvksa ls vk;		
1. ब्रिक्री से आय क) तैयार माल की बिक्री ख) कच्चे माल की बिक्री ग) खंडित माल की बिक्री 2. सेवाओ से आय क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति) ड.) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
;ksx ½		

	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vuqlwph 13 & vuqnku @ lgk;rk		
(अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता) 1) केन्द्रीय सरकार 2) राज्य सरकारें 3) सरकारी एंजेंसियाँ 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
;ksx ½		

31-3-2016 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनी अनुसूचियां

(राशि लाख रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष		
अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान				
1. प्रवेश शुल्क 2. वार्षिक शुल्क/अंशदान 3. सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क 4. परामर्शदाता शुल्क 5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य			
योग				
	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश अन्य	
अनुसूची 15 - निवेशों से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय) 1. ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 2. लाभांश क) शेयरों पर ख) म्यूचुअयल फंड प्रतिभूतियों पर 3. किराया 4. अन्य – एन आर एल इक्विटी की बिक्री से पूंजीगत लाभांश	शून्य			
योग				
चिन्हित/अक्षय निधियों में अंतरण				

31-3-2016 dk lekIr gq, o"k dk vk; ,o O;; [kkrk dk fgLlk cuh vuqlfp;k

¼jkf'k yk[k : i ;s e½

	pkyw o"k	xr o"k
vuqlph 16 & jk;YVh] iadk'ku] Mh th,p }kjk MkVk fcØh		
vkfn ls vk;		
1. रायल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य – डीजीएच तथा अन्य द्वारा डेटा बिक्री से आय	207	2221
;kx%	**207**	**2221**

	pkyw o"k	xr o"k
vuqlph 17 & vftr C;kt		
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंको के पास (सावधि जमा)	4417	1756
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) संस्थानों के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातो पर		
क) अधिसूचित बैंको के पास	75	76
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) डाक घर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टॉफ	1	1
ख) तेल कम्पनियाँ	61132	66736
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
क) चल अग्रिम पर ब्याज	75	0
ख) आय कर विवरणी पर ब्याज	0	0
;kx:	**65700**	**68569**
fVIi.kh & lzksr ij dj dVkSrh dk mYys[k djsa	**6608**	**6884**

31-3-2016 dk lekIr g, o"k d vk; ,o 0;; [kkrk dk fgLlk cuh vulfp;k

¼jkf'k yk[k : i;s e½

	pky o"k	xr o"k
vulph 18 & vU; vk;		
1.परिसम्पत्तियों के ब्रिक्री / निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिसम्पतियाँ	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पत्तियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	-
4. पूर्व अवधि की आय	848	1200
5. विविध आय	177	409
;kx	**1025**	**1609**
	pky o"k	xr o"k
vulph 19 & r\;kj eky ;k pky dk;Z d HkMkj e of) ¼deh		
क) अन्तिम स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्यगत राशि	शून्य	
ख) घटाएं : आरंभिक स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्यगत राशि		
fuoy tek ¼?kVk½ ¼d+[k½		
	pky o"k	xr o"k
vulph 20 & LFkkiuk [k;		
क) वेतन एवं मजदूरी	203	205
ख) भत्ते एवं बोनस	23	31
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	19	18
ड.) चिकित्सा खर्चो सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	18	16
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	8	7
छ) अन्य (संविदा प्रकोष्ठ के साथ)	1	2
;kx ¼	**272**	**279**

31-3-2016 dk lekIr gq, o"kZ dk vk; ,oa 0;; [kkrk dk fgLlk cuh vuqlfp;k

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

		pkyw o"kZ	xr o"kZ
vuqlwph 21 & vU; iz'kklfud 0;; vkfn			
क) क्रय		0	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे		0	0
ग) गाडी तथा भाडा		0	0
घ) विद्युत तथा बिजली		315	276
ड) जल प्रभार		1	1
च) बीमा		2	2
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		156	143
ज) उत्पाद कर		0	0
झ) किराया, दरें तथा कर		25	17
त्र) गाडियों का चलन एवं रखरखाव		5	10
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार		6	5
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री		8	10
ड) विविध खर्चे		2	4
ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्चे		1	1
ण) अभिदान खर्चे		0	0
त) शुल्क पर खर्चे		0	0
थ) लेखा परीक्षको का पारिश्रमिक		4	0
द) आतिथ्य खर्चा		0	1
ध) व्यावसायिक प्रभार		23	33
न) संदिग्ध ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान		0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चे		0	0
फ) पैकिंग प्रभार		0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे		0	0
भ) संवितरण खर्चे		0	0
म) अन्य –		3	2
(i) एफएमएस कार्य खर्चे तथा तेउविबो भवन का रखरखाव	167		
(ii) (पूर्व अवधि के खर्चे	567	734	410
;ksx ½		**1294**	**915**

31-3-2016 dk lekIr g, o"k d vk; ,o 0;; [kkrk dk fgLlk cuh vulfp;k

¼jkf'k yk[k :i; e½

	pkyw o"k	xr o"k
vulph 22 & vuqnku] lgk;rk vkfn ij 0;;		
क) संस्थानों / संगठनों को जारी अनुदान (अनुलग्नक III–ए)		
ख) सरकार / ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए (अनुलग्नक III–बी)	2064	8553
;kx	**27523**	**31064**

fVIi.kh&vuyXud III ¼,½ rFkk ¼ch½ e dqiuh dk uke] mUg nh xb vuqnku@lClhMh jkf'k bfxr dh xb gA

	pkyw o"k	xr o"k
vulph 23 & Hkxrku fd;k x;k C;kt		
क) स्थिर ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
;kx	**0**	**0**

	pkyw o"k	xr o"k
vulph 24 & jkT; ljdkjk dk jk;YVh dk Hkxrku		
अरूणाचल प्रदेश सरकार	0	4500
गुजरात सरकार	0	3800
;kx	**0**	**8300**

”rsy m|kx fodkl ckMZ”

ekpZ 2016 dks lekIr gq, o"kZ dh ;FkkfLFkfr dk ys[kk dk fgLlk cuh vuqlfp;k

vuqlph&25 & egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k

1. **ys[kkdj.k O;kogkfjd jhfr**

   वित्तीय विवरणपत्र सिर्फ अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्‌भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. **fuos'k**

   दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. **LFkkbZ ifjlEifÙk;k**

   स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। निर्माण संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. **eY;âkl**

   मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार ”मूल्यह्रास पद्धति” के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को पूर्ण रूप से समायोजित कर किया गया है।

5. **ljdkjh vuqnku@lfClMh**

   अनुदान विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों/को देय रायल्टी को छोड़कर जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, नकद के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. **vk;**

   व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर आय 90 दिन के बाद अदेय नहीं रहती है।

7. **fons'kh eqnzk fofue;**

   विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. **yht**

   लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. lsokfuo`fÙk ykHk

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्श के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

”rsy m|kx fodkl ckM”

ekpZ 2016 dks lekIr gq, o"kZ dh ;FkkfLFkfr dks y[kk dk fgLlk cuh vuqlfp;k

vuqlwph&26 & vkdfLed ns;rk,a rFkk y[kk ij fVIif.k;k

1. vkdfLed ns;rk,a&

(क)वर्ष 2015–16 के दौरान, 48.48 लाख रूपये टीडीएस के दावों के प्रकटन के परिणामस्वरूप / टीआरएसीईएस (आय कर विभाग) से डाउनलोड डिफॉल्ट सारांश के आधार पर वर्ष 2015–16 के लिए टीडीएस खातों के दावों को संशोधित कर 10.80 लाख रूपये किया गया। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2016–17 से संबधित दावे निम्नानुसार हैं:–

fu/kkj.k o"kZ	jkf'k ¼yk[k :i;s esa½
2008-09	2.76
2009-10	0.05
2010-11	3.66
2011-12	2.53
2013-14	0.25
2014-15	0.17
2015-16	1.06
2016-17	0.32
dqy	**10.80**

उपरोक्त दावों को खातों में नहीं दर्शाया गया है जैसाकि तेउविबो, लेखा अधिकारी (टीडीएस) के समक्ष अपील दायर करने पर विचार कर रही है।

(ख)तेउविबो तथा मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच तेउविबो भवन के जी+3 ब्लॉक के आंतरिक कार्य के निष्पादन से उत्पन्न एक आर्बिट्रेशन मामला था। आरबीट्रेटर द्वारा फैसला मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पक्ष में दिया गया तथा उनके दावे रू0. 180.41 लाख के बदले में रू0.62.78 लाख की राशि देय करने का निर्णय दिया। तेउविबो ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में आरबीट्रेटर के फैसले के विरूद्ध एक याचिका दायर की। इसे ध्यान में रखते हुए, इस प्रावधान को खातों में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) एक अन्य आर्बिट्रेशन मामला तेउविबो तथा मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड के मध्य है, जो तेउविबो भवन के निर्माण हेतु सिविल और स्ट्रक्चरल कार्य निष्पादन से उत्पन्न हुआ, जिसमें ईपीआईएल द्वारा विभिन्न दावों हेतु तेउविबो पर 37.59 लाख रूपये का दावा प्रस्तुत किया है। मामला आर्बिट्रेशन के लिए नियुक्त स्थाई तंत्र के एकमात्र आर्बिट्रेटर के पास लंबित है।

(घ) तेउविबो द्वारा विभिन्न मूल्यांकन वर्षो के लिए आयकर विभाग द्वारा लगाए गए दंड स्वरूप राशि जमा कर दी गई है जिसके विरूद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है।

Ø-l-	fu/kkj.k o"k	nM Lo:Ik tek dh xbZ jkf'k ¼yk[k :Ik;s eas½	vihy dh fLFkfr
1	2005-06	1.76	vkbZVh,Vh ¼ITAT½ ds le{k Ykfcr vihy
2	2006-07	1.85	
3	2007-08	1.40	
4	2008-09	4.52	lhvkbZVh ¼A½ ds le{k vihy nk;j dh tkuh gS
5	2010-11	22.77	
dqy		32.30	

जैसाकि दंड की राशि को विरोध के तहत जमा किया और जिसे वसूली के रूप में राजस्व में नहीं दिखाया गया। इसके समान राशि के आकस्मिक देयता के लेखों में दर्शाया गया, जैसाकि दंड राशि पर लगी पेनेल्टी को दर्शाता है

(ड) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) जिसने तेउविबो भवन नोएडा के निर्माण के लिए सिविल और संरचनात्मक कार्य के निष्पादन के लिए अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान की थी, उसने तेउविबो पर, 32 महीने के लगभग अनुबंध की अवधि से अधिक परामर्श सेवाएं रोकने के लिए 4.22 करोड़ रूपये की राशि का दावा प्रस्तुत किया है। तेउविबो ने दावा स्वीकार नहीं किया, लेकिन ईपीआईएल के खिलाफ मध्यस्था में दावा दायर करते समय इसे समाधान करने के लिए शामिल किया है।

2. opu c) rk,¡

iw¡thxr

क) भुगतान के लिए अन्तिम बिलों का मूल्य जो कि रूपये 652 लाख (लगभग) मूल्य के है, पर पीएमसी और ठेकेदरों से स्पष्टीकरण के अभाव में विचार नहीं किया गया है।

ख) (i) इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा बनाए जा रहे कार्यनीतिक कच्चे तेल भण्डारण के निर्माण हेतु सरकार के निर्देशानुसार परियोजना के लिए रूपये 383256 लाख तेउविबो द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शेष राशि रूपये 26579 लाख आनुपातिक लागत के अपने भाग के रूप में एचपीसीएल द्वारा दी जाएगी।

(ii) तेउविबो ने मार्च 2016 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(आईएसपीआरएल) को रूपये 345645 लाख (गत वर्ष 321588 लाख) इक्विटी के रूप में निवेश के लिए दिये। कंपनी पहले ही रूपये 329682 लाख तक के 3296820000 शेयर, 10/— रूपये प्रति प्रमाणपत्र आबंटित कर शेयर प्रमाण जारी कर चुकी है। शेश रूपये 15963 लाख की राशि 31 मार्च 2016 तक शेयरों के आबंटन के लिए लंबित है।

3. pkyw ifjlEifr;k] _.k rFkk vfxze

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लारी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउवि0बो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढकर रूपये 50.34 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33% है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित करने की मंजूरी द्वारा बीएलएल की इक्विटी की पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति दी है। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुक्सान होगा क्योंकि रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी

4:93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल में इक्विटी पूंजी की कमी के कारण तेउविबो के घाटे को बट्टे खाते में डालने को तेउविबो/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13 के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

ख) केनफिना तथा बीको लॉरी लिमिटेड से वसूले जाने वाले ब्याज क्रमशः रूपये 2446 लाख रूपये तथा रूपये 268 लाख है। इनमें से, वित्त वर्ष 2015–16 में कैनफिना ने वित्त वर्ष 2015–16 में कैनफिना ने तेउवि बोर्ड के नाम खरीदी गई प्रतिभूतियां नामतः मोदी इंडस्ट्रीज, 30/06 एनसीडी परशुरामपुरिया सिंथेटिक्स, 03/04 एनसीडी और गरवेयर नायलोन्स लिमिटेड 01/08 एनसीडी, के शुद्ध वसूली मूल्य (एनवीआर) 2,90,887/– लाख तेउविबो को दिए। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित मामला पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली संदिग्ध रही है, अतः लेखों में इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा। इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य राशि दर्शायी गई है। चूंकि आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए आईएसपीआरएल से कोई किराया, रखरखाव नहीं लिया जा रहा है।

4. dj fu/kkj.k

(क) चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित करने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आय कर विभाग ने धारा 143 (3) के अन्तर्गत मूल्याकंन वर्ष 2013–14 के लिए 3.85 करोड़ रूपये की मांग की है। जिसका दिनांक 31.03.2016 को भुगतान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने अधिनियम 271(1) (सी) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2008–09 तथा वित्त वर्ष 2010–11 के लिए क्रमशः 4.52 करोड़ रूपये और 4.52 करोड़ रूपये की मांग की है जिसका दिनांक 31.3.2016 को भुगतान कर दिया गया।

5. आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, आईएसपीआरएल को तेउविबो भवन में जगह प्रदान की गई। किराया वसूली का निर्णय अभी तेउविबो द्वारा लिया जाना बाकी है।

6. सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, तेउविबो द्वारा रायॅल्टी के अंतर का भुगतान सरकारों को किया जाता है। इस खर्चों को तेउविबो का खर्च माना जाता है।

7. तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, इन्टरनेट सुविधा प्रबंधन, विद्युत भार तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

8. (i) आईसीएआई द्वारा जारी AS-15 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के लिए बोर्ड ने दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना का गठन किया।

(ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग में आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी के

तहत अपनी दो योजनाओं क्रमशः "तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

(iii) तेउविबो कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना और तेउविबो कर्मचारी ग्रेच्यूटी योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम से मांग प्राप्त न होने के संबंध में, एलआईसी से लगातार संपर्क किया जा रहा है तथा बार–बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद तेउविबो की एलआईसी से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस मामले को अब एलआईसी के उच्च स्तर पर वरिश्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया जा रहा है।

बीमांकित मूल्याकंन के आधार पर देयताओं के संबंध में यह प्रस्तुत है कि, तेउविबो के लिए बिना मांग के देयतायें प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि यह बीमाकिंत मूल्यांकन पर आधारति हैं।

9. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां लागू हो अनुपालन किया गया है।

10. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

11. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकडे को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्श के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0. ह0.
अजय श्रीवास्तव अशीष चटर्जी
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी सचिव

दिनांकः
स्थान नई दिल्ली

अनुलग्नक-I
(सन्दर्भ : अनुसूची 26 नोट सं 4(क))

31-3-2016 dk lekIr gq, o"kZ dk ykHk ,oa gkfu [kkrk

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

fooj.k	vuqlwph	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vk;			
ब्याज आय	17	65700	68569
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16&18	1232	3830
;ksx		**66932**	**72399**
[kpZ			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22&24	27523	39364
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	272	279
प्रशासनिक खर्चे	21	1285	915
अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास	8	1165	1179
;ksx		**30245**	**41737**
वर्ष के लिए लाभ		**36687**	**30662**
कर पूर्व शुद्ध लाभ		**36687**	**30662**
घटाएं – कर के लिए प्रावधान		**12471**	**10422**
dj i'pkr 'kq) ykHk] rqyui= esa LFkkukUrfjr		**24216**	**20240**
विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	25&26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0.
अजय श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0.
अशीष चटर्जी
सचिव

दिनांक:
स्थान नई दिल्ली

अनुलग्नक-**II**
(सन्दर्भ : अनुसूची **11** बी)

I ko t fud {k= d r y miØek I 31 ekp 2016 rd _.kk d cdk; dk fooj.k

Øe-l	dEiuh dk uke	01-04-2015 dk vkjfHkd 'k"k	o"k 2015&16 d nkjku lforfjr _.k	r y miØek }kjk o"k 2015&16 d nkjku okil fd, _.k	31-03-2016 dk vfre 'k"k
1.	गेल	180100	0	65600	114500
2.	आईओसीएल	185575	71125	45675	211025
3.	बीपीसीएल	104950	74425	6850	172525
4.	एचपीसीएल	58300	12475	23450	47325
5.	सीपीसीएल	0	0	0	0
6.	एनआरएल	5825	0	5825	0
7.	बी सी पी एल	93575	29800	7213	116162
8.	बीएलएल	0	1200	0	1200
9.	एमआरपीएल	80000	0	27500	52500
10.	गेल गैस लिमिटेड	9340	2423	4091	7672
	dy	**717665**	**191448**	**186204**	**722909**

अनुलग्नक : **111** (ए)
सन्दर्भ : अनुसूची **22**

o"k 2015&16 d nkjku fn, x, vunku dk n'kku okyh rkfydk

¼jkf'k yk[k : i;s e½

Øe-l	lLFkku dk uke	pkyw o"k	xr o"k
d	fu;fer vunkuh lLFkku		
1.	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	12151	13795
2.	पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन	4113	4086
3.	उच्च प्रोद्यिगिकी संस्थान	1959	1038
4.	पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	1777	1625
5.	तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	1505	1483
	;kx ¼d½	**21505**	**22027**
[k	vu lu/kku ,o fodkl vunku		
6.	एनजीएचपी-II	104	31
7.	आईओसीएल(INDA DeptS) अनु0एवंवि0 केन्द्र,फरीदाबाद	3850	370
8.	राजस्थान सरकार, पेट्रोलियम विभाग	0	83
9.	आई.आई.टी. मुंबई	0	0
	;kx ¼[k½	**3954**	**484**
	;kx ¼d+[k½	**25459**	**22511**

अनुलग्नक:**111** (बी)
सन्दर्भ : अनुसूची **22**

Hkkjr ljdkj @ r-m-fo-ckM }kjk ik;kftr ;ktukvk@ifj;ktukvk ij o"k 2015&16 d nkjku 0;;

¼jkf'k yk[k : i;s e½

Øe-l	lLFkku dk uke	pkyw o"k	xr o"k
1.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	2064	8553
	dy ;kx ¼lh½	**2064**	**8553**

अध्याय-8

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

rsy m|¨x fodkl cksMZ ds fnukad 31 ekpZ 2016 d¨ lekIr o"kZ ds ys[kksa ij Hkkjr ds fu;U=d ,oa egk ys[kk ijh{kd dk ys[kk ijek.ki=A

हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2016 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महा लेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) हमारी राय में जैसाकि हमारे प्रशिक्षणों में लगा कि निम्नलिखित को छोड़कर लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

¼d½ Rkqyui=

d- fuos'k vU; ¼vuqlph 10½ %& :Ik;s 334716 yk[k

इसमें 5034 लाख रूपये शामिल हैं जो निवेश के रूप में बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) में इक्विटी के रूप में हैं। बीको लॉरी लिमिटेड एक घाटे वाली कंपनी है, इसकी कुल संचित हानि इसकी पूंजीगत निधि तथा रिजर्व निधि से ज्यादा हो गई थी जिससें कंपनी का शुद्ध निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया। भारत सरकार ने (मई 2011) में तेउविबो के 3276 लाख रूपये के ऋण को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया जिससे बीएलएल की मौजूदा इक्विटी पूंजी 4200 लाख रूपये से बढ़कर 7476 लाख रूपये हो गई और उसके पश्चात् संकलित ह्रास 5960 लाख रूपये को बट्टे खाते में डालने से बीएलएल की इक्विटी पूंजी 7476 लाख से 1516 लाख हो गई। 31 मार्च 2015 को बीएलएल में शेयर धारकों की निधियां हानियों के एक बार फिर संचयन से ऋणात्मक 3115.56 लाख. तक हो गई। लेखा मानक 13 के अनुसार निवेश मूल्य में, अस्थाई के अलावा होने के कारण, मूल्य ह्रास 5034 लाख़ रूपये का प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसाकि प्रबंधन द्वारा निवेश मूल्य में 4013 लाख रूपये के घाटे का प्रावधान किया गया।

विगत वर्षों में तेउविबो के लेखों पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल की इक्विटी शेयरों में निवेश पर मूल्यह्ास प्रदान नहीं किया है।

¼[k½ vk; ,oa 0;; ys[kk

d- vuqnku] lfCclMh vkfn ij 0;; &¼vuqlph 22½ & :Ik;s 27523 yk[k

वर्ष 2015–16 के लिए ओएनजीसी द्वारा मांगे गए राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) अनुसंधान एवं विकास अभियान 02 के लिए तेउविबो द्वारा खर्च की प्रतिपूर्ति की हिस्सेदारी रूपये 32034.89 लाख न लेने से यह कमतर हो

गया है। इस वजह से अनुदान, सब्सिडी पर खर्चे कमतर व शेष में आय का व्यय से 32034.89 लाख अधिक होने पर ये अतिरंजित हो गए हैं।

¼[k½ vU; i’kklfud 0;; vkfn& ¼vuqlwph 21½ & :Ik;s 1294 yk[k

उपरोक्त में पूर्व अवधि के खर्च रूपये 575.66 लाख शामिल हैं, जिन्हे एएस–5 के अनुसार अलग से बताया जाना चाहिए था। पूर्व अवधि की आय को विनियोग खाते में चालू वर्ष के व्यय पर अतिरिक्त आय (या लाभ) के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रकार हालांकि हस्तांतरित अतिरिक्त आय से तुलन पत्र प्रभावित नहीं है पर वर्तमान वर्षों की आय अतिरंजित है।

¼x½ vkdfLed ns;rk,a vkSj ys[kk ijfVIif.k;k& ¼vuqlwph 26½

(क) अनुसूची 26 का मद सं01 के अनुच्छेद घ में बताया गया है कि आय कर विभाग द्वारा लगाए गए दंड की राशि रूपये 128.94 करोड़ है, जिसके खिलाफ अपील विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित है। हालांकि विरोध के अधीन जमा पर प्रकटीकरण रूपये 101.66 करोड़ तक सीमित है। यह आंकडा वर्ष 2014–15 के अनुरुप है।

(ख) आयकर विभाग द्वारा 16.3.2016 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के अंतर्गत आकलन वर्ष 2013–14 के लिए रूपये 385.40 लाख की मांग की गई जिसके विरूद्ध तेउविबो ने 2.8.2016 को आयकर आयुक्त के समक्ष अपील की है कि तेउविबो के प्रपत्र 26 एएस के अनुसार सारी राशि को टीडीएस के तहत विचारा जाए। इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।

¼?k½ IkekU;

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के स्वायत निकायों की लेखा परीक्षा मैनुअल में जारी निर्दश के पैरा 7.01 के अनुसार 'भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों अपने खातों को वित्त वर्ष 2001–02 से एक समरूप प्रारूप खातों में संकलित करेंगे।' स्वायत निकायों के लिए निर्धारित खातों के प्रारूप में, तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता, वित्तीय तालिकाओं की अनुसूची, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, 'लेखों पर टिप्पणियों' के माध्यम से अन्य सूचनाओं का प्रकटीकरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान तालिका शामिल है। हालांकि, सीएंडएजी परीक्षा लेखा के लिए प्राप्ति एवं भुगतान तालिका को वार्षिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया है। पिछले वर्षों में तेउविबो के लेखों पर सीएंडएजी की टिप्पणियों के बावजूद यह पाया गया है कि तेउविबो इसे मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट जो सीएंडएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत की जाती है, में प्रकाशित नहीं करता।

¼?k½ Ikc/ku i=

वो कमियां जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें ठीक करने/उन पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसे सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड को प्रबंधन पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

(iii) इस रिपोर्ट में लगे अनुलग्नक में बताए महत्वपूर्ण मामलों की ओर भी ध्यानाकर्षित किया गया है।

(iv) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा इस रिपोर्ट के साथ ठीक तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(v) हमारे विचार व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं जिन्हें उन पर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा उपरोक्त अनुच्छेद 3 (ii) व (iii) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, और एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहॉ तक कि इसका संबंध दिनांक 31 मार्च 2016 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र मामले से हैं।

(ख) जहां तक कि इसका संबंध उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लाभ तथा हानि लेखों से है, व्यय से अधिक आय को कापर्स / पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया हैं।

ह0 / –

(तनुजा मित्तल)

प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा

तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–प्प्ए मुम्बई

vu lph

¼Yk[kk ijh{kk fjikV d vuPNn 3¼iii½ d lnHk e½

1- vkrfjd y[kk ijh{kk Ik;kIrrk

तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2015–2016 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्मों द्वारा कराई गई। आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2015–2016 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पृथक रूप से अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 तक की रिपोर्ट 9 अप्रैल 2016 को तथा अक्टूबर 2015 तक की रिपोर्ट 23 जून 2016 को प्रस्तुत कर चुके हैं। तेउविबो द्वारा आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, जहॉं लागू हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा सिफारिशों के अनुपालन पर भी तेउविबो द्वारा विचार किया जा रहा है।

2- vkrfjd fu;=.k i.kkyh

अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि, कार्य की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं की जाती और न तो बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके। अनुदानी संगठनों से प्राप्त होने वाली वास्तविक प्रगति रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने हेतु (अक्टूबर 2004) एक अलग फंड 'हाइड्रोजन कापर्स फंड' की वर्ष 2004 में स्थापना की गई। हालांकि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्णय लिया कि फंड को व्यवस्थित करने के लिए किसी अलग ट्रस्ट या संगठन या सोसाइटी की कोई आवश्यकता नहीं है। तेउविबो को कार्पस फंड के लेखों को रखने को कहा गया। यह निर्णय लिया गया कि फंड की वित्तीय लेखा परीक्षा तेउविबो नियमानुसार की जाएगी।

31 मार्च 2016 तक कापर्स फंड से 141.39 करोड़ रूपये की राशि संचित हुई जिसे तेल उद्योग विकास बोर्ड के खातों से अलग विभिन्न बैंकों में रखा गया है। कॉपर्स फंड के लिए कोई भी औपचारिक लेखा परीक्षा तथा जवाबदेही प्रणाली नहीं बनायी गयी है। इतनी बड़ी धनराशि के निहित होने के कारण एक वित्तीय औपचारिक निरीक्षण प्रणाली का होना आवश्यक है।

3- vpy lifRr;k dk okLrfod lR;kiu

बहियों (अंचल संपत्ति रजिस्टर), के सन्दर्भ में सम्पतियों का वास्तविक सत्यापन सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), के नियम 192(i) के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तेउविबो 2014–15 में दिए गए आश्वासन के बावजूद आवश्यक अचल सम्पत्ति रजिस्टर व्यवस्थित नहीं करता है।

4- lkfof/kd n;rkvk d Hkxrku e fu;ferrk

जैसाकि तेउविबो द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड के वित्त वर्ष 2015-2016 को समाप्त
लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक के लेखा प्रमाणपत्र पर दिए गए प्रश्नों के तेउविबो द्वारा उत्तर

y[kk ijh{kd dh fVIi.kh	ry m|kx fodkl ckM dk mRrj
¼d½ Rkyui= ¼d½ fuos'k vU; ¼vuqlwph 10½% & :Ik;s 334716 yk[k इसमें 5034 लाख रूपये शामिल हैं जो निवेश के रूप में बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) में इक्विटी के रूप में हैं। बीको लॉरी लिमिटेड एक घाटे वाली कंपनी है, इसकी कुल संचित हानि इसकी पूंजीगत निधि तथा रिजर्व निधि से ज्यादा हो गई थी जिससें कंपनी का शुद्ध निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया। भारत सरकार ने (मई 2011) में तेउविबो के 3276 लाख रूपये के ऋण को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया जिससे बीएलएल की मौजूदा इक्विटी पूंजी 4200 लाख रूपये से बढ़कर 7476 लाख रूपये हो गई और उसके पश्चात् संकलित ह्रास 5960 लाख रूपये को बट्टे खाते में डालने से बीएलएल की इक्विटी पूंजी 7476 लाख से 1516 लाख हो गई। 31 मार्च 2015 को बीएलएल में शेयर धारकों की निधियां हानियों के एक बार फिर संचयन से ऋणात्मक 3115.56 लाख़ तक हो गई। लेखा मानक 13 के अनुसार निवेश मूल्य में, अस्थाई के अलावा होने के कारण, मूल्य ह्रास 5034 लाख़ रूपये का प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसाकि प्रबंधन द्वारा निवेश मूल्य में 4013 लाख रूपये के घाटे का प्रावधान किया गया। विगत वर्षों में तेउविबो के लेखों पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल की इक्विटी शेयरों में निवेश पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है।	मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) ने अपने पत्र सं0. बीएलएल/एमडी/डीसीओ/2015–16/017 दिनांक 17.6.2015 में सूचित किया है कि कंपनी को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 3 (1) (0) के तहत अक्टूबर 2015 में रूग्ण कंपनी घोषित किया जा चुका है और कथित विकास को देखते हुए कंपनी की कम होती पूंजी को स्थगन में रखा गया है।
¼[k½ vk; ,oa O;; y[kk d- vunku] lfClMh vkfn ij O;; & ¼vuqlwph 22½ & :Ik;s 27523 yk[k	

y[kk ijh{kd dh fVIi.kh	rsy m|ksx fodkl cksMZ dk mRrj
वर्ष 2015–16 के लिए ओएनजीसी द्वारा मांगे गए राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) अनुसंधान एवं विकास अभियान 02 के लिए तेउविबो द्वारा खर्च की प्रतिपूर्ति की हिस्सेदारी रूपये 32034.89 लाख न लेने से यह कमतर हो गया है। इस वजह से अनुदान, सब्सिडी पर खर्चे कमतर व शेष में आय का व्यय में 32034.89 लाख अधिक होने से ये अतिरंगित हो गए हैं।	तेउविबो ने 11.2.2016 को सम्पन्न हुई 92 वीं बैठक में एनजीएचपी अभियान 02 की संशोधित लागत को साझा करने के डीजीएच के प्रस्ताव पर विचार किया और तेउविबो का योगदान रूपये 308.475 करोड़ जो कि एनजीएचपी अभियान 02 की लागत कुल मूल्य 616.95 करोड़ रूपये का 50 प्रतिशत है, को अनुमोदित किया। जो कि तेउबिबो द्वारा जारी किए जाने वाला कथित योगदान एनजीएचपी अभियान 02 पर ईएफसी के अनुमोदन के संप्रेषण पर आधारित होगा। तेउविबो के बजट अनुमान, अनुदानी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। डीजीएच द्वारा दी गई जरूरतों के आधार पर तेउविबो ने अपने 2015–16 के संशोधित बजट में रूपये 308.475 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है। डीजीएच से ईएफसी की मंजूरी न मिलने के कारण एनजीएचपी अभियान 02 के वित्त पोषण के लिए 31.3.2016 से पहले रूपये 308.475 करोड़ की राशि जारी नहीं की जा सकी। अनुमानित बजट 2016–17 में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा सका। जैसाकि 2016–17 के संशोधित बजट को फरवरी 2016 में अंतिम रूप में दिया गया था और उस समय पता नहीं था कि यह भुगतान 31 मार्च 2016 से पहले नहीं किया जा सकेगा।
¼[k½ vU; iz'kklfud O;; vkfn& ¼vuqlwph 21½ & :Ik;s 1294 yk[k उपरोक्त में पूर्व अवधि के खर्च रूपये 575.66 लाख शामिल हैं। जिन्हे एएस–5 के अनुसार अलग से बताया जाना चाहिए था। पूर्व अवधि की आय को विनियोग खाते में चालू वर्ष के व्यय पर अतिरिक्त आय (या लाभ) के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रकार हालांकि हस्तांतरित अतिरिक्त आय से तुलन पत्र प्रभावित नहीं है पर वर्तमान वर्षों की आय अतिरंजित है।	लेखा परीक्षा के सुझाव को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। हालांकि सही स्थिति अब दर्शायी जा चुकी है।

y[kk ijh{kd dh fVIi.kh	rsy m|kx fodkl cksMZ dk mRrj
¼x½ vkdfLed ns;rk,a vkSj y[kk ij fVIif.k;k& ¼vuqlwph 26½	
(क) अनुसूची 26 का मद सं01 के अनुच्छेद घ में बताया गया है कि आय कर विभाग द्वारा लगाए गए दंड की राशि रूपये 128.94 करोड़ है, जिसके खिलाफ अपील विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित है। हालांकि विरोध के अधीन जमा पर प्रकटीकरण रूपये 101.66 करोड़ तक सीमित है। यह आंकडा वर्ष 2014–15 के अनुरूप है।	अनुसूची 26 में 4 (बी) अर्थात आकस्मिक देयता में रूपये 128.94 करोड़ की दंड राशि एक विरोध के तहत जमा की गई है जिसे आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है। लेकिन यह कहना त्रृटिपूर्ण है कि 'इसके परिणामस्वरूप 101.66 करोड़ रूपये को आकस्मिक देयताओं में कम करके बताया गया है।' इसे अब सुधार लिया जाएगा।
(ख) आयकर विभाग द्वारा 16.3.2016 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के अंतर्गत आकलन वर्ष 2013–14 के लिए रूपये 385.40 लाख की मांग की गई जिसके विरूद्ध तेउविबो ने 2.8.2016 को आयकर आयुक्त के समक्ष अपील की है कि तेउविबो के प्रपत्र 26 एएस के अनुसार सारी राशि को टीडीएस के तहत विचारा जाए। इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।	लेखा परीक्षा के सुझाव एवं टिप्पणियों का वित्त वर्ष 2015–16 के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय अनुपालन किया जाएगा। जिन्हें अब परिशोधित किया जा सकता है।
¼?k½ lkekU;	
भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के स्वायत निकायों की लेखा परीक्षा मैनुअल में जारी निर्दश के पैरा 7.01 के अनुसार 'भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों अपने खातों को वर्ष 2001–02 से एक समरूप प्रारूप में संकलित करेंगे।' स्वायत निकायों के लिए निर्धारित खातों के प्रारूप में, तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता, वित्तीय तालिकाओं की अनुसूची, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, 'लेखों पर टिप्पणियों' के माध्यम से अन्य सूचनाओं का प्रकटीकरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान तालिका शामिल है। हालांकि, सीएंडएजी परीक्षा लेखा के लिए प्राप्ति एवं भुगतान तालिका को वार्षिक लेखों के साथ संलग्न भी किया गया है। पिछले वर्षों में तेउविबो के लेखों पर सीएंडएजी की टिप्पणियों के	तेउविबो, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसे तेल उद्योग के विकास के लिए, तेल उद्योग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इसलिए यहां लाभ की कोई मंशा सम्मिलित नहीं है। अधिनियम के अनुसार सहायता ऋण और अग्रिम, अनुदान और इक्विटी में भागीदारी के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। मुख्य रूप में दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज आय होती है और उसे अनुदान देने में प्रयोग किया जाता है। जिसे आय और व्यय खाते में दर्शाया गया है। लाभ और हानि खाते आयकर गणना करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। उपरोक्त को देखते हुए पावती एवं भुगतान तालिका तैयार नहीं की जाती है।

ys[kk ijh{kd dh fVIi.kh	rsy m|ksx fodkl ckMZ dk mRrj
बावजूद यह पाया गया है कि तेउविबो इसे मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट जो सीएंडएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत की जाती है, में प्रकाशित नहीं करता।	

vuyXud
¼y[kk ijh{kk fjikV d vuPNn 3 ¼iii½ d lnHk e½

y[kk ijh{kd dh fVIi.kh	ry m|kx fodkl ckM d mRrj
1 vkrfjd y[kk ijh{kk lk;kIrrk तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2015–2016 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्मों द्वारा कराई गई। आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2015–2016 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पृथक रूप से अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 तक की रिपोर्ट 9 अप्रैल 2016 को तथा अक्टूबर 2015 तक की रिपोर्ट 23 जून 2016 को प्रस्तुत कर चुके हैं। तेउविबो द्वारा आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, जहॉं लागू हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा सिफारिशों के अनुपालन पर भी तेउविबो द्वारा विचार किया जा रहा है।	जैसाकि पहले ही कथित है, सुधारात्मक कार्रवाई जा रही है।
2 vkrfjd fu;=.k i.kkyh अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं की जाती और न तो बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके। अनुदानी संगठनों से प्राप्त होने वाली वास्तविक प्रगति रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने हेतु (अक्टूबर 2004) अलग फंड 'हाइड्रोजन कापर्स फंड' की वर्श 2004 में स्थापना की गई। हालांकि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्णय लिया कि फंड को व्यवस्थित करने के लिए किसी अलग ट्रस्ट या संगठन या सोसाइटी की कोई आवश्यकता नहीं है। तेउविबो को	अनुदानी संस्थानों से अनुदान के समुचित उपयोग सुनिश्चित करने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता सुनिश्चित करने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, जब भी अनुदानी संस्थाओं से मासिक अनुदान मांगें प्राप्त होती हैं यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न मदों में निधियों का उपयोग अनुमोदित बजट के अंदर हो और तदानुसार, निधियां जारी की जाती हैं। हालांकि सीमित मानव शक्ति और तकनीकी/विशेषज्ञ पेशेवरों की अनुपलब्धता के कारण, अपनी मौजूदा जनशक्ति के साथ तेउविबो के लिए यह संभव नहीं है कि वे अनंसुधान और विकास संस्थानों के कामों की भौतिक प्रगति को सत्यापित कर सकें। हांलाकि, महत्वपूर्ण और बडी वित्त पोषित परियोजनाओं का भविष्य में भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

y[kk ijh{kd dh fVIi.kh	rsy m|kx fodkl ckMZ dk mRrj
कार्पस फंड के लेखों को रखने को कहा गया। यह निर्णय लिया गया कि फंड की वित्तीय लेखा परीक्षा तेउविबो नियमानुसार की जाएगी। 31 मार्च 2016 तक कापर्स फंड से 141.39 करोड़ रूपये की राशि संचित हुई जिसे तेल उद्योग विकास बोर्ड के खातों से अलग विभिन्न बैंकों में रखा गया है। कॉपर्स फंड के लिए कोई भी औपचारिक लेखा परीक्षा तथा जवाबदेही प्रणाली नहीं बनायी गयी है। इतनी बड़ी धनराशि के निहित होने के कारण एक वित्तीय औपचारिक निरीक्षण प्रणाली का होना आवश्यक है।	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इस कार्यालय के अर्धशासित पत्र दिनांक 14.1.2015, 21.9.2015 और 30.3.2016 में अनुरोध किया है कि हाइड्रोजन कॉर्पस निधि की स्थिति पर आवश्यक निर्देश जल्द से जल्द तेउविबो को प्रेषित किए जाए। हांलाकि, सरकार की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई दिशानिर्देश तेउविबा को प्राप्त नहीं हुआ है।
3. vpy lEifRr;ksa dk okLrfod lR;kiu बहियों (अंचल संपत्ति रजिस्टर), के सन्दर्भ में सम्पतियों का वास्तविक सत्यापन सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), के नियम 192(i) के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तेउविबो 2014–15 में के दिए गए आश्वासन के बावजूद आवश्यक अचल सम्पत्ति रजिस्टर व्यवस्थित नहीं करता है।	वर्तमान में परिसम्पतियों का लेखा जोखा कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में रखा जाता है। जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ फर्नीचर और फिक्चर आदि शामिल हैं। लेखा परीक्षा द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जीएफआर 192 के अनुरूप प्रपत्र प्राप्त किया गया है और वित्त वर्ष 2016–17 से निर्धारित प्रपत्र में रिकार्ड बनाया जाएगा।
4. lkafof/kd ns;rkvksa dk Hkqxrku esa fu;ferrk जैसाकि तेउविबो द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया है।	सभी सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर कर दिया गया।

अध्याय-9

आईएसपीआरएल की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे

निदेशक मंडल

Jh lkjHk pUnk	अध्यक्ष	(30.04.2015 तक)
Jh d-Mh- f=ikBh	अध्यक्ष	(17.07.2015 से)
Mk- ,l-lh- [kfVvk	निदेशक	(15.06.2015 तक)
Jh vUkr dekj flg	निदेशक	(08.10.2015 से)
Jh ,-ih- lkguh	निदेशक	(28.03.2015 से)
Jh ;-ih- flg	निदेशक	(07.03.2016 तक)
Jh ,y-,u- xlrk	निदेशक	(05.06.2015 तक)
Jh ltho feÙky	निदेशक	(29.03.2016 से)
Jh lnhi ik.Mjhd	निदेशक	(12.01.2015 से)
Jh jktu d- fiYy	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(25.02.2014 से)
Jherh lxhrk xjkyk	स्वतंत्र निदेशक	(28.03.2015 से)
Jh ,l-ch- vfXugks=h	स्वतंत्र निदेशक	(28.03.2015 से)

e[; dk;dkjh vf/kdkjh ,o ic/k fun’kd
श्री राजन के पिल्लै

diuh lfpo
श्री अरूण तलवार

lkfof/kd y[kk ijh{kd
मैसर्स पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

cd l
dkikj’ku cd
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली 110 001

ithdr dk;ky;
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़,
नई दिल्ली–110 001

i’kklfud dk;ky;
ओ.आई.डी.बी, भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन : 91–120–2594641, फैक्स : 91–120–2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

fo’kk[kkiVue ifj;ktuk dk;ky;
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्–530 005
फोन : 0891–2574059

exykj ifj;ktuk dk;ky;
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, कलावर पोस्ट, वाया बाजपे
मंगलूरू–574142, फोन : 0824–6066100

iknj ifj;ktuk dk;ky;
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106
फोन : 0820–6560003

fun'kdk dh fjikVZ

lsok esa]
'ks;j/kkjdx.k]
bafM;u LVªSVsftd isVªksfy;e fjtoZl fyfeVsM

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 12वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखे का लेखापरीक्षित विवरण तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को सहर्ष प्रस्तुत करता है।

foÙkh; ifj.kke

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

Ø-la	fooj.k	vkadM+s yk[kksa esa		rqyu i= dk lanHkZ
(क)	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार प्रगति पर कार्य का प्रारंभिक शेष		322,626,54	टिप्पणी 9ख – 31.03.2015 के अनुसार अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन – पूर्व व्यय (वाईजैग परियोजना का वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पूंजीकृत किया गया)		(80,257.12)	टिप्पणी 9ख – 31.03.2016 को अंतिम शेष और 31.03.2015 को अंतिम शेष के मध्य अंतर
(ग)	अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि		84,633.46	टिप्पणी 9क – वर्ष के दौरान निवल वर्धन
(घ)	निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया {(i)-(ii)}		1231.19	
	(i) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (दीर्घावधि ऋण और अग्रिम)	2285.98		टिप्पणी 10
	(ii) गैर–वर्तमान देयताएं	1054.79		टिप्पणी 5
(ड़)	निवल वर्तमान देयताएं {(i)-(ii)}		(298.58)	
	(i) वर्तमान परिसंपत्तियां	8141.97		तुलन पत्र– वर्तमान परिसंपत्तियां
	(ii) वर्तमान देयताएं	8440.55		तुलन पत्र– वर्तमान देयताएं
(च)	संचित हानि		(6066.01)	टिप्पणी 4 – आरक्षित और अधिशेष
dqy ¼d+[k+x+?k+M+p½			**3,21,869.48**	

fu"iknu leh{kk

आपकी कंपनी को 5.33 एमएमटी कच्चे तेल भण्डारण स्थानों को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ साझा किए जाने वाले 0.30 एमएमटी सहित)। सामरिक भण्डारों के सृजन हेतु चयन किए गए स्थल विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। सामरिक भण्डारण सुविधाओं के निर्माण हेतु पूंजी लागत मूल रूप से सितम्बर, 2005 मूल्यों पर 2,397 करोड़ रूपये अनुमानित की गई थी। विशाखापट्टनम हेतु संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) के लिए अनुमोदन जून, 2011 तथा उसके बाद फरवरी, 2015 में दोबारा प्राप्त किया गया था। मंगलौर तथा पादुर हेतु

आरसीई नवम्बर, 2013 में अनुमोदित की गई थी। 3 स्थलों हेतु आरसीई इस प्रकार है : विशाखापट्टनम रूपये1,178.35 करोड़ मंगलौर रूपये1,227 करोड़ और पादुर रूपये1,693 करोड़। इस प्रकार परियोजनाओं की कुल संशोधित लागत 4098.35 करोड़ रूपये होती है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूंजीगत लागत को ओआईडीबी के पास उपलब्ध विद्यमान निधियों से पूरा किया जाएगा, सिवाय विशाखापट्टनम में 0.3 एमएमटी कंपार्टमेंट हेतु, जिसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुपातिक लागत साझेदारी आधार पर ग्रहण किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि सामरिक भण्डारों की संचालन तथा अनुरक्षण लागत को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में खनिज तेल भरने की लागत के प्रति 4,948 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न पहलें किए हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सभी परियोजनाओं हेतु पीएमसी है। परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1- fo'kk[kkiêue ¼Hk.Mkj.k {kerk %1-33 ,e,eVh½

बोर्ड सदस्यों को यह सहर्ष सूचित करता है कि विशाखापट्टनम केवर्न को चालू कर लिया गया है। भूमिगत सिविल कार्य एचसीसी द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटीआईईएसएल द्वारा निष्पादित किये गये थे। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रही है।

विशाखापट्टनम में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

2- eaxykSj ¼Hk.Mkj.k {kerk %1-5 ,e,eVh½

मंगलौर केवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु एमएसईजेडएल से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यों को मैसर्स एसके इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर

(एसकेईसी–केसीटी जेवी) के संयुक्त उद्यम और प्रक्रिया सुविधाएं मैसर्स पुंज लायड द्वारा निष्पादित किये गये थे। भूमिगत सिविल कार्यों को पूरा कर लिया गया है और प्रक्रिया सुविधाएं भी पूर्णता कर ली गई हैं। सुविधा में 0.75 एमएमटी के प्रत्येक 2 कंपार्टमेंट हैं। केवर्न स्वीकृति परीक्षण (सीएटी) को पूरा कर लिया गया है। उक्त के पश्चात ईआईएल ने केवर्न कंपार्टमेंटों में धारण में सुधार हेतु अतिरिक्त बोरहोल की ड्रिलिंग का परामर्श दिया है। जिसको को पूरा कर लिया गया है।

केवर्न का इनर्टाइजेशन प्रगति पर है और चालू किए जाने से पूर्व की जांचे की गई है।

समग्र भौतिक प्रगति 99.72 % है। प्रगति में पाइपलाइन की प्रगति शामिल नहीं है।

परियोजना को अंतिम रूप से चालू किया जाना मंगलौर बंदरगाह के निकट लैंड फॉल बिंदु से मंगलौर केवर्न तक एक मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन के माध्यम से 48'' पाइपलाइन को बिछाए जाने तथा अतिरिक्त बोरहोल पूर्ण किए जाने पर निर्भर है। 12.725 किलोमीटर पाइपलाइन में से, 12.69 किलोमीटर को पूरा कर लिया गया है तथा शेष को अप्रैल, 2016 तक पूरा किए जाने का कार्य कार्यक्रम है। परियोजना को उसके पश्चात चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

मंगलौर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

3- iknj ¼HkkMkj {kerk % 2-5 ,e,eVh½

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्यों को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे और केवर्न स्वीकृति परीक्षण भी पूर्ण हो गए हैं। सुविधा में 0.625 एमएमटी के प्रत्येक 4 कंपार्टमेंट हैं। केवर्नों का इनर्टाइजेशन पूर्ण हो गया है। परियोजना की अंतिम पूर्णता 10 किलोमीटर लम्बी

110केवीए की ओवरहेड विद्युत ट्रांसमीशन लाइन और साथ ही साथ मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन से पादुर तक एक 42'' व्यास वाली 36 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछाए जाने पर निर्भर करेगी। 35.8 किलोमीटर में से 8.49 किलोमीटर जमीन के नीचे किया गया है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइन का बिछाया जाना आरओयू मुद्दों के कारण प्रभावित हुआ है। 110 केवी एचटी लाइन हेतु लगाए जाने वाले 56 टावरों में से, 25 को खड़ा कर दिया गया है तथा 54 टावरों की नींव पूरी हो चुकी है। शेष नींव डालने का कार्य कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर किए गए आरओयू मुद्दों के कारण स्थगित है। परियोजना को चालू किया जाना विद्युत लाइन तथा पाइपलाइन की पूर्णता पर निर्भर है। परियोजना को 110केवी एचटी लाइन तथा 42'' व्यास वाली खनिज तेल पाइपलाइन को पूरा होने के पश्चात चालू किया जाएगा। पाइपलाइन प्रगति सहित परियोजना की समग्र प्रगति 98.12 % है।

पादुर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

4- lkefjd Hk.Mkj dk;ZØe dk pj.k&2

दिसम्बर, 2008 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिवस के तेल आयात के समतुल्य एक भण्डार को बनाया रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निर्देश के आधार पर, आईएसपीआरएल को चार राज्यों में चरण–2 में कच्चे तेल के 12.5 एमएमटी के सामरिक भण्डारण हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चुने गए स्थल राजस्थान में बीकानेर, ओडीशा में चांदीखोल, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में पादुर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को डीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार की जा चुकी है जिसमें संशोधित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :–

i. पादुर 2.5 एमएमटी,
ii. चांदीखोल 3.75 एमएमटी,
iii. राजकोट 2.5 एमएमटी और
iv. बीकानेर 3.75 एमएमटी।

बाद में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एसबीआई कैप्स को चरण–2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके की सिफारिश करने हेतु नियोजित करने का आईएसपीआरएल को परामर्श दिया था। निवेशकों के साथ बैठक 8–9 जून, 2015 को हुई थी जिसमें विभिन्न तेल तथा आधारभूत ढांचागत कंपनियों ने प्रतिभागिता की थी। एसबीआई कैप्स की सिफारिशें प्राप्त हुई और उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अवगत कर दिया गया था।

ykHkka'k

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु किसी लाभांश की सिफारिश नही की है।

lkoZtfud tek

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2016 के अनुसार जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित, स्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं किया है और तदुनसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

y[kkijh{kk lfefr

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष

(ii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

(iii) श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

ukekdu vkj ikfjJfed lfefr

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री संदीप पौण्डरिक, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय : अध्यक्ष

(ii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

(iii) श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

dkjikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro lfefr

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष

(i) श्री संदीप पौण्डरिक, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय : सदस्य

(iii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

चूंकि कंपनी ने पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया है, कंपनी ने सीएसआर क्रियाकलापों पर कोई राशि व्यय नहीं की है।

okf"kd fjVu dk m)j.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुपालन में, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण फार्म सं. एमजीटी–9 में vuc/k&d के रूप में संलग्न है।

ckM dh cBd

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2015–16 में 4 बैठकें की जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) 23 जुलाई, 2015

(i) 24 सितंबर, 2015

(i) 14 दिसम्बर, 2015

(iv) 28 मार्च, 2016

0;kikj dh ç—fr e ifjorlu

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

vkjf{kr dk vrj.k

कंपनी के आरक्षितों को किसी राशि का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

depkfj;k dk C;kj

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

Lor= funs'kdk }kjk ?kk"k.kk

सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा यह घोषणा दी गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा 6 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ckM dk dk;&fu"iknu eY;kdu

आईएसपीआरएल के अध्यक्ष और अधिकांश निदेशकों का मूल्यांकन पहले ही सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। आईएसपीआरएल किसी अन्य सरकारी कंपनी के समान ही नियंत्रक

एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) लेखापरीक्षा के भी अधीन है। आईएसपीआरएल ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय से सरकारी कंपनियों के समान ही आईएसपीआरएल के निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन को छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

tkf[ke çc/ku

वर्ष 2015–16 के दौरान, आईएसपीआरएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही मंगलौर और पादुर परियोजनाएं निर्माण चरण में थी। परियोजनाओं को टर्न–की आधार पर संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा था। संविदा के अनुसार संविदाकारों से अपने उपकरणों तथा जनशक्ति आदि और अपने क्रियाकलापों के कारण तृतीय पक्ष जोखिम सहित जोखिमों को कवर करने की अपेकक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्थापन संबंधी कार्यों हेतु आईएसपीआरएल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कवर लिया है।

विशाखापट्टनम सुविधाओं हेतु, जोखिमों को एचपीसीएल की मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। भंडारण किए गए समप्रभुत्वी वाले खनिज तेल को नेशनल इंश्योकरेन्सर कंपनी के साथ मानक अग्नि तथा सभी जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है।

çe[k çc/kdh; dkfeZd ¼d,eih½

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित को पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पदंकित किया गया था :

क) कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक – श्री राजन के.पिल्लै

ख) मुख्य वित्तीय अधिकारी – श्री एस.आर. हस्यागर

ग) कंपनी सचिव – श्री अरूण तलवार

funs'kdksa dk ifjJfed

आईएसपीआरएल के बोर्ड में सभी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित पदेन निदेशक होते हैं सिवाय सीईओ एवं एमडी और स्वंतंत्र निदेशकों के। केएमपी सहित कंपनी के अन्य अधिकारी तेल क्षेत्र पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड ने सीईओ एवं एमडी के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की अन्य शर्तों को अनुमोदित किया है। आईएसपीआरएल के सीईओ एवं एमडी तथा स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक को इस रिपोर्ट के अनुबंध–I में दिया गया है।

Hkkfrd ifjorZu rFkk çfrc)rk,a

ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हैं जो तुलन–पत्र से संबंधित कंपनी के वित्त–वर्ष के समापन के पश्चात तथा रिपोर्ट की तिथि के मध्य हुए हों।

dEiuh dh pkyw fLFkfr vkSj Hkfo"; esa dEiuh ds çpkyuksa dk çHkkfor djus okyh fu;kedksa ;k U;k;ky;ksa ;k vf/kdj.kksa }kjk ikfjr egRoiw.kZ rFkk Hkkfrd vkn'kksZa dk C;kSjk

कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले किसी महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेश को नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया था।

vu"kxh daiuh@l;ä m|e@,lkfl,V dEiuh

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट कम्पनी नहीं है।

y[kkijh{kd

lkfof/kd y[kkijh{kd %

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) ने मैसर्स पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है जिन्होंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ¼vuc/k&[k½। शेयरधारकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की थी। वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी नहीं की है।

lfpoky;hu y[kkijh{kk %

वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड ने मैसर्स पीजी एण्ड एसोसिएटस, कंपनी सचिव (सीपी संख्या – 6065), पूर्णकालिक प्रैक्टिस में होने वाले कंपनी सचिव, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015–16 हेतु सचिवालयीन लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। सचिवालयीन लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ vuc/k&x के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है।

Åtk lj{k.k] rduhd vkRelkr djuk] vuqla/kku vkSj fodkl rFkk fons'kh eqæk vtZu rFkk O;;

कंपनी ने विशाखापट्नम केवर्न को चालू किया है और मंगलौर तथा पादुर में केवर्नों को अभी चालू किया जाना है। कंपनी के पास ऊर्जा संरक्षण और तकनीक आत्मसात किए जाने के संबंध में प्रकाशित की जाने वाली कोई जानकारी नहीं है।

कंपनी का वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नही था। तथापि, इसमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने व्यापार क्रियाकलापों हेतु कुल 5.85 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

vkrfjd fu;=.k

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जो सभी आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता के स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन और प्रचालन तथा व्यापार यूनिटों के आंतरिक प्रक्रियाओं तथा प्रक्रियाविधियों और साथ ही साथ नियामक तथा विधिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

dk;Z LFky ij ;kSu mRihM+u dk jksduk

कंपनी ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध तथा निवारण और उससे संबंधित या प्रासंगिक

सभी मामलों और 'कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा समाधान) अधिनियम, 2013' में समाविष्ट सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक नीति बनाई है। वर्ष के दौरान कंपनी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

/kkjk 186 d vrxr _.k] xkjVh vFkok fuos'k dk C;kj

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कवर होने वाले किसी ऋण अथवा गारंटी को नहीं दिया है।

lcf/kr i{k dkjkckj

सभी संबंधित पक्ष कारोबार ओआईडीबी द्वारा इक्विटी पूंजी प्रतिभागिता तथा अस्थायी अग्रिम और आईएसपीआरएल के सीईओ एवं एमडी को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान तक ही सीमित थे।

fun'kdk d mÙkjnkf;Ro dk fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ग) के अंतर्गत अपेक्षानुसार आपकी कंपनी का निदेशक मंडल एतद्वारा निम्नानुसार बताता है तथा पुष्टि करता है :

1. वित्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण सामग्री विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

3. निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल–साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;

4. निदेशकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे को एक 'अनवरत संबंध' के आधार पर तैयार किया है;

5. कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

fun'kd eMy

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में वर्तमान में 7 अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक (पदेन) और एक पूर्णकालिक सीईओ एवं एमडी है, विवरण नीचे दिए गए हैं :

(i) श्री के.डी.त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष (डीआईएन 07239755)

(ii) श्री अनंत कुमार सिंह, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अपर निदेशक (डीआईएन 07302904)

(iii) श्री ए. पी. साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 03359323)

(iv) श्री संजीव मित्तल, सचिव, ओआईडीबी – निदेशक (डीआईएन 07479317)

(v) श्री संदीप पौण्डरिक, संयुक्त सचिव (आर) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 01865958)

(vi) श्री राजन के.पिल्लै, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक (डीआईएन 06799503)

(vii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन 07172316)

(viii) श्री एस. बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन 03390553)

01 अप्रैल, 2015 के पश्चात से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

(i) श्री सौरभ चन्द्रा, अध्यक्ष (30.04.2015 से निदेशक नहीं रहे)

(ii) श्री एल.एन.गुप्ता, निदेशक (05.06.2015 से निदेशक नहीं रहे)

(iii) डा. एस. सी. खूंटिया, निदेशक (15.06.2015 से निदेशक नहीं रहे)

(iv) श्री यू. पी. सिंह, निदेशक (07.03.2016 से निदेशक नहीं रहे)

(v) श्री के. डी. त्रिपाठी (17.07.2015 से नियुक्त)

(vi) श्री अनंत कुमार सिंह (08.10.2015 से नियुक्त)

(vii) श्री संजीव मित्तल, निदेशक (29.03.2016 से नियुक्त)

vkfHkLohdfr

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्ग–दर्शन तथा सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(संदीप पौण्डरिक)
निदेशक
(डीआईएन 01865958)

(राजन के.पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

दिनांक : 26 सितम्बर, 2016
स्थान : नई दिल्ली

vuqca/k & d

QkeZ la- ,e th Vh-9

okf"kZd fooj.kh dk m)j.k

31 ekpZ] 2016 dks lekIr foÙkh; o"kZ gsrq

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 92¼3½ vkSj dEiuh ¼çca/ku vkSj ç'kklu½ fu;ekoyh] 2014 ds fu;e 12¼1½ ds vuqikyu esa

I. iathdj.k vkSj vU; C;kSjs %

i) सीआईएन : यू63023डीएल2004जीओआई126973

ii) पंजीकरण तिथि 16 जून, 2004

iii) कंपनी का नाम – इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी – गैरसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे – 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001 टेलीफोन : 0120–2594641 फैक्स : 0120–2594643

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है – नहीं

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो – लागू नही

II. dEiuh ds fØ;kdyki

विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में सामरिक खनिज तेल भंडारण केवर्नों का निर्माण, केवर्नों का प्रचालन और केवर्न में खनिज तेल की अभिरक्षा।

Øe la-	eq[; mRiknksa@lsokvksa dk uke rFkk fooj.k	mRikn@lsok dk ,uvkbZlh dksM	dEiuh ds dqy VuZvksoj dk çfr'kr
1.	खनिज तेल केवर्न सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण	43900 52109	--
2.	--	--	--
3.	--	--	--

III. /kkjd dEiuh dk C;kSjk

Øe la-	dEiuh dk uke vkSj irk	iSu uEcj	/kkjd dEiuh@ vuq"kaxh dEiuh@ ,lksfl,V dEiuh	/kkfjr 'ks;jksa dk %	ykxw [kaM
1.	rsy m|ksx fodkl cksMZ	AAAJO0 032A	/kkjd	100	2(46)

IV. 'k;j /kkfjr iVVu ¼dqy bfDoVh d çfr'kr d rkj ij bfDoVh 'k;j iwth C;kjk½
i½ J.kh&okj 'k;j/kkfjrk

'k;j/kkjdk dh J.kh	o"k dk ikjEHk e /kkfjr 'k;jk dh l[;k ¼l[;k djkM e½				o"k dk vUr e /kkfjr 'k;jk dh l[;k ¼l[;k djkM e½				o"k dk nkjku % ifjorZu
	MheV	Hkkfrd	dqy	dqy 'k;jk dk %	MheV	Hkkfrd	dqy	dqy 'k;jk dk %	
d- çekVj (1) भारतीय (क) व्यक्तिगत/एचयूएफ (ख) केन्द्र सरकार (ग) राज्य सरकार(रें) (घ) निगमित निकाय	शून्य	312.73	312.73	100	शून्य	341.88	341.88	100	9.32
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान (च) अन्य कोई mi tkM ¼d½ ¼1½ %&	शून्य	312.73	312.73	100	शून्य	341.88	341.88	100	9.32
¼2½ fons'kh (क) एनआरआई–व्यक्तिगत (ख) अन्य : व्यक्तिगत (ग) निगमित निकाय (घ) बैंक/वित्तीय संस्थान (ङ) अन्य कोई mi tkM ¼d½ ¼2½ %&	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
çekVj dh dqy 'k;j/kkfjrk ¼d½¾¼d½¼1½+ ¼d½¼2½	शून्य	312.73	312.73	100	शून्य	341.88	341.88	100	9.32
[k- lkoZtfud 'k;j/kkfjrk 1. संस्था (क) म्यूचुअल फंड (ख) बैंक/वित्तीय संस्थान (ग) केन्द्र सरकार (घ) राज्य सरकार (रें) (ङ) उद्यम पूंजी निधि (च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

'k;j/kkjdk dh J.kh	o"k d iljHk e /kkfjr 'k;jk dh l[;k ¼l[;k djkM e½				o"k d vr e /kkfjr 'k;jk dh l[;k ¼l[;k djkM e½				o"k d nkjku ifr'kr ifjorlu
	MheV	Hkkfrd	dy	dy 'k;jk dk %	MheV	Hkkfrd	dy	dy 'k;jk dk %	
2)									
(छ) एफआईआई (ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि (झ) अन्य (निर्दिष्ट करे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
mi tkM ¼[k½ ¼1½ %&									
2. गैर–संस्थान (क) निगमित निकाय (i) भारतीय (ii) विदेशी (ख) व्यक्तिगत (i) 1 लाख रूपए तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (ii) 1 लाख रूपए से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) mi tkM ¼[k½ ¼2½ %&	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर और एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ldy tkM ¼d+[k+x½	शून्य	312.73	312.73	100%	शून्य	341.88	341.88	100%	9.32

(ii) i orZdk dh 'k;j/kfjrk

Ø-la	'k;j/kkjdk dk uke	o"kZ ds ikjEHk esa 'k;j/kkfjrk			o"kZ ds vUr esa 'k;j/kkfjrk			
		'k;jksa dh la[;k ¼djksM+ esa½	dEiuh ds dqy 'k;jksa dk %	dqy 'k;jksa esa fxjoh@HkkjxzLr j[ks x, 'k;jksa dk %	'k;jksa dh la[;k ¼djksM+ esa½	dEiuh ds dqy 'k;jksa dk %	dqy 'k;jksa esa fxjoh@HkkjxzLr j[ks x, 'k;jksa dk %	o"kZ ds nkSjku 'k;j/kkfjrk esa % ifjorZu
1	rsy m|ksx fodkl cksMZ*							
	dqy	312.73	100	शून्य	341.88	100	शून्य	9.32

* तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के अतिरिक्त, कंपनी के 6 अन्य शेयरधारक है जो ओआईडीबी के नामिति है। अन्य 6 शेयरधारकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. श्री गणेश चन्द्र डोभाल
2. श्री राजेश कुमार सैनी
3. श्री गिरीश चन्द्र
4. श्रीमती ज्योति शर्मा
5. श्री एम.एस. चौहान
6. श्री राजेश मिश्रा

(iii) i orZdk dh 'k;j/kfjrk esa ifjorZu

Ø-la		o"kZ ds ikjEHk esa 'k;j/kkfjrk		o"kZ ds nkSjku lafpr 'k;j/kkfjrk	
		'k;jksa dh la[;k ¼la[;k djksM+ esa½	dEiuh ds dqy 'k;jksa dk %	'k;jksa dh la[;k ¼la[;k djksM+ esa½	dEiuh ds dqy 'k;jksa dk %
	वर्ष के प्रारंभ में	312.73	100	341.88	100
	वृद्धि/कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी (जैसे कि आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) :	<u>'k;jksa dk vkoVu</u> **i) 22.05.2015** 7.60 करोड़ शेयर **ii) 23.07.2015** 7.25 करोड़ शेयर **iii) 14.12.2015** 2.10 करोड़ शेयर **iv) 28.03.2016** 12.20 करोड़ शेयर			
	वर्ष के अंत में	312.73	100	341.88	100

(iv) nl ‘kh”kZ ‘ks;j/kkjdksa dk ‘ks;j/kkfjrk iSVuZ ¼funs’kd] izorZd vkSj thMhvkj rFkk ,Mhvkj ds /kkjdksa ds vfrfjDr½%

Ø-la		o”kZ ds izkjaHk esa ‘ks;j/kkfjrk		o”kZ ds nkSjku lafpr ‘ks;j/kkfjrk	
	10 ‘kh”kZ ‘ks;j/kkjdksa esa ls izR;sd ds fy,	‘ks;jksa dh la[;k	daiuh ds dqy ‘ks;jksa dk %	‘ks;jksa dh la[;k	daiuh ds dqy ‘ks;jksa dk %
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वृद्धि / कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / कमी (जैसे कि आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथकीकरण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) funs’kdksa vkSj izeq[k izca/ku dkfeZdksa dh ‘ks;j/kkfjrk%

Ø-la		o”kZ ds izkjaHk esa ‘ks;j/kkfjrk		o”kZ ds nkSjku lafpr ‘ks;j/kkfjrk	
	izR;sd funs’kd vkSj ds,eih ds fy,	‘ks;jksa dh la[;k	daiuh ds dqy ‘ks;jksa dk %	‘ks;jksa dh la[;k	daiuh ds dqy ‘ks;jksa dk %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / कमी (जैसे कि आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. _.kxLrrk

cdk;k@iknHkr C;kt fdrq Hkxrku gsrq ns; ugha lfgr daiuh dh _.kxLrrk

	tek dks vfrfjDr ifrHkwr _.k	vifrHkwr _.k	tek	dqy _.kxLrrk
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल धन ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy ¼i+ii+iii½	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता I) मूल धन ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy ¼i+ii+iii½	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. funs'kdksa vkSj izca/ku dkfeZdksa dk ikfjJfed

d- izca/k funs'kd dk ikfjJfed

Ø-la	ikfjJfed dk C;kSjk	,eMh@MCY;wVhMh@ izca/kd dk uke	dqy jkf'k
		श्री राजन के पिल्लै, कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्यन (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	15,71,904/- रूपये 10,77,450/- रूपये शून्य	15,71,904/- रूपये 10,92,300/- रूपये शून्य
2.	स्टॉक विकल्प		
3.	स्वेट इक्विटी		
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें...		
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	कुल (क)	26,49,354/- रूपये	
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	91,68,800/- रूपये	

VI- fun'kdk vkj ie[k ic/ku dkfeldk dk ikfjJfed
[k- vU; fun'kdk dk ikfjJfed

Ø-l	ikfjJfed d C;kj	fun'kd dk uke		dqy jkf'k
	3 स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती संगीता गैरोला	श्री एस.बी. अग्निहोत्री	
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	1,60,000/– रूपये	1,20,000/–रूपये	2,80,000/– रूपये
	कुल (1)	1,60,000/– रूपये	1,20,000/–रूपये	2,80,000/– रूपये
	4. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क् • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट् करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	1,60,000/– रूपये	1,20,000/–रूपये	2,80,000/– रूपये
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	29,29,354/–रूपये		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	91,68,800/–रूपये		

x- ,eMh@çc/kd@MCY;VhMh d vfrfjDr çe[k çc/ku dkfeldk dk ikfjJfed

Ø-l	ikfjJfed d C;kj	ie[k ic/ku dkfeld			
		lhbivk	diuh lfpo	lh,Qvk	dqy
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	पहले ही तालिक में क्रम सं. ए में कवर किया जा चुका है।	*	*	
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य , निर्दिष्टि करें...				
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करे				
	dqy				

* lh,Qvk vkj diuh lfpo vkbi,lihvkj,y d deipkjh ugh g vkj vU; rqy ih,l;w l çfrfu;ä ij vkbi,lihvkj,y e vk, g,]A

VII. ‘kkfLr@nM@vijk/kk dk ‘keu

izdkj	dEiuh vf/kfu;e dh /kkjk	lf{kIr fooj.k	yxkbZ xbZ ‘kkfLr@nM@ ‘keu ‘kqYd ds C;kSjs	izkf/kdj.k [vkjMh@ ,ulh,yVh@ U;k;ky;]	dh xbZ vihy] ;fn dksbZ gks ¼C;kSjk nhft,½
d- dEiuh					
‘kkfLr	--	--	--	--	--
nM	--	--	--	--	--
‘keu	--	--	--	--	--
[k- funs’kd					
‘kkfLr	--	--	--	--	--
nM	--	--	--	--	--
‘keu	--	--	--	--	--
x- vU; pwd djus okys vf/kdkjh					
‘kkfLr	--	--	--	--	--
nM	--	--	--	--	--
‘keu	--	--	--	--	--

vuc/k & [k

Lor= y[kkijh{kdk dh fjikV

bfM;u LVVftd iVkfy;e fjtol fyfeVM d lnL;k dk

यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमारी दिनांक 9 अगस्त, 2016 तथा 14 सितम्बर, 2016 की पिछली स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अधिलंघन में जारी की जा रही है। संशोधित रिपोर्ट को हमारी पहले की रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इंगित कुछ कमियों के मद्देनजर जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम यह पुष्टि करते हैं कि पहले व्यक्त किए गए अनुसार मत में कोई परिवर्तन नहीं है और 31 मार्च, 2016 को कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

foÙkh; fooj.kk ij fjikV

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

foÙkh; fooj.kk gr çc/ku dk mÙkjnkf;Ro

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन और नकदी प्रवाहों की वास्तविक तथा उचित स्थिति को दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख–रखाव उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों का उपयोग और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण भी शामिल है जो लेखांकन मानकों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतिकरण हेतु संगत थे जो एक सही तथा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें और जो किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त हों चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा चूक के।

y[kkijh{kd dk mÙkjnkf;Ro

हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में लिया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है।

लेखा–परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।

er

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को कंपनी की स्थिति का, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ और नकदी प्रवाह एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

ekey: ij cy fn;k tkuk

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपनी खनिज तेल माल–सूची का स्वामित्व तथा नियंत्रण करना और महत्वपूर्ण सप्रभुत्व वाले खनिज तेल के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना और सरकार के विशिष्ट अनुदेश के अनुसार इसके खनिज तेल भंडार को जारी करने तथा प्रतिस्थापित करने का समन्वय करना है। इस संबंध में संगम ज्ञापन में उचित संशोधन करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन लम्बित है। वर्ष के दौरान कंपनी ने विशाखापट्टन में महत्वपूर्ण सप्रभुत्व वाले खनिज तेल को प्राप्त किया है अतः केवर्नो में भण्डारण किए गए खनिज तेल के सामरिक भण्डार का लेखांकन लेखाबहियों में नही किया गया है और उसे वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है –देखें टिप्पणी संख्या 14.4(iv)। हमारा मत इस मामले के संबंध में सशोधित नहीं है।

vU; fof/kd ,oa fu;ked vko';drkvksa dh lwpuk

क. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हमने लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण vuqc/k&d में संलग्न किया है।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते है कि :

   क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

ग. इस रिपोर्ट से संबधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों के अनुरूप है।

घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम–7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

ड़. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2016 के अनुसार रिकार्ड में लिया गया था, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2016 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अपात्र नहीं हैं।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में ^vuqc/k& [k^ में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। और

छ. कम्पनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार –

i) कंपनी ने इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तींय विवरणों की टिप्पणी 14.1 को देखें।

ii) कम्पनी की कोई व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमान वाले हानियां हों।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि को अंतरित किए जाने की अपेक्षा वाली कोई राशि नहीं थी।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत उप–निदेशों द्वारा अपेक्षानुसार ^vuqc/k&x^ में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

हस्ता./–
सीए बिनय कुमार झा
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2016

y[kkijh{kdk dh fjikV dk vuc/k & d

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तिथि की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 5ए में उल्लिखित अनुबंध, हम सूचित करते हैं कि

i) (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरों तथा स्थितियों सहित पूर्ण ब्यारों को दर्शाने वाले उचित रिकार्डों को रखा है।

(ख) वर्ष के दैरान प्रबधन द्वारा सभी अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है पर सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है तथा सूचित किए गए अनुसार ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।

ग) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा जांच के आधार पर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। मंगलौर के संबंध में पट्टा समझौता प्रक्रियाधीन है।

ii) हमें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार खनिज तेल माल–सूची भारत सरकार के महत्वपूर्ण सप्रभुता वाले भण्डार होने के चलते संदर्भाधीन अवधि के दौरान तर्कसंगत अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार भंडारों की प्रकृति तथा स्थिति के संबंध में भौतिक सत्यापन की आवृति तर्कसंगत प्रतीत होती है।

iii) (क) प्रस्तुत सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर की गई कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। अतः उक्त आदेश का पैराग्राफ 3(3) कंपनी पर लागू नहीं होता और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने निवेश, गारंटी और प्रतिभूति प्रावधानों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया है।

v) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 जनता से स्वीकार जमाओं के संबंध में लागू नहीं होता हैं। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(v) कम्पनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख–रखाव को विहित नहीं किया है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(vi) कम्पनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा लेखाबहियों एवं रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने सामान्यतः आयकर, मूल्यवर्धित कर, कार्य संविदा कर, सेवा कर, उप कर तथा

अन्य किसी सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों को आमतौर पर नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार विवाद के कारण कंपनी द्वारा आयकर, बिक्री कर तथा रॉयल्टी के निम्नलिखित देयों को जमा नहीं करवाया गया है।

lfof/k dk uke	n;k dk idfr	jkf'k ¼yk[k :i;s e½	vof/k ftlls jkf'k lacf/kr gS	eap tgk fookn yfcr gS
आय कर अधिनियम अधिनियम, 1961	आय कर	27	2012–13	सीआईटी (ए), दिल्ली
आय कर अधिनियम अधिनियम, 1961,	आय कर	255	2013–14	सीआईटी (ए), दिल्ली
बिक्री कर	एंट्री कर	38	2010–11	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	121	2011–12	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	55	2012–13	वाणिज्यिक कर का उप वाणिज्यिक विभाग, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	67	2013–14	वाणिज्यिक कर का उप वाणिज्यिक विभाग, बंगलौर
आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियमावली 1996	रायल्टी	10493	2013–14	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय आंध्र प्रदेश

viii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर भी जारी नहीं किए हैं। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(8) कंपनी पर लागू नहीं होता है और उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण लिखत तथा सावधि ऋण सहित इनिशियल पब्लिक ऑफर अथवा आगे के पब्लिक ऑफर के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है और उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

x) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान किसी धोखाधड़ी को पाया या सूचित नहीं किया गया है।

xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित लेखाबहियों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान अथवा व्यवस्था कंपनी अधिनियम की अनुसूची–V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार किया गया है।

xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।

xiii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ समव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में है और जहां लागू हों ऐसे समव्यवहारों के ब्योरे लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

xiv) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन अथवा पूर्णता या आंशिक रूप से भुगतान किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी नहीं किया है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

xv) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

xvi) हमारे मतानुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1A के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

हस्ता./–
सीए बिनय कुमार झा
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 सितम्बर, 2016

ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk vuqca/k & [k

कंपनी अधिनियम, 2013 ''अधिनियम'' की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड(i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

bafM;u LVªsVsftd isVªksfy;e fjtoZ~l fyfeVsM ¼vkbZ,lihvkj,y½ ds lnL;x.k

हमने 31, मार्च, 2016 के अनुसार bafM;u LVªsVsftd isVªksfy;e fjtoZ~l fyfeVsM 'कंपनी' की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa gsrq çca/ku dk nkf;Ro

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है और ऐसा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल होता है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करें और जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाया जाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार किया जाना शामिल है।

ys[kkijh{kd dk nkf;Ro;

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ''परामर्शी नोट'' और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है, जिस सीमा तक यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू होते है, और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते है, तथा दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थांन द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थांपित तथा अनुरक्षित किए गए है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे है।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यो प्राप्त करने का कार्य भी शामिल होता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तींय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि क्यकि कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आकलन किए गए जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन शामिल था। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।

foÙkh; fjikfVZx ij vkrfjd foÙkh; fu;=.k dk vFk

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्त्िय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वनीयता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने और सामान्यपतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रकियाएं शामिल होती है जो कि

1. तर्कसंगत ब्यौरे में रिकार्डों के रख–रखाव, सटीकता और उचित रूप से कंपनी के संव्यवहारों और परिसंपत्तियों के निपटान को दर्शाते हों,

2. इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करते हो कि आवश्यकतानुसार ऐसे संव्यवहारों को रिकार्ड किया जाए जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने देते हो, और कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता हो,

3. वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों की अप्राधिकृत खरीद, उपयोग या निपटान को रोकने या समय पर पता लगाने के संबंध तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाते हों।

foÙkh; fjikfVZx ij vkrfjd foÙkh; fu;=.k dh fufgr lhek,

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं है, जिसमें सांठ–गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों को लांघना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतबयानी जिसका पता न लग सके, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन होता है कि स्थिंतियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्ति सिद्ध हो सकता है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

er

हमारे मतानुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक संबंध में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीयय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में बताए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थांपित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

हस्ता./–
सीए बिनय कुमार झा
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2016

y[kkijh{kdk dh fjiksVZ dk vuqca/k & x

31, मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर bafM;u LVªSVsftd isVªksfy;e fjtoZl fyfeVsM के सदस्यों को समसंख्यक तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 5सी में उल्लिखित अनुबंध के अनुसार हम सूचित करते है कि :

1. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपनी खनिज तेल माल–सूची का स्वामित्व तथा नियंत्रण करना और महत्वपूर्ण सप्रभुत्व वाले खनिज तेल के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना और सरकार के विशिष्ट अनुदेश के अनुसार इसके खनिज तेल भंडार को जारी करने तथा प्रतिस्थापित करने का समन्वय करना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने विशाखापट्टन में महत्वपूर्ण सप्रभुत्व वाले खनिज तेल को प्राप्त किया है अतः केवर्नो में भण्डारण किए गए खनिज तेल के सामरिक भण्डार का लेखांकन लेखाबहियों में नही किया गया है और उसे वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है – देखें टिप्पणी संख्या 14.4 (iv)।

2. बीमांक को प्रस्तुत सूचना अर्थात कर्मचारियों की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्ति आय और सेवानिवृत्ति लाभों हेतु प्रावधानों को निकालने के लिए छूट दर, भविष्य की लागत वृद्धि दर के संबंध में बीमांक द्वारा निकाली गई मान्यताओं का सत्यापन लागू नहीं है क्योंकि सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है और उक्त को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 2.9 देखें।

3. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी की तीन स्थलों अर्थात वाइजैग, मंगलौर तथा पादुर में सुविधाएं है। सभी तीन स्थाचनों पर निर्माण कार्यकलापों को करने के लिए कंपनी को भूमि का कब्जा सौंपा गया है। वाईजैग तथा पादुर स्थलों पर पट्टा विलेख पहले की पंजीकृत कर लिए गए है। मंगलौर के संबंध में पट्टा समझौता प्रक्रियाधीन है।

4. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट व बटटे खाते का, लेखन संबंधी सूचना देने का मामला कंपनी से संगत नहीं है।

5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीरकरण के अनुसार तृतीय पक्ष के पास कोई वस्तुसूची नहीं है और कोई परिसंपत्ति सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है, और मामला कंपनी से संगत नहीं है।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

हस्ता./–
सीए बिनय कुमार झा
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2016

vuqca/k&?k

31 ekp] 2016 dks lekIr foÙk o"kZ gsrq
lfpoky;hu ys[kkijh{kk fjiksVZ

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली–110001

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकाड़ों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात् सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकाड़ों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय; लागू नहीं

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय; लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992(''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश :–

   (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011; लागू नहीं

   (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 1992; लागू नहीं

   (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009; लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999; लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीकरण) विनियम, 2008; लागू नहीं

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993; लागू नहीं

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998: लागू नहीं

(vi) अन्य लागू कानून

- (i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
- (ii) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974
- (iii) तेलक्षेत्र अधिनियम, 1948
- (iv) विस्फोटक अधिनियम, 1884

पर्यावरणीय कानून :

- (i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- (iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (iv) हानिकारक पदार्थ (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989

विविध विधियां :

- (i) आयकर अधिनियम, 1961, सेवा कर अधिनियम
- (ii) कार्यस्थनल पर महिलाओं का यौन उत्पीवड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हम कंपनी द्वारा अन्य लागू अधिनियमों, कानूनी और विनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए वेदनों पर निर्भर रहे हैं।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : लागू नहीं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है।

ge vkxs lwfpr djrs gSa fd

कम्पनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित

संतुलन हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यक्रम की पर्याप्त सूचना विस्तृगत कार्यसूची के साथ दी जाती है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समिति और शेयरधारकों की बैठकों के रखे गए कार्यवृत्ता के अनुसार हमनें पाया कि सभी निर्णयों को संबंधित बोर्ड/समिति और शेयरधारकों द्वारा बिना किसी विमत टिप्पण के अनुमोदित किया गया था।

हम आगे सूचित करतें है कि कम्पनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे सूचित करते है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानको आदि के अनुपालन में कम्पनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव होने वाले किसी कार्यक्रम/कार्रवाई को नहीं लिया है।

कृते पीजी एंड एसोसिएटस

हस्ता./–
(प्रीति ग्रोवर)
कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या 5862
सीपी संख्या 6065

स्थान : नोएडा
दिनांक : 30.8.2016

lfpoky ;hu y[kkijh{kk fjikV

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. हमने कंपनी की कोई व्यापार और/अथवा वित्तीय लेखापरीक्षा नहीं की है और कंपनी द्वारा उल्लिखित आंकड़ों को सही पाया माना गया है।

2. हमने कंपनी के विपणन, प्रचालन, तकनीकी सेवाओं, कर, वाणिज्य या वित्तीय और लेखांकन से संबंधित मामलों पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

3. हमने हमें मुहैया करवाए गए सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षरों, मौलिकता और पूर्णता की प्रामाणिकता को माना है और इसके अलावा जो मूल नहीं थे, उन्हें उनके तदनुरूपी मूल दस्तावेजों के अनुरूप माना है।

4. हमने सचिवालयीन रिकार्ड़ों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्ड़ों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते है कि अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

कृते पीजी एण्ड एसोसिएटस

हस्ता./–
(प्रीति ग्रोवर)
कंपनी सचिव
एफसीएल संख्या : 5862
सीपी संख्या : 6065

स्थान : नोएडा
दिनांक : 30.08.2016

lR;kfir nLrkostkdh lph

1. संशोधित संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद।
2. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।
3. लेखापरीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और साथ में संबंधित उपस्थिति रजिस्टर।
4. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।
5. सांविधिक रजिस्टर अर्थात
   - निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
   - निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर
   - अंतरणों का रजिस्टर
   - सदस्यों का रजिस्टर
6. बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों/सदस्यों को प्रस्तुत कार्य–सूची दस्तावेज।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं।
8. लेखापरीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत समय–समय पर कंपनी द्वारा दायर किए गए सभी ई–फार्म और तत्संबंधी संलग्नक।
9. लेखापरीक्षाधीन वर्ष हेतु दायर छमाही सेवा कर रिटर्न।
10. पादुर में सुविधा हेतु श्रेणी क तथा श्रेणी ख पेट्रोलियम के आयात तथा भंडारण हेतु लाइसेंस का नवीकरण।
11. पादुर में सुविधा हेतु 31.03.2018 तक वैध लिक्विड नाइट्रोजन के भंडारण के लाइसेंस का नवीकरण।
12. पादुर स्थल हेतु 31.03.2016 तक वैध प्रेशर वेसल में कम्प्रेसस्ड गैस के भंडारण हेतु लाइसेंस।
13. मंगलौर में श्रेणी क तथा श्रेणी ख पेट्रोलियम के भंडारण हेतु लाइसेंस।
14. मंगलौर में सुविधा हेतु 31.03.2018 तक वैध कम्प्रेसस्ड् गैस के भंडारण हेतु लाइसेंस।
15. विशाखपट्टनम में सुविधा हेतु 31.12.2024 तक वैध पेट्रोलियम के भंडारण हेतु लाइसेंस।
16. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर द्वारा विशाखापट्टनम में भूमिगत चट्टान केवर्न को पाइपलाइन बिछाने हेतु अनुमोदन।
17. विशाखापट्टनम में सुविधा हेतु 31.03.2018 तक वैध लिक्विड नाइट्रोजन के भंडारण के लाइसेंस का नवीकरण।
18. विशाखापट्टनम सुविधा हेतु फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दिनांक 25.08.2015 को फैक्ट्री लाइसेंस प्रदान किया जाना।

okf”kd y[kk

2015-16

bfM;u LVªsVftd isVªksfy;e fyfeVsM
31 ekpZ 2016 dks rqyu i=

fooj.k	fVIi.kh la-	31 ekpZ 2016 dks	31 ekpZ 2015 dks
		₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
bfDoVh ,oa ns;rk,a			
'ks;j/kkjdksa dh fuf/k;ka			
(क) शेयर पूंजी	3	341,882.47	312,732.46
(ख) आरक्षित और अधिशेष	4	(6,066.01)	(3,144.38)
		335,816.46	**309,588.08**
vkoaVu yafcr gksus okyh 'ks;j vkosnu /kujkf'k	3.3	2,500.00	7,600.00
xSj&orZeku ns;rk,a			
(क) अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	1,054.79	17,945.50
orZeku ns;rk,a			
(क) देय व्यापार	6	5,371.99	2,724.83
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	7	2,881.03	3,370.34
(ग) अल्पावधि प्रावधान	8	187.54	0.00
		8,440.55	6,095.17
dqy		**347,811.81**	**341,228.75**
ifjlaifRr;ka			
xSj&orZeku ifjlaifRr;ka			
(क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	9क	95,014.44	13,122.16
(ii) चालू पूंजीगत कार्य	9ख	242,369.42	322,626.54
(ख) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	10	2,285.98	2,248.56
		339,669.84	**337,997.26**
pkyw ifjlaifRr;ka			
(क) नकदी और नकदी तुल्य	11	350.37	2,069.22
(ख) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	12	7,791.60	1,162.27
		8,141.97	3,231.49
		347,811.81	**341,228.75**
वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

—rs i:"kkFkeu HkkVkuh ,.M daiuh
¼lunh ys[kkdkj½
,Qvkj,u u- 005484,u

gLrk-@&
¼lh, fcu; dqekj >k½
Hkkxhnkj
lnL;rk la- 509220

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad %

funs'kd e.My ds fy, rFkk mudh vksj ls

g0@&
¼lanhi iq.Mjhd½
funs'kd
¼MhvkbZ,u 01865958½

g0@&
¼jktu ds- fiYyS½
lhbZvks ,oa ,eMh
¼MhvkbZ,u 06799503½

g0@&
¼v:.k ryokj½
dEiuh lfpo

g0@&
¼,l- vkj- gfj;kxj½
eq[; foRr vf/kdkjh

38

bfM;u LVVftd iVkfy;e fyfeVM

31 ekp] 2016 o"k rd dk ykHk o gkfu fooj.k

fooj.k	fVIi.kh l-	31 ekp] 2016 dk ₹ yk[k e	31 ekp] 2015 dk ₹ yk[k e
0;;			
(क) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9क	2,741.17	449.86
(ख) अन्य व्यय	13	147.23	36.83
(ग) स्टाम्प शुल्क	13क	33.23	73.03
dy 0;;		**2,921.63**	**559.72**
¼gkfu½ vioknt ud vkj vlk/kkj.k enk rFkk dj l io		**(2,921.63)**	**(559.72)**
vioknt kud en %			
स्टाम्प शुल्क का वापिस किया गया प्रावधान			(0.01)
		(2,921.63)	(559.71)
iokof/k 0;;			
परिशोधन और मूल्यह्रास व्यय		-	30.33
dj 0;; %			
वर्तमान वर्ष हेतु वर्तमान कर व्यय		-	-
¼gkfu½ lrr ipkyuk l		(2,921.63)	(590.03)
¼gkfu½ o"k gr		(2,921.63)	(590.03)
¼gkfu½ ifr 'k;j ¼10 :i;s iR;d dk½	15.2		
(क) मूलभूत	15.2.क	(0.0900)	(0.0217)
(ख) तनुकृत	15.2.ख	(0.0893)	(0.0217)
वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

—r i: "kkFkeu HkVkuh ,.M diuh
¼lunh y[kdkj½
,Qvkj,u u- 005484,u

gLrk-@&
¼lh, fcu; dekj >k½
Hkkxhnkj
lnL;rk l- 509220

LFkku % ubZ fnYyh
fnukd %

fun'kd eMy d fy, rFkk mudh vkj l

g0@&
¼lnhi iK.Mjhd½
fun'kd
¼Mhvkb,u 01865958½

g0@&
¼jktu d- fiYy½
lhbvk ,o ,eMh
¼Mhvkb,u 06799503½

g0@&
¼v:.k ryokj½
dEiuh lfpo

g0@&
¼,l- vkj- gkL;kxj½
e[; foRr vf/kdkjh

bfM;u LVªsVsftd isVªksfy;e fjtoZl fyfeVsM
foRrh; fooj.kksa dk fgLlk cus uksV~l

uksV	fooj.k
1	**dkiksZjsV tkudkjh** इंडियन स्टेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को ओआईडीबी तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था। कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपनी खनिज तेल माल–सूची का स्वामित्व तथा नियंत्रण और सरकार के विशिष्ट अनुदेश के अनुसार इसके खनिज तेल स्टाक को जारी करने तथा प्रतिस्थापित करने का समन्वय और भण्डारण, हैंडलिंग, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्शी, सेवा प्रदाता, ब्रोकर तथा एजेंट, अभियांत्रिकी तथा सिविल डिजाइनरों, संविदाकारों, वारफिंगर, भण्डारगार गृह, उत्पादक, तेल तथा तेल उत्पादों के डीलर, गैस तथा गैस उत्पादों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के द्रव्यों और यौगिकों के प्रकार, व्युत्पन्न सामग्रियों, मिश्रणों, तत्संबंधी तैयार किए गए उत्पादों एवं अन्य उत्पादों का व्यापार करना है।
2	**egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;k¡**
2.1	**ys[kkdu vk/kkj** वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परिपार्टी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभवन आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के संदर्भ में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
2.2	**vuqekuksa dk mi;ksx** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप तैयार किया गया है जिसमें प्रबंधन द्वारा ऐसे अनुमान तथा मान्यताओं को लगाना अपेक्षित होता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि और आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटीकरण और प्रस्तुत वर्षों हेतु राजस्व तथा व्यय के सूचित लेखे को वित्तीय विवरण की तिथि को प्रभावित करते हों।
2.3	**vpy ifjlaifÙk;k@ver Z ifjlaifÙk;k** **vpy ifjlaifÙk;k** सभी अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटा लागत पर बताया गया है। लागत में क्रय मूल्य और वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने के लिए अन्य सभी आरोप्य व्यय शामिल हैं। स्थायी पटटे और साथ ही साथ 99 वर्ष से अधिक के पटटे पर अधिगृहीत भूमि को फ्री–होल्ड भूमि माना जाता है। 99 वर्ष या कम हेतु पटटे पर ली गई भूमि को पटटाधारी भूमि माना जाता है।

verl ifjlifÙk;k

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि :

– यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और

– परिसंपत्तियों की लागत/उचित मूल्य को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके।

2.4 eY;ºkl rFkk ifj'kks/ku

मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है। सिवाय भूमिगत केवर्न के जिसका उपयोगी जीवनकाल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रामाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष माना गया है।

कंपनी ने मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति को अपनाया है।

भूमि लागत को वर्षों की संख्या अथवा तत्संबंधी भाग के रूप में पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

2.5 jktLo ekU;rk(pkyw fuekZ.k dk;Z vkfj 0;;ksa dk vkoaVu rFkk fofu;ktu

(i) सामरिक तेल भंण्डारों हेतु परियोजना मंगलौर तथा पादुर में क्रियान्वयनाधीन है जहां कम्पनी ने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं। विशाखपटटनम सुविधा की प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत भारत सरकार द्वारा देय है। लाभ एवं हानि लेखे को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अमूर्त परिसंपत्तियों संबंधी लेखांकन मानक–26 का अनुपालन करने के लिए तैयार किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों संबंधी लेखांकन मानक 10 के अनुसार परियोजनाओं को आरोप्य न होने वाले व्ययों को लाभ एवं हानि लेखा विवरण को प्रभारित किया जाता है।

(ii) परियोजना विकास, व्यवहार्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को शुल्क, परियोजना प्रबंधन परामर्शी प्रभार, भूमि अधिग्रहण व्यय, संविदाकारों को किए गए भुगतान (भूमिगत/भूमि से ऊपर), विज्ञापन व्यय, बीमा प्रीमियम, भूमिगत कार्यों हेतु आपूर्ति किए गए डीजल की लागत आदि हेतु किए गए व्यय को ''चालू निर्माण कार्य'' के रूप में दर्शाया गया है।

(iii) अप्रत्यक्ष/प्रांसगिक व्यय (प्रधान कार्यालय के व्यय सहित) को सभी तीन परियोजनाओं अर्थात विशाखापट्टनम, मंगलौर तथा पादुर को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय किए गए प्रत्यक्ष व्यय के अनुपात में विनियोजित किया जाता है।

(iv) बीमा दावों को दावे के निपटान पर लेखांकित किया जाता है।

2.6 çko/kku vkSj vkdfLedrk,a

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहिर प्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके। जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

2.7 ifjlEifÙk;ksa dh {kfr

प्रबंधन आवधिक रूप से बाहरी तथा आंतरिक स्रोतों का आकलन करके यह देखता है कि इसका कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब उत्पन्न होती है जब वहन मूल्य, वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है और परिसंपत्ति के सतत उपयोग तथा इसके अंततः निपटान से भविष्य के नकदी प्रवाह में वृद्धि होने की प्रत्याशा होती है। व्यय की जाने वाली क्षति हानि का निर्धारण परिसंपत्तियों के निवल बिक्री मूल्य तथा उपर्युक्तानुसार निर्धारित वर्तमान मूल्य से ऊपर वहन मूल्य के आधिक्य पर किया जाता है। किसी क्षति हानि को वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमान में परिवर्तन होने पर वापिस कर दिया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक दर्ज किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन लागत, उस वहन लागत से अधिक नहीं होती है जिसका निर्धारण मूल्यह्रास तथा परिशोधन के निवल हेतु किया जाता, यदि किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती।

2.8 iês

<u>çpkyu iês</u>

पट्टा व्यवस्थाएं जहां जोखिम तथा पुरस्कार किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पट्टादाता में निहित हो, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रचालन पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में एक सीधी रेखा आधार पर चालू निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.9 deZpkjh ykHk

आज तिथि के अनुसार कंपनी के पेरोल पर कोई कर्मचारी नहीं है और कंपनी के कार्य को वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। अतः ''कर्मचारी लाभ'' संबंधी एएस–15 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

2.10 fons'kh eqæk lao;ogkj rFkk :ikarj.k

विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई तथा बकाया मौद्रिक मदों को तुलन–पत्र तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों से संबंधित के अलावा विदेशी मुद्रा लेन–देन संबंधी विनिमय अंतरों को उचित रूप से मान्यता दी जाती है। अचल परिसंपत्तियों की खरीद हेतु किए गए व्यय की तिथि को विनिमय उतार–चढ़ाव संबंधी किसी लाभ/हानि को ऐसी अचल संपत्तियों की वहन लागत के प्रति समायोजन के रूप में लिया जाता है।

2.11 vk; ij dj

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तिनयों को समय अंतरों के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में कंपनी ने विलंबित कर परिसंपत्तिक को मान्यता नहीं दी है।

2.12 çfr 'k;j vtu

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

2.13 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के साथ मिलान हेतु पुनः समूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

foRrh; fooj.kksa dk fgLlk cuus okys uksV~l

UkksV 3 'ks;j iwath

fooj.k	31 ekpZ 2016 dks		31 ekpZ 2015 dks	
	'ks;jksa dh la[;k	₹ yk[k esa	'ks;jksa dh la[;k	₹ yk[k esa
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर 10 रूपये प्रत्येक के	38,325.60	383,256.00	37,240.00	372,400.00
(ख) निर्गत/अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर इक्विटी शेयर 10 रूपये प्रत्येक के	34,188.25	341,882.47	31,273.25	312,732.47
dqy	**34,188.25**	**341,882.47**	**31,273.25**	**312,732.47**

fooj.k			
fooj.k	izkjfEHkd 'ks"k	o"kZ ds nkSjku u, tkjh	vafre 'ks"k
	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
इक्विटी शेयर			
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	31,273.25	2,915.00	34,188.25
– राशि (रूपये)	312,732.47	29,150.00	341,882.47
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	23,970.00	7,303.25	31,273.25
– राशि (रूपये)	239,700.00	73,032.47	312,732.47

UkksV 3-2 5% ls vf/kd 'ks;j /kkj.k djus okys izR;sd 'ks;j/kkjd }kjk /kkfjr 'ks;j dk C;kjk

fooj.k	31 ekpZ 2016 dks		31 ekpZ 2015 dks	
	/kkfjr 'ks;jksa dh la[;k	'ks;jksa dh mls Js.kh esa /kkfjrk %	/kkfjr 'ks;jksa dh la[;k	'ks;jksa dh mls Js.kh esa /kkfjrk %
इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामिति	34,188	100 %	31,273	100 %

UkksV 3-3 vkoaVu yafcr gksus okyh 'ks;j vkosnu jkf'k

31 मार्च, 2016 के अनुसार, ओआईडीबी से 31.3.2016 तक प्राप्त राशियों में से 25,00,00,007 रूपए की राशि हेतु इक्विटी शेयर अभी आवंटित किए जाने है और इन्हें "आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि" के अंतर्गत दर्शाया गया है। कंपनी के पास इन शेयरों के आवंटन को कवर करने के लिए पर्याप्तं प्राधिकृत पूंजी है।

uksV 4 vkjf{kr vkSj vf/k'ks"k

fooj.k	31 ekpZ 2016 dks	31 ekpZ 2015 dks
	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
(कमी) लाभ और हानि विवरण में		
प्रारंभिक शेष	(3,144.38)	(2,554.35)
जोड़े : (हानि) वर्ष हेतु	(2,921.63)	(590.03)
dqy	**(6,066.01)**	**(3,144.38)**

foRrh; fooj.kk dk fgLlk cu ukV l

UkkV 5 vU; nh?kkof/k n;rk,

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
संविदाकारों से रोकी गई – संविदात्मक	1,054.79	4,445.50
एचपीसीएल से अग्रिम	0.00	13,500.00
dqy	**1,054.79**	**17,945.50**

UkkV 6 n; 0;kikj

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
देय व्यापार	5,371.99	2,724.83
dqy	**5,371.99**	**2,724.83**

UkkV 7 vU; orZeku n;rk,

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
अन्य देय		
(i) सांविधिक प्रेषण (रोके गए कर, श्रम उपकर, टीडीएस एवं कार्य संविदा कर)	256.15	211.94
(ii) अन्य (चट्टान निपटान के प्रति समायोजन योग्य राशि)	69.90	85.42
(iii) सुरक्षा जमा / ईएमडी	68.57	16.43
(iv) संविदाकारों से रोका गया – आपूर्ति	2,486.41	3,056.55
dqy	**2,881.03**	**3,370.34**

UkkV 8 vYikof/k _.k

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
ओआईडीबी	187.54	0
dqy	**187.54**	**0**

foRrh; fooj.kkas dk fgLlk cuus okys uksV~l

ukV 9 vpy ifjlEifRr;k

₹ yk[k esa

,-	eri ifjlEifRr;k	dqy lEifÙk;k				lafpr eY;gkl				'kq) dqy lEifÙk;k	
		1 vizSy] 2015 dks 'ks"k	o"kZ ds nkSjku of)	o"kZ ds nkSjku lekIr	31 ekpZ] 2016 dks 'ks"k	1 vizSy] 2015 dks 'ks"k	o"kZ gsrq eY;gkl@ ifj'kks/ku 0;;	lEifÙk;ksa ds fuiVku ij lekIr	31 ekpZ] 2016 dks 'ks"k	31 ekpZ] 2016 dks 'ks"k	31 ekpZ] 2015 dks 'ks"k
		₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
	(क) पट्टाधृत भूमि	15,477.25	1,979.31	1,371.86	16,084.70	2,432.02	463.03	-	2,895.04	13,189.65	13,045.23
	(ख) भवन	-	3,195.16	-	3,195.16	-	309.93	-	309.33	2,885.23	-
	(ग) सड़के तथा पुलिया	-	968.33	-	968.33	-	144.54	-	144.54	823.79	-
	(घ) संयंत्र और मशीनरी	4.32	29,574.87	-	29,579.20	0.00	1,030.19	-	1,030.20	28,549.00	4.32
	(ड़) केवर्न	-	49,517.40	-	49,517.40	-	652.31	-	652.31	48,865.09	-
	(छ) फर्नीचर और फिक्सचर	23.60	576.75	-	600.35	3.28	114.50	-	117.78	482.57	20.32
	(ज) परिवहन वाहन	-	37.72	-	37.72	-	3.53	-	3.53	34.19	-
	(झ) कार्यालय उपकरण	44.58	149.73	-	194.32	10.38	15.43	-	25.81	168.50	34.20
	(झ) कम्प्यूटर	41.29	6.03	-	47.32	23.20	7.70	-	30.90	16.42	18.09
	dqy	**15,591.04**	**86,005.32**	**1,371.86**	**1,00,224.50**	**2,468.88**	**2,741.17**	**-**	**5,210.05**	**95,014.44**	**13,122.16**
	31 ekpZ] 2015 dks vuqlkj	**15,077.97**	**513.07**	**-**	**15,591.04**	**1,988.70**	**480.19**	**-**	**2,468.88**	**13,122.16**	**13,089.27**

ch-	pkyw iwathxr dk;Z ¼n[k fVIi.kh l- 9[k½	31 ekpZ] 2016 dks 'ks"k	31 ekpZ] 2015 dks 'ks"k
		₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
	चरण–I		
	– विशाखापट्टनम कैवर्न	98.30	103,612.63
	– पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना @	141,958.53	135,356.92
	– मंगलौर कैवर्न परियोजना @	100,312.59	83,656.99
	;ksx	**242,369.42**	**322,626.54**

@ विनियोजित प्रधान कार्यालय व्यय शामिल हैं।

foRrh; fooj.kksa dk fgLlk cuus okys uksV~l

uksV la- 9 [kaM% pkyw iwathxr dk;Z

fooj.k	31 ekpZ 2016 dks	31 ekpZ 2015 dks
	₹ yk[kksa esa	₹ yk[kksa esa
pkyw fuekZ.k dk;Z		
(अनावंटित पूंजीगत व्यय, स्थल पर सामग्री सहित)		
HkaMkj.k pj.k & I		
fo'kk[kkiV~Vue dsou HkaMkj.k ifj;kstuk		
भूमिगत सिविल कार्य	98.30	49,548.30
भूमि के उपर प्रक्रिया सुविधाएं	-	41,280.29
परियोजना प्रबंधन परामर्श	-	10,906.93
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	-	172.68
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – वाइजैग	-	186.75
अन्य परियोजना व्यय	-	324.35
प्रधान कार्यालय व्यय	-	1,193.33
dqy	**98.30**	**103,612.63**
iknqj dsou HkaMkj.k ifj;kstuk		
भूमिगत सिविल कार्य	82,940.69	82,884.98
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	32,649.69	27,706.82
परियोजना प्रबंधन परामर्श	14,305.63	13,619.19
अध्ययन एवं सर्वेक्षण – पादुर	121.68	121.68
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – पादुर	653.61	114.65
अन्य परियोजना व्यय	1,052.16	919.58
पाइपलाईन	9,068.78	8,959.71
प्रधान कार्यालय व्यय	1,166.29	1,030.31
dqy	**141,958.53**	**135,356.92**
eaxykSj dsou HkaMkj.k ifj;kstuk		
भूमिगत सिविल कार्य	43,706.64	41,215.03
भूमि के उपर प्रक्रिया सुविधाएं	29,388.06	24,855.41
परियोजना प्रबंधन परामर्श	10,268.26	10,119.64
अध्ययन एवं सर्वेक्षण – मंगलौर	135.59	135.59
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – मंगलौर	595.81	128.81
अन्य परियोजना व्यय	282.84	179.61
पाइपलाईन	15,103.56	6,383.38
प्रधान कार्यालय व्यय	831.83	639.52
dqy	**100,312.59**	**83,656.99**
dqy iwathxr ij fuekZ.k dk;Z	**242,369.42**	**322,626.54**

foRrh; fooj.kk dk fgLlk cu ukV l

ukV 10 nh?kkof/k _.k ,o vfxze

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
सुरक्षा जमा	502.99	465.57
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष – प्राप्य सेनवैट क्रेडिट	1,440.84	1,440.84
पादुर के प्रति अग्रिम	342.15	342.15
dy	**2,285.98**	**2,248.56**

ukV 11 udnh vkj udnh rY;

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
हस्तगत नकदी	0.20	0.03
बैंको के साथ शेष – ऑटोस्वीप चालू खाता	350.17	2,069.19
dy	**350.37**	**2,069.22**

ukV 12 vYikof/k _.k vkj vfxze

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
पूर्व प्रदत्त व्यय – असुरक्षित, अच्छे समझे गए	80.47	54.77
अन्य ऋण एवं अग्रिम – असुरक्षित अच्छे समझे गए		
अचल परिसंपत्तियों का एचपीसीएल का अनुपातिक अंश	4,517.90	-
भारत सरकार से प्राप्य वाईजैग के ओ एण्ड एम व्यय	778.70	-
टीडीएस प्राप्य *	97.20	128.24
नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम	194.09	117.67
आरओयू अधिग्रहण और डीजल आपूर्ति के प्रति अग्रिम	1,755.14	72.54
मोबिलाईजेशन अग्रिम	340.18	744.19
शेयरों पर स्टांप ड्यूटी के प्रति अग्रिम	27.92	44.87
dy	**7,791.60**	**1,162.27**

* 38.10 लाख रूपये का प्राप्य टीडीएस, अदा किए गए अधिक टीडीएस के प्रति है। धन वपिसी टीडीएस सीपीसी को अग्रेषित की गई है।

ukV 13 vU; O;;

fooj.k	31 ekp] 2016 dk lekIr o"k dk fy,	31 ekp] 2015 dk lekIr o"k dk fy,
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	0.00	0.01
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	2.94	2.73
कार्यालय व्यय	144.29	34.10
dy	**147.23**	**36.84**

foRrh; fooj.kksa dk fgLlk cuus okys uksV~l

uksV 13¼i½ ys[kkijh{kdksa dks Hkqxrku dk C;kSjk

fooj.k	31 ekpZ] 2016 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ] 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,
	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
लेखापरीक्षकों के किए गए भुगतान में शामिल है :–		
’लेखापरीक्षकों के रूप में – सांविधिक लेखापरीक्षा	2.57	1.69
’व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.05	0.16
’कंपनी विधि मामलों हेतु	0.00	0.00
आंतरिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	0.32	0.88
dqy	**2.94**	**2.73**

uksV 13d LVkEi 'kqYd O;; dk C;kSjk

fooj.k	31 ekpZ] 2016 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ] 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,
	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
जारी किए गए शेयरों पर स्टॉप शुल्क	33.23	73.03
dqy	**33.23**	**73.03**

ukV 14 foRrh; fooj.kksa ds lac/k esa vfrfjDr tkudkjh
14-1 vkdfLed ns;rk,a vkSj izfrc)rk,a ¼izko/kku u dh xbZ lhek rd½

	fooj.k	31 ekpZ 2016 dks	31 ekpZ 2015 dks
		₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
	vkdfLed ns;rk,a		
d-	dEiuh ds izfr nkos ftUgsa _.k ugha ekuk x;k gSA हरित पटटी के विकास और सीएसटी प्रतिपूर्ति के प्रति देयता सहित	611	611
[k-	y[kkvksa esa fuEufyf[kr fookfnr ekaxksa ds lac/k esa dksbZ izko/kku ugha fd;k x;k gS D;ksafd os dEiuh }kjk nk;j dh xbZ vihyksa ds v/khu gSa प्रवेश कर मांग जिसमें एमआरपीएल से खरीद किए गए डीजल पर हेतु ब्याज तथा शास्ति शामिल है.		
(i)	वित्त वर्ष 2010–11	38	38
(ii)	वित्त वर्ष 2011–12	121	121
(iii)	वित्त वर्ष 2012–13	55	-
(iv)	वित्त वर्ष 2013–14	67	-
(v)	निर्धारण वर्ष 2012–13 हेतु ब्याज सहित आय कर मांग	27	27
(vi)	निर्धारण वर्ष 2013–14 हेतु ब्याज सहित आय कर मांग	255	-
(vii)	विभागीय नियमों के अनुसार विशाखपटट्नम में उत्खनित सामग्री की बिक्री पर रायल्टी हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग की मांग वित्त वर्ष 2014–15	10,493	10,493
x-	{kfriwfrZ vkSj xkjaVh		
(i)	मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड को एक क्षतिपूर्ति जारी की गई है, इस प्रकार जारी क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी से कवर है	2,500.00	2,500
/k-	iwathxr izfrc)rk,a		
(i)	पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष होने वाली सभी प्रमुख चालू संविदाओं की अनुमानित राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	20,599	439,570
(ii)	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों तथा अन्य निवेशों पर मांग न की गई देयता	शून्य	शून्य
(iii)	अन्य प्रतिबद्वताएं	शून्य	शून्य
(viii)	जून, 2011 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने विशाखापट्टनम परियोजना हेतु 1,03,800 लाख रूपए के संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदित किया था, जबकि पहले अनुमानित लागत 67,183 लाख रूपए (सितम्बकर 2005 के मूल्यों पर) थी। वर्ष 2013–14 के दौरान मंगलौर हेतु संशोधित लागत अनुमान 12,27,00 लाख रूपए थे, जबकि मूल अनुमानित लागत 7,31,72 लाख रूपए की थी और पादुर परियोजना हेतु यह 9,93,28 लाख रूपए की मूल अनुमानित लागत के प्रति 16,93,00 लाख रूपए थी। अगस्त, 2014 में, सरकार ने विशाखापट्टनम हेतु 1,17,835 लाख रूपए के संशोधित लागत अनुमानो को अनुमोदित किया था (एचपीसीएल के साथ संयुक्त स्वामित्व के कारण 9,100 लाख रूपए की आय कर देयता के अतिरिक्त)। एचपीसीएल द्वारा अनुपातिक पूंजीगत अंशदान परियोजना की लागत के संबंध में भंडारण क्षमता के आधार पर है (एचपीसीएल का अंश 0.30 एमएमटी, कुल केवर्न क्षमता 1.33 एमएमटी)।		

foRrh; fooj.kk dk fgLlk cu ukV~l

14-2 fon'kh enk e 0;; ¼lerY; Hkkjrh; jk"Vªh; :i;k½

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
अन्य मामले (विदेश यात्रा)	4.49	5.50
अन्य मामले (पंप मरम्मकत के दौरान तकनीक पर्यवेक्षीय सेवा के प्रभार के प्रति जारी किया गया भुगतान 1600 यूरो का है)	1.36	37.87

14-3 fon'kh enk e vk;

fooj.k	31 ekp] 2016 dk	31 ekp] 2015 dk
	₹ yk[k e	₹ yk[k e
आय	शून्य	शून्य

14-4 fuekZ.k dh vuqekfur ykxr

(i) भूमिगत सिविल कार्यों, उक्त भूमि से ऊपर की प्रक्रिया सुविधाओं, पाइपलाइन कार्यों आदि हेतु हस्ताक्षरित संविदाओं के आधार पर यथा निर्धारित अनुमानित लागतों को परियोजना पर एक समयावधि में अंतिम पूर्णता तक व्यय किया जाना होता है और इसमें भूमि, सामग्री, सेवाओं तथा अन्य संबंधित ऊपरी व्ययों की लागत शामिल होती है।

(ii) तुलन पत्र की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2016 के अनुसार चरण। हेतु निर्माण क्रियाकलाप विशाखापट्टनम के लिए पूर्ण हो गया था तथा मंगलौर और पादुर हेतु प्रगति पर है। तुलन पत्र तिथि तक व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों और आवंटन योग्य लागतों को प्रगति पर निर्माण कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए व्यय, जो सीधे परियोजनाओं को आरोप्य नहीं है, को लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

(iii) विशाखापट्टनम सुविधा को वर्ष के दौरान चालू किया गया है। खनिज तेल की पहली खेप को उतारने का कार्य 17 जून, 2015 को पूरा किया गया। लेखाबहियों में पूंजीकरण तथा मूल्यगह्रास को इसी तिथि से मान्यता दी गई है। परिसंपत्तियों पर मूल्ययह्रास प्रभार एनईएसडी के आधार पर है।

(iv) विशाखापट्टनम में प्राप्त खनिज तेल महत्वतपूर्ण समप्रभुत्व वाले भंडार है। अद्यतन तिथि को सामरिक केवर्न को भरने को पूरा कर लिया गया है। 1007721.55 एमटी के महत्वरपूर्ण समप्रभुत्व वाले खनिज तेल की अभिरक्षा आईएसपीआरएल के पास है। बिल की गई मात्रा और प्राप्त मात्रा के मध्य् अंतर की समीक्षा विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी और उसे बोर्ड/सरकार को सूचित किया जाएगा।

(v) बोर्ड ने अपनी 44वीं बैठक में एचपीसीएल के साथ विशाखापट्टनम सुविधा के संयुक्त स्वामित्व को अनुमोदित किया। विशाखापट्टनम की अचल परिसंपत्तिकयों की अनुपातिक लागत को एचपीसीएल को अंतरित किया गया है। एचपीसीएल ने मार्च 2016 तक 21000 लाख रूपए का भुगतान किया है। 4517 लाख रूपए की शेष राशि एचपीसीएल से प्राप्य है। एचपीसीएल के साथ संयुक्त स्वाामित्व अनुबंध प्रक्रियाधीन है।

(vi) चार स्थानों यथा राजकोट (2.5 एमएमटी), पादुर (2.5 एमएमटी), चंडीखोल (3.75 एमएमटी) और बीकानेर (3.75 एमएमटी) में 12.5 एमएमटी क्षमता हेतु चरण ।। परियोजनाओं के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है।

14.5 (i) कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग ने कंपनी द्वारा नियमानुसार विभाग को प्रभुत्व शुल्क/रायल्टी के भुगतान के पश्चात पादुर तथा मंगलौर परियोजना में उत्खनित सामग्री को उचित क्रेताओ को निपटान करने की अनुमति दी है।

(ii) चट्टान के मलबे के हटाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाइसेंस अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाइसेंस प्राप्त किया है। दिए गए कार्य के आधार पर, पादुर में 2 स्थलों से चट्टानों के निपटान का कार्य किया जा रहा है।

14.6 (i) मंगलौर परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि को मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड(एमएसईजेडएल) से लिया गया है। सड़क के अपवर्तन हेतु 350 लाख रूपए सहित भूमि की समूची लागत को एमएसईजेडएल को अदा कर दिया गया है और इसे पट्टे की शेष अवधि हेतु पूंजीकृत, परिशोधित किया गया है। वर्ष के दौरान मंगलौर में 44 परियोजना विस्थापित परिवारों को अंतिम एकमुश्त मुआवजे के रूप में 158.40 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। एमएसईजेडएल के साथ पट्टा विलेख का निष्पाकदन लंबित है।

(ii) कंपनी ने पादुर परियोजना हेतु 179.2 एकड़ भूमि की खरीद के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के पास 3,252.11 लाख रूपए जमा करवाए थे, जिन्हें वर्ष 2008–10 के दौरान अग्रिम के रूप में लेखांकित किया गया है। केआईएडीबी ने पहले ही 138.57 एकड़ भूमि का कब्जा सौंप दिया है, जिसे केआईएडीबी द्वारा निर्दिष्टी किए अनुसार 21 लाख प्रति एकड़ की दर से 2909 लाख रूपए की लागत पर पूंजीकृत किया गया है और इसमें परियोजना विस्थासपित परिवारों को राहत और पुनर्वास सहायता के रूप में अदा की गई राशि शामिल है। 34 लाख रूपए के स्टाम्प शुल्क सहित 342 लाख रूप के शेष को केआईएडीबी के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली शेष भूमि के प्रति अग्रिम माना गया है, जिसे इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त समझा गया है।

14.7 शेयर प्रमाणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, 31 मार्च, 2016 तक 3,57,600 लाख रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी पर कुल 357.60 लाख रूपए के स्टाम्प शुल्क् का भुगतान किया गया है। वर्ष के दौरान 29150 लाख रूपए के शेयर जारी किए गए है।

14.8 31.03.2012 को शेयर पूंजी में मई 2010 में आवंटित 17,801 लाख रूपए और मई 2011 में आवंटित 47,930 लाख रूपए शामिल है। उक्त आवंटन हेतु शेयर प्रमाणपत्र को आवंटन की तिथि से 90 दिवस के भीतर जारी किया जाना होता है। स्टाम्प् शुल्क के भुगतान का निर्णय बोर्ड द्वारा 31 मार्च, 2011 के पश्चात लिया गया था और बोर्ड के अनुमोदन के अनुपालन में समूची प्राधिकृत पूंजी पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान अक्तूबर 2011 में किया गया था और उक्त दोनों आवंटनों हेतु शेयर प्रमाणपत्र नवम्बर 2011 में जारी किए गए है। आवंटन के 90 दिवस के पश्चात शेयर प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के शमन हेतु एक स्वैच्छिक याचिका अप्रैल 2012 में कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष दायर की गई थी। बोर्ड ने 47वीं बोर्ड बैठक में सीएलबी याचिका को वापिस लेने को अनुमोदित किया था। सीएलबी द्वारा याचिका को वापिस लेने हेतु आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

14.9 कंपनी विकसित की जा रही सुविधाओं में खनिज तेल हेतु भण्डारण सेवाएं मुहैया करवाने का विकल्प तलाश रही है। कंपनी ने जनवरी 2011 में सेवा कर प्राधिकारियों के पास पंजीकरण करवाया था और अतः सेनवैट क्रेडिट हेतु पात्र है। वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने पात्र सेनवैट क्रेडिट की पुनः गणना की है तथा उसे लेखांकित किया है जिसकी राशि 31.03.2012 को 3807 लाख रूपए है। सेवा कर रिटर्न को तदनुसार फाइल किया गया है। दिनांक 1.3.2011 की अधिसूचना सं. 3/2011 के परिणामस्वकरूप, कंपनी ने परियोजनाओं के स्थापन हेतु निर्माण क्रियाकलापों के लिए अप्रैल 2011 से सेनवैट क्रेडिट का दावा करना समाप्त कर दिया है।

14.10 वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, सरकार ने खनिज तेल को भरने के लिए 4,94,800 लाख रूपए की कुल बजटीय सहायता को अनुमोदित किया था। एचपीसीएल और आईओसीएल को विशाखापट्टनम केवर्न को सामरिक खनिज तेल से भरने हेतु 2 वीएलसीसी प्रत्येक की खरीद करने का निदेश दिया गया था। तदनुसार, विशाखापट्टनम सुविधा से संबंधित 2,366.92 लाख रूपए के प्राप्य सिनवैट को वित्तीय वर्ष 2014–15 में वापिस कर दिया गया है।

14.11 मंगलौर में मुक्त व्यापार भंडारण जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) के सह–डेवलपर बनने हेतु अनुमोदन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2010 में प्रदान किया गया था। मंगलौर हेतु सभी अनुमोदन प्राप्त हो गए है। पादुर के संबंध में, वाणिज्य मंत्रालय के अनुमोदन बोर्ड द्वारा एफटीडब्यूजेड बनने के लिए आवेदन को ''सिद्धांततः'' स्वीकार कर लिया गया है।

14.12 टिप्पणी सं. 5 में निर्दिष्ठ 1054.81 लाख रूपए की प्रतिधारण राशि : जिसे संविदाकारों से परिवर्तनशील मदों हेतु किए गए कार्य के 5 % के प्रति रोका गया है, जिसका भुगतान संविदाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात जारी किया जाएगा। प्रतिधारण राशि को लेखे में देय अनुसार मुहैया करवाया गया है।

14.13 31 मार्च, 2016 को कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कार्य को प्रतिनियुक्ति पर आए 14 कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है जिसमें एचपीसीएल (3), ओएनजीसी (2), आईओसीएल (4), बीपीसीएल (2) और एमआरपीएल (1) शामिल है और उनके अवकाश वेतन तथा पेंशन योगदान की प्रतिपूर्ति अनुपातिक आधार पर उनकी संबंधित मूल कंपनियों को तत्संबंधी दावा प्राप्त होने पर की जाती है।

14.14 नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम या प्राप्त होने वाला मूल्य जिसमें अन्य कंपनियों से देय राशि शामिल है जिनमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है, शून्य रूपए है (गत वर्ष – शून्य रूपए)।

14.15 (i) कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान ''स्वीप–इन–स्वीप–आउट'' में उपलब्ध शेष से ब्याज के रूप में 104 लाख रूपए अर्जित किए है जबकि वर्ष 2014–15 के दौरान इससे 82.85 लाख रूपए अर्जित किए गए थे।

(ii) टिप्पणी सं.13 में अन्य व्यय में 95.24 लाख रूपए की राशि शामिल है जिसे वर्ष के दौरान परिशोधित किया गया था जो विशाखापट्टनम सुविधा की सीमा के बाहर एप्रोच सड़क तथा बिजली के खंबों पर किए गए व्यय के चलते है जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

14.16 पादुर और मंगलौर हेतु खरीदे गए पाइपों को प्रत्येक परियोजना हेतु चिन्हित किया गया है और पादुर हेतु 8,959.71 लाख रूपए तथा मंगलौर हेतु 6,383.38 लाख रूपए की लागू लागतों को संबंधित परियोजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

14.17 लेखांकन मानक–10 के अनुसार, कंपनी ने ब्याज के कारण प्राप्त राजस्व और चट्टान निपटान की बिक्री प्राप्तियों को चालू पूंजीगत कार्य से घटाने की नीति को लगातार अपनाया है। वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि 104 लाख रूपए और चट्टान की बिक्री से प्राप्तियों की राशि 50 लाख रूपए थी।

वर्ष 2008–09 से 2015–16 तक चालू पूंजीगत कार्य से घटाया गया कुल ब्याज और प्राप्तियां 1917 लाख रूपए है।

14.18 foyfcr dj

कर योग्य आय के अभाव में, आय कर हेतु किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है। इसके अतिरिक्त, विलंबित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता नहीं दी गई है क्यों कि भरोसेमंद साक्ष्य के साथ इसकी कोई निश्च्यिता

नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सके।

14.19 2 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होने वाले 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अनुरूप चिन्हित पक्षों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय शून्य निर्धारित किए गए है। कंपनी की आपूर्तिकार प्रोफाइल के मद्देनजर इस मामले में देयता शून्य/नगण्य है।

14.20 लघु उद्योग औद्योगिक उपक्रमों को कोई देय बकाया नहीं है। डेबिट/क्रेडिट में संविदाकार/सेवा प्रदाता लेखे, तत्संबंधी पुष्टि, मिलान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।

14.21 कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अंतर्गत एक लेखापरीक्षा समिति गठित की है जिसकी संरचना निम्नवत है :

श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष

श्री एस.बी.अग्निहोत्री, स्वंतत्र निदेशक – सदस्य

श्रीमती संगीता गैरोला, स्वंतत्र निदेशक – सदस्य

14.22 संविदाकारों के शेष पुष्टि के अधीन है।

UkkV 15 ½ y[kkdu ekudk d rgr [kykl

UkkV	fooj.k
15-1 15-1d	lcf/kr i{k dkjkckj lcf/kr i{kk d C;kj½

lc/k dk fooj.k	lcf/kr ikfV;k d uke
धारक संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	(1) श्री राजन के. पिल्लै, सीईओ एवं एमडी को कंपनी के संगम अनुच्छेद के अंतर्गत आईएसपीआरएल के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। वह 30.11.2013 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 25.02.2014 से प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। (2) श्री एस.आर.हस्यागर, सीएफओ, एचपीसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए है। (3) श्री अरूण तलवार, कंपनी सचिव आईओसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए है। fun'kd eMy ¼inu½ श्री सौरभ चन्द्रा, अध्यक्ष (07.03.2014 से 30.04.2015 तक) श्री के.डी.त्रिपाठी, अध्यक्ष (17.07.2015 से) श्री सुभाष खूंटिया, निदेशक (09.08.2012 से 15.06.2015 तक) श्री अनंत कुमार सिंह, अपर निदेशक (08.10.2015 से) श्री अजय प्रकाश साहनी, निदेशक (28.03.2015 से) श्री यू.पी.सिंह (28.08.2015 से 07.03.2016 तक) श्री संजीव मित्तल (29.03.2016 से) श्री एल.एन.गुप्ता, निदेशक (17.06.2013 से 05.06.2015 तक) श्री संदीप पौण्डरिक, निदेशक (12.01.2015 से) Lor= fun'kd श्रीमती संगीता गैरोला, निदेशक (28.3.2015 से) श्री सतीश बलराम अग्निहोत्री, निदेशक (28.3.2015 से)

15-1[k 31 ekp] 2016 dk lekIr o"k d nkjku lcf/kr i{k dkjkckj d C;kj vkj 31 ekp] 2016 dk cdk;k 'k"k ½

fooj.k	/kkjd lxBu ¼vkvkbMhch½	d,eih ¼lhbvk ,o ,eMh½	dy
	₹ yk[k e	₹ yk[k e	₹ yk[k e
वित्त (नकद अथवा वस्तु रूप में ऋण और इक्विवटी अंशदान सहित)	2,714.69 (7,621.04)		2,714.69 (7,621.04)
* कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित प्रबंधन संविदाएं		21.11 (21.11)	21.11 (-21.11)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

15-1x	fun'kd eMy dh fu;fDr iVkfy;e ,oa çk—frd xSl ea=ky;] Hkkjr ljdkj }kjk dh tkrh gSA fun'kd eMy dk ikfjJfed 'kwU; gS ¼fiNys o"kZ & 'kwU;½A
15-1?k	lacf/kr i{k ds lkFk cdk;k 'ks"k@dkjksckj %

fooj.k	rsy m|ksx fodkl cksMZ		fgnLrku iVªksfy;e dkWiksZjs'ku fy- *	
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
(i) वर्ष के दौरान कारोबार कंपनी की ओर से किया गया व्यय	27.15	21.04	290.04	141.89
(ii) वर्ष के अंत में शेष	2,687.54	7,600.00	-	15.71
dqy	**2,714.69**	**7,621.04**	**290.04**	**157.60**

* एचपीसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए केएमपी (सीईओ) के वेतन हेतु प्रतिपूर्ति की जानी है।

UksV 15 % ys[kkdu ekudksa ds rgr [kqykls ¼tkjh½

uksV	fooj.k	31 ekpZ 2016 dks lekIr o"kZ ds fy, ₹ yk[k esa	31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy, ₹ yk[k esa
15-2	izfr 'ks;j vtZu		
15-2d	vk/kkjHkwr		
	(हानि) इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु	(2,922)	(590)
	बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	32,456	27,189
	प्रति शेयर सममूल्य	10	10
	सतत प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – आधारभूत	(0.0900)	(0.0217)
15-2[k	ruqd`r		
	(हानि) इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु	(2,922)	(590)
	बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या – तनुकृत हेतु	32,725	27,189
	प्रति शेयर सममूल्य	10	10
	सतत प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.0893)	(0.0217)

31 ekpZ 2016 dks lekIr o"kZ ds fy, udnh izokg fooj.k

fooj.k	31 ekpZ 2016 dks lekIr o"kZ ds fy,		31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	
	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
d- çpkyu fØ;kdykiksa ls udnh çokg				
असाधारण मदों और कर से पूर्व निवल हानि		(2,921.63)		(590.03)
जोड़ें:				
वर्ष हेतु मूल्याह्रास और परिशोधन	2,741.17		480.19	
		2741.17		480.19
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि)		(180.46)		(109.85)
निम्नलिखित हेतु समायोजन :				
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	(6,629.33)		770.00	
देय व्यापार	2,647.17		49.54	
अन्य वर्तमान देयताएं	(489.31)		2,235.63	
अल्पावधि प्रावधान	187.54		(0.01)	
		(4,283.94)		3,055.15
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी (असाधारण मदों से पूर्व)		(4,464.40)		2,945.30
çpkyu fØ;kdykiksa ls@¼esa ç;qDr½ fuoy udnh ¼d½		**(4,464.40)**		**2,945.30**
[k- fuos'k fØ;kdykiksa ls udnh çokg				
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	(37.42)		3,262.90	
तृतीय पक्ष को दिया अग्रिम	0.00		0.00	
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(84,633.45)		(513.07)	
चालू पूंजीगत कार्य	80,257.12		(36,986.19)	
		(4,413.75)		(37,499.26)
fuos'k fØ;kdykiksa ls@¼esa ç;qDr½ fuoy udnh ¼[k½		**(4,413.75)**		**(37,499.26)**
x- foÙkh;iks"k.k fØ;kdykiksa ls udnh çokg				
दीर्घावधि ऋणों की चुकौती	(16,890.70)		(2,954.72)	
दीर्घावधि ऋणों से प्राप्तियां	0.00		0.00	
इक्विटी शेयर के इश्यु से प्राप्तियां	24,050.01		33,875.00	
foÙk&iks"k.k fØ;kdykiksa ls@¼esa ç;qDr½ fuoy udnh ¼x½		7,159.31 **7,159.31**		30,920.28 **30,920.28**
?k- udnh rFkk udnh rqY; esa fuoy of)@¼deh½ ¼d+[k+x½		**(1,718.85)**		**(370.77)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य		2,069.22		2,439.99
o"kZ lekfIr ij udnh rFkk udnh rqY;		**350.37**		**2,069.22**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

—rs ieq:"kksÙkeu HkVukxj ,.M dEiuh
¼lunh ys[kkdkj½
,Qvkj,u u- 005484,u

gLrk-@&
¼lh, fcu; dqekj >k½
Hkkxhnkj
lnL;rk la- 509220

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad %

funs'kd eaMy ds fy, rFkk mudh vksj ls

g0@&
¼lanhi ik.Mfd½
funs'kd
¼MhvkbZ,u 01865958½

g0@&
¼jktu d- fiYYk½
lhbZvks ,oa ,eMh
¼Mhvkbz,u 06799503½

g0@&
¼v:.k ryokj½
dEiuh lfpo

g0@&
¼,l- vkj- gkL;kxj½
eq[; foRr vf/kdkjh

vuqca/k&x

31 ekp] 2016 dks lekIr o"kZ gsrq bafM;u LVªSVsftd isVªksfy;e fjtoZl fyfeVsM ds foÙkh; fooj.kksa ij daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ ds vraxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;kaA

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 20 सितम्बर, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्ड़ों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर किसी टिप्पणी अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी अनुपूरक रिपोर्ट की आवश्यकता हो।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(नंदना मुंशी)
वाणिज्य लेखापरीक्षा महानिदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–2, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 22.09.2016

अध्याय–10

परिशिष्ट

ifjf'k"V&1

rsy m|kx fodkl vf/kfu;e] 1974 dh /kkjk&6 esa ckMZ dk dR;

6(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात्:–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (ट) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना :

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से

अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना,

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य असीमित संदायों की, ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना:

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तो और निबंधनों जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना दी जाएगी ।

(ड़) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरो, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी आध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्थियों के भाग रूप रखे रहना:

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिवेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में केन्द्रीय सरकार या उसके अनुमोदन से ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना:

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना:

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है:

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण:– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल सेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन,

(घ) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ड़) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बाते कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुषांगिक या पारिणामिक हों।

ifjf'k"V&2

foRr y[kk] vkj lijh{kk

rsy m|kx ¼fodkl½ vf/kfu;e] 1974 dh /kkjk&15

(15.1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल सेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है, उस में तत्स्थानी प्रवृष्टि में दी गई दर में अनधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (1 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत यथा मूल्य)

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादकर्ता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा (1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदगृहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदगृहणीय उत्पाद शुल्क क उदगृहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–16–शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

धारा–15 के अधिन उद्गृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17–केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

(18.1) तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात्

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(घ) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः–

(क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए,

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(घ) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

देश में तेल उद्योग के विकास हेतु प्रतिबद्ध संस्थान

कॉर्पोरेट कार्यालय : ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नौएडा– 201301 उ.प्र.

पंजीकृत कार्यालय : 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड़ नई दिल्ली–110 001